VISIONIAS™

www.visionias.in

समसामयिकी

सितम्बर - 2015

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

4. महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजद्रोह से संबंधित
5. कूटबद्धीकरण नीति का मसौदा (DRAFT ENCRYPTION POLICY)
7. गैर सरकारी संगठनों (NGO) को विदेशों से प्राप्त धन और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)
9. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन
9. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के. के.वाई.)
10. असम में नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (रजिस्टर)(1951) का संशोधन
12. मणिपुर लोक संरक्षण विधेयक, 2015
13. विधि आयोग ने मृत्यु दण्ड के उन्मूलन की अनुशंसा की
14. खबरों में यह भी
14. ई-शासन
14. दक्षिण-एशिया में शहरीकरण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट
15. आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा विशेष न्यायालय विधेयक पारित
16. कमजोर मानसून की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को राहत देने के लिए उठाए गए कदम
16. भारत में जल नीति
16. भारतीय रेलवे–सुरक्षा और संरक्षा
17. सातवां वेतन आयोग

सामाजिक मुद्दे

18. भारतीय संस्थानों की रैंकिंग के लिए रूपरेखा
19. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
20. भारत और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य
20. भारत मे आरक्षण
22. लैंगिक समानता वाले देश आर्थिक लाभ की स्थिति में है

3. आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था

23. गुजरात आतंकवाद नियंत्रण एवं संगठित अपराध विधेयक (2015)
24. आतंरिक सुरक्षा हेतु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय केन्द्र - कार्यक्रम (DAP) -
24. भारत में विस्फोटक पदार्थो का नियमन
24. कोलंबो प्लान, मादक पदार्थ नियंत्रणकारी सुझाव
25. सुरक्षा चुनौतियों के निस्तारण हेतु सरकार एवं इंटरनेट प्रदाता कंपनियों के मध्य सहयोग।

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी

26. अंतरिक्ष
27. लापान A2/ ओरारी (LAPAN A2/ ORARI)
27. नासा की सरवीर-मेकांग परियोजना
27. गाँधी शांति पुरस्कार-2014 इसरों को प्रदान किया गया।
27. यूरोपा क्लिपर अभियान
27. मंगल अभियान (मंगलयान)-तकनीकि क्षमता प्रदर्शक अभियान
28. प्रशासन और विकास में अंतरिक्ष तकनीकि आधारित साधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित विशिष्ट राष्ट्रीय समागम में प्रधानमंत्री का संबोधन
28. रक्षा
28. बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली बी.एम.डी.-चरण-II के लिए तैरती हुई परीक्षण सुविधा:
29. अमोघ-I प्रक्षेपास्त्र
29. एकीकृत नौ सैनिक निर्देश एवं नियंत्रण प्रणाली (IACCS) चर्चा में क्यों?
30. भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास
30. स्वास्थ्य एवं बायो तकनीकि
30. इनजेक्टेबल पोलियो टीका (IPV)
31. विश्व का प्रथम मेनिनजाइटिस बी टीका कार्यक्रम
31. ब्रुसेला
31. एम.टी.डी.एन.ए. (MTDNA)
31. सूचना प्रौद्योगिकी
31. एम.ओ.ओ.सी. (Massive open online courses)
32. प्रधानमंत्री की सिलीकॉन वैली की यात्रा-तकनीकी संबंधी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ
33. फ्लैशर (FLASHER)
33. हाइब्रिड वैक्यूम टॉइलेट
33. पॉवर वॉल

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

34. समान विचारधारा वाले विकासशील देशों की बैठक (Meeting of Like-Minded Developing Countries)

VISION IAS

 ©Vision IAS

34. राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति
35. सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991
35. राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति
36. जलवायु परिवर्तन से संबंधित नैतिक चिंताएं

अर्थव्यवस्था

37. गैर निष्पादित परिसंपत्तियों संबंधी चुनौती
37. वायदा बाजार आयोग (FMC) का सेबी(SEBI) के साथ विलय
38. भारत में अपस्फीति
39. वर्तमान भारतीय आर्थिक स्थिति
40. स्वर्ण मौद्रीकरण योजना और सॉवेरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना
42. लुभावने गृह ऋण
42. यह भी खबर में
42. स्पेक्ट्रम कारोबार मानदंड जल्द ही अधिसूचित होंगे
43. भारत में व्यापार करने की सुविधा के सन्दर्भ में विश्व बैंक का सर्वेक्षण रिपोर्ट
44. बाह्य वाणिज्यिक उधारी पर नई रूपरेखा का मसौदा
44. भारतीय रिजर्व बैंक और ब्याज दरें
44. करेंसी नोटों पर नए सुरक्षा चिन्ह
45. अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने आधार दरों को अपरिवर्तित रखा
46. विभिन्न कदम जो वैश्विक निवेश के लिए भारत को आकर्षक बना सकते हैं
46. भारत में तेल की खोज - राजस्व साझा मॉडल

अंतर्राष्ट्रीय : भारत एवं विश्व

48. विस्तृत परमाणु परीक्षण निषेध संधि
48. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार
49. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध
50. भारत – कंबोडिया
50. भारत – श्रीलंका
50. भारत की 'पश्चिम की ओर देखो' नीति
51. निष्कर्ष
51. भारत – ईरान
52. म्यांमार में चुनाव
52. नेपाल मे प्रथम लोकतांत्रिक संविधान
53. श्रीलंका में युद्ध अपराध
54. आसियान व्यापार गलियारा
54. यूरोप में शरणार्थी समस्या
55. बांग्लादेश में ब्लॉग लेखकों पर हमले
56. ब्रिटेन की लेबर पार्टी
56. यूनान में चुनाव
56. कोरियाई प्रायद्वीप में विवाद
57. सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)
58. सुर्खियों में ...
58. धार्मिक रूप से उत्पीड़ित लोगों के लिए नागरिकता
59. सेफ हार्बर
59. यूनेस्को पुरस्कार
59. जी-20
59. व्हाइट हाउस पदक
59. द्वितीय विश्वयुद्ध में विजय के उपलक्ष्य में परेड

VISION IAS

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजद्रोह से संबंधित

- यह परिपत्र पुलिस के संज्ञान में यह तथ्य लाता है कि भारतीय दंड सहिंता के राजद्रोह का प्रावधान केवल उन लोगों के खिलाफ लगाया जा सकता है जो लिखित या अभिव्यक्त शब्दों, प्रतीकों या दृश्य माध्यमों से अथवा अन्य किसी माध्यम द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के खिलाफ घृणा, अवमानना या असंतोष को उत्पन्न करते हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं या ऐसा करने का प्रयास करते हैं।
- हालांकि, धारा 124-A के प्रावधान, ऐसे लोगों के खिलाफ लागू नहीं किये जाएगें जो घृणा और तिरस्कार के बिना, कानूनी साधनों के माध्यम से सरकार में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं।
- यह माना जा रहा है कि यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास है। इसलिए यह मुद्दा गंभीर आलोचना का विषय बन गया है।

पृष्ठभूमि

- इस परिपत्र को बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय की पृष्ठभूमि में तब जारी किया गया था जब न्यायालय ने कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों को खारिज कर दिया था। असीम त्रिवेदी को आपत्तिजनक कार्टून के लिए राजद्रोह का आरोप लगाकर, धारा 124-A के तहत सितंबर 2011 में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
- रोपों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि केवल सरकार की आलोचना करने को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है।
- राज्य सरकार ने अदालत में एक शपथ पत्र दिया जिसमें यह कहा गया है कि धारा 124-A के उपयोग पर पुलिस को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
- इस परिपत्र को इस वर्ष मार्च में अदालत में पेश किया गया और अगस्त के अंत में पुलिस स्टेशनों को भेजा गया।

> विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
>
> भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) (क) के तहत मौलिक अधिकार के रुप में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि, यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि, और अपराध उद्दीपन के लिए राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लागू कर सकता है।

- इन दिशा-निर्देशों के मराठी संस्करण ने विवाद उत्पन्न किया है क्योंकि इसमें स्पष्टता का अभाव है। इसने विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग की स्थितियां उत्पन्न की है, जिसका दुरूपयोग हो सकता है। अदालत ऐसी परिस्थिति निर्मित होने से, रोकने का प्रयास कर रही है।

विवाद

- पुलिस को कानून के प्रयोग की सीमाओं को स्पष्ट करने की बजाय, कानून का यह मराठी संस्करण कानून की सीमाओं को और अधिक विस्तारित करता है।

1. कानून के अंग्रेजी संस्करण के अनुसार "राजनीतिज्ञों, सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ कोई शब्द/संकेत/प्रस्तुति तब तक इस श्रेणी में नहीं माना जायेगा जब तक ये (शब्द/संकेत/प्रस्तुति) उन्हें सरकारी प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं" मराठी संस्करण इन सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए कहता है कि सरकारी प्रतिनिधि के रुप में देखे जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए गए शब्द संकेत अथवा प्रस्तुति को राजद्रोहात्मक माना जायेगा। यह विडंबनापूर्ण है कि किसी राजनेता या व्यक्ति को सरकार का प्रतिनिधत्व करने वाला माना जाए अथवा नहीं, यह पुलिस के विवेकाधिकार का विषय है।
2. अंग्रेजी दिशा-निर्देशों के अनुसार वही शब्द, संकेत या निरूपण राजद्रोह की श्रेणी में आएंगे जो सरकार (केन्द्रीय या राज्य) के प्रति घृणा, अवमानना, असंतोष, वैमनस्य या विश्वासघात फैलाने वाले या पैदा करने वाले हों। ऐसे शब्द/संकेत/निरूपण निश्चित रूप से हिंसा पैदा करने वाले या लोक व्यवस्था भंग करने वाले या जिनसे सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न होने की आशंका हो, की कोटि के होने चाहिए। लेकिन मराठी अनुवाद में अस्पष्टता है। किसी भी मामले में, अंग्रेजी या मराठी में "सार्वजनिक अव्यवस्था की उचित आशंका" कई अलग-अलग व्याख्याओं के लिए संभावना उत्पन्न करती है। प्राय: आंदोलन को दबाने के लिए इसका पुलिस द्वारा उन्मुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाता है।

- परिपत्र में अस्पष्टता के कारण, इन प्रावधानों का, राजनीतिज्ञ या सार्वजनिक व्यक्तित्व या उनकी नीतियों की निष्पक्ष आलोचना के सन्दर्भ मे भी किसी नागरिक के खिलाफ राज्य द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- यह दलील दी गयी है कि परिपत्र के खंड 1 और 2 में उल्लिखित "आशंकित या प्रत्याशित खतरे" को उचित और युक्तियुक्त आधारों पर निर्धारित किया जाना चाहिए खतरा वास्तविक और सन्निकट हो।

धारा 124-A

- भारतीय दंड संहिता की धारा 124-A एक स्वतंत्रता पूर्व प्रावधान है जिसमें सरकार के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों को शामिल किया गया है।
- वर्ष 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में धारा 124-A को बरकरार रखा था और यह माना था कि यह मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकता के बीच उचित संतुलन को स्थापित करता है।

124-A के अंतर्गत चर्चित मामले
- कुंदनकुलम नाभिकीय प्लांट के विरोधकर्ता
- अरुंधती रॉय जैसे लेखक
- बिनायक सेन जैसे सामाजिक कार्यकर्ता
- कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी

- मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के समर्थकों के अनुसार यह खंड कठोर है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

धारा 124-A के खिलाफ तर्क

- यह लोगों के, सरकार की आलोचना करने के लोकतांत्रिक अधिकार को सीमित करता है।
- पुलिस के पास इस तरह के "कठोर" प्रावधान लगाने के, परिणामों को समझने के लिए "अपेक्षित" प्रशिक्षण नहीं होता है।
- असंतोष पर अंकुश लगाने के लिए इसका मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया गया है। कई मामलों में इसके मुख्य लक्ष्य लेखक, पत्रकार, राजनीतिक असंतुष्ट और ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो सरकार की नीतियों और परियोजनाओं पर सवाल खड़े करते हैं।
- गरीबी के भारी स्तर, गरीबों के स्वास्थ्य की देखभाल, बेरोजगारी, कुपोषण और सरकार की ख़राब नीतियों के कारण होने वाली किसानों की आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं के सन्दर्भ में सरकार के खिलाफ मोहभंग और असंतोष की अभिव्यक्ति स्वाभाविक हैं।
- इस कानून की कठोर प्रकृति, गैर-जमानती, गैर-संज्ञेय और अधिकतम उम्रकैद तक की सजा, असंतोष की अभिव्यक्ति के सन्दर्भ में एक मजबूत निवारक प्रभाव रखती है। भले ही इसका उपयोग ना किया जाये।
- प्रेस की रक्षा जानी चाहिए ताकि यह सरकार की गोपनीयता को जनता के समक्ष प्रकट कर सके। केवल एक स्वतंत्र और बंधन रहित प्रेस ही प्रभावी ढंग से सरकारी व्यवस्था में व्याप्त अनियमितता का पर्दाफाश कर सकती है।
- गैरकानूनी गतिविधियों और सशस्त्र आंदोलनों से निपटने के विधायन पहले से ही मौजूद हैं। बोले गए और लिखे गए शब्दों के लिए आपराधिक प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है।

Questions:

1. सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-A की संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के सन्दर्भ में चर्चा करें। (UPSC Mains – GS 3 - CSE 2013)

2. आप 'वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य' संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा फैलाने वाली अभिव्यक्ति भी आती है? भारत में फिल्मों को अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से भिन्न क्यों माना जाता है ? चर्चा करें। (UPSC Mains – GS 2 - CSE 2014)

कूटबद्धीकरण नीति का मसौदा (DRAFT ENCRYPTION POLICY)

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 84-A के तहत कूटबद्धीकरण के तरीकों और प्रक्रियाओं के लिए नियम तैयार किए जाने हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की गयी थी, जिसने राष्ट्रीय कूटबद्धीकरण नीति का मसौदा तैयार किया।

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने हाल ही में सरकार, व्यवसायों और यहाँ तक कि नागरिकों द्वारा प्रयोग में लायी जा रही डेटा कूटबद्धीकरण (ENCRYPTION) की प्रक्रियाओं और संचार हेतु ऑनलाइन सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए राष्ट्रीय कूटबद्धीकरण नीति के मसौदे को प्रकाशित किया है। कथित मसौदा नीति को विभिन्न हितधारकों से मजबूत प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई है और इसके परिणामस्वरुप, शीघ्र ही सार्वजनिक टिप्पणी के लिए इसकी शुरुआत के बाद इस राष्ट्रीय कूटबद्धीकरण मसौदा नीति को सरकार द्वारा वापस ले लिया गया।

- इसका उद्देश्य साइबर स्पेस में ना केवल व्यक्तियों अथवा व्यापार के लिए बल्कि सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सूचना प्रणाली और नेटवर्क के सन्दर्भ में सूचना के आदान-प्रदान के लिए सुरक्षित था।

नीति का उद्देश्य

- इस नीति का उद्देश्य उभरती वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ संगति बैठाने के साथ-साथ डेटा सुरक्षा तथा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कूट संकेतों का उपयोग करना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित किए बिना सूचना और संचार के बुनियादी ढांचे में गोपनीयता की रक्षा करना भी इसका उद्देश्य है।
- सरकार सहित सभी संस्थाओं द्वारा विश्वसनीय संचार लेनदेन

VISION IAS

और प्रमाणन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करना।

- यह एक सशक्त सूचना सुरक्षा परिवेश के निर्माण हेतु सरकार में शामिल सभी संस्थाओं, हितधारकों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों, और नागरिकों को सूचना उद्योग से संगत सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास है।

> कूटबद्धीकरण क्या है?
>
> कूटबद्धीकरण संदेश या जानकारी कूटीकरण की प्रक्रिया है जिसे केवल अधिकृत व्यक्ति ही पढ़ सकते है। उदाहरण के लिए - "आई.ए.एस." शब्द एन्क्रिप्टेड रुप में "जेबीटी" बन सकता है यदि वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले वर्ण द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। 'आई.ए.एस' को सही ढंग से वही पढ़ सकता है जो जानता है कि इसको कैसे कूटबद्ध किया गया है।
>
> कूटबद्धीकरण के उपयोग
>
> सभी मैसेजिंग सेवाएँ यथा व्हाट्स एप, वाइबर, गूगल चैट, याहू मैसेंजर कूटबद्ध सेवाओं का उपयोग करते हैं। बैंक और ई-कामर्स साइट भी पासवर्ड सहित वित्तीय और निजी डेटा की रक्षा के लिए कूटबद्धीकरण का उपयोग करते हैं।

राष्ट्रीय कूटबद्धीकरण (एन्क्रिप्शन) नीति की प्रमुख विशेषताएं

- सभी नागरिकों को "90 दिनों के लिए कूटबद्ध संदेशों को साधारण भाषा में (प्लेन टेक्स्ट) संग्रहित रखना आवश्यक होगा" और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यकता पड़ने पर इसे उपलब्ध कराना होगा।
- कूटबद्ध उत्पादों के सभी विक्रेताओं को सरकार द्वारा नामित एजेंसी के साथ, अपने उत्पादों को पंजीकृत करवाना आवश्यक होगा।

> कूटबद्धीकरण की उत्पत्ति कैसे होती है?
>
> मसौदा नीति की प्रस्तावना के अनुसार कूटबद्धीकरण प्रौद्योगिकी को परंपरागत रुप से सैन्य और राजनयिक संचार की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए व्यापक रुप से उपयोग में लाया जाता था। बहरहाल इंटरनेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ने ई-कॉमर्स और ई-गर्वर्नेंस जैसे नागरिक अनुप्रयोगों के लिए कूटबद्धीकरण के दायरे का विस्तार किया। आगे चलकर इसका उपयोग गोपनीयता की रक्षा तथा इंटरनेट और संबंद्ध सूचना तंत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाने लगा, जिससे दुनियाभर में कूटबद्धिकरण के विस्तार से संबोधित नीतियों का निर्माण होने लगा।

- भारत में इस्तेमाल करने के लिए सभी कूटबद्धिकरण प्रौद्योगिकियों को सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- सरकार सभी कूटबद्धीकरण प्रौद्योगिकियों की एक सूची बनाएगी और केवल उन प्रौद्योगिकियों का देश में इस्तेमाल किया जा सकेगा जो इस सूची में हैं। इसका मतलब है कि सरकार भारत में इस्तेमाल हर कूटबद्धीकरण प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकेगी।
- आम तौर पर उपयोग आने वाले वेब आधारित एप्लिकेशनों और सोशल मीडिया साइटों जैसे व्हाट्स एप, फेसबुक और ट्विटर को इससे छूट दी गई है।
- ऐसे सभी कूटबद्ध उत्पादों जिनका भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन में इंटरनेट बैंकिंग, ई-कॉमर्स और भुगतान मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, को पासवर्ड आधारित लेनदेनों से छूट प्रदान की गई है।

आलोचना

- यह नीति लगभग सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेगी- अधिकतर उपयोगकर्ताओं को इस सन्दर्भ में जानकारी ही नहीं है कि वे कूटबद्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे है।
- इस नई नीति की सबसे बड़ी चिंता इस तथ्य के इर्द-गिर्द है कि उपयोगकर्ताओं और संगठनों को "मांगें जाने पर" सभी संचार को, लेन-देन की तारीख से 90 दिनों के लिए साधारण पाठ (प्लेन टेक्स्ट) में संदेशों को सुरक्षित रखना होगा और इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। भारत में अधिकांश उपयोगकर्ताओं को साधारण पाठ का अर्थ ही पता नहीं है और इस तरह के मामले में उन्हें सादे पाठ प्रारूप में अपने कूटबद्ध डेटा भंडारण नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस प्रकार इंटरनेट का उपयोग करने वाला लगभग हर कोई व्यक्ति अपने आप को इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पायेगा।
- किसी भी विदेशी संस्था के साथ संचार के मामले में, कूटबद्ध जानकारी के साथ-साथ पठनीय साधारण पाठ (रीडेबल प्लेन टेक्स्ट) उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी भारत में स्थित व्यवसाय या संबंधित नागरिक पर होगी।
- इसके अतिरिक्त भारत में या भारत के बाहर सेवा प्रदाताओं को जो किसी भी प्रकार की कूटबद्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, को सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। हालांकि इसे अव्यावहारिक माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर से कूट भाषा का उपयोग करने वाले कई सेवा प्रदाता आ रहे हैं। इन सभी को भारत सरकार के साथ एक समझौता प्रक्रिया का पालन करवाना अत्यधिक मुश्किल होगा।
- डेटा की एक प्रतिलिपि सुरक्षित रखने हेतु एक विशाल संग्रह क्षमता

VISION IAS

की आवश्यकता होगी जिसकी लागत उच्च होगी।

- इस बात का भी भय है कि नीति एक नये "पंजीकरण राज" को शुरू कर देगी, क्योंकि अब से भारत में इस्तेमाल की जाने वाली सभी कूटबद्धीकरण प्रौद्योगिकियों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रमाणित और सूचीबद्ध होने की आवश्यकता होगी।
- ऐसी कंपनियों के लिए जो निजी डेटा को स्टोर करती है, इसका तात्पर्य सादे पाठ में पासवर्ड संचय होगा और यह गोपनीय डाटा 90 दिनों के लिए साधारण भाषा मे उपलब्ध रहेगा, जिससे डेटा असुरक्षित रहेगा।
- सरकार ने कूटबद्धीकरण के लिए एल्गोरिदम और पुन: साधारण भाषा मे समझने हेतु कुंजी आकार निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है। इस व्यवस्था से सभी सूचनाओं और जानकारियों पर सरकारी नियंत्रण संभव हो जायेगा।

भारत को कूटबद्धीकरण नीति की जरूरत क्यों है?

- इंटरनेट संचार और लेनदेन की सुरक्षा तथा गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु कूटबद्धीकरण के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए।
- परिष्कृत कूटबद्धीकरण प्रौद्योगिकी के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपराधों और धमकियों की जांच की सुविधा के लिए।
- चूँकि यह वासेनार समझौते के तहत भारत के लिए उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रतिबंधित है अतएव कूटबद्धीकरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए।
- ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को इन्टरनेट के प्रयोग के द्वारा लेन देन, ई-प्रशासन आदि का प्रयोग करने के लिए आश्वस्त करना तथा देश के अविकसित साइबर सुरक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए।
- कूटबद्धीकरण के दुरुपयोग की जांच करने के लिए।

नीति की व्यापक रूपरेखा क्या होना चाहिए?

- नीति, कूटबद्धीकरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचारों को संभव बनाने का प्रयास करती है ताकि उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ता नवाचार के लिए प्रोत्साहित हों और उपभोक्ताओं को और अधिक सुरक्षित सूचना सेवाओं की पेशकश कर सकें।
- अप्रचलित असुरक्षित मानको को थोपने की बजाय नीति का लक्ष्य न्यूनतम मानक के माध्यम से सूचनाओं को सुरक्षित बनाना होना चाहिए।
- नीति को भारत में साइबर सुरक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
- कूटबद्धीकरण डेटा की पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी होना चाहिए और इसे सिविल अदालत की खुली न्यायिक सुनवाई के माध्यम से प्राप्त वारंट के माध्यम से अनुमति प्राप्त होना चहिये।
- नीति को देश के भीतर विनियमित तरीके से सूचना के उपयोग पर दिशा-निर्देश प्रदान करने चाहिए और हमारी सरकारी एजेंसियों की आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से संबंधित गंभीर मुद्दों की जांच के लिए उस सूचना तक पहुँच को सुनिश्चित करना चाहिए।
- नई नीति को ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कूट संकेत ग्राहक के वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने के लिए सशक्त हों।
- नीति को विश्व स्तर पर स्वीकार किए जाने वाली प्रौद्योगिकियों को निर्धारित करना चाहिए। चूँकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण गतिशील संकल्पना है इसलिए समय-समय पर पुनरीक्षण के माध्यम से अद्यतन करना चाहिए।

क्या होना चहिये-

सरकार सूचना हासिल करने की दिशा में कदम उठा रही है यह प्रशंसनीय है। साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद वास्तविक खतरें हैं और सरकार को उनसे लड़ने के लिए समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। इसके लिए एक ऐसी प्रक्रिया खोजने की आवश्यकता है जो गोपनीयता के अधिकारों और सुरक्षा चिंताओं के बीच एक उचित संतुलन बना सके ताकि निगरानी क्षमता का बेहतर विकास हो तथा प्रभावी रूप से ऐसे खतरों से निपटा जा सके।

गैर सरकारी संगठनों (NGO) को विदेशों से प्राप्त धन और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार ने गैरसरकारी संगठन ग्रीनपीस का पंजीकरण रद्द कर दिया।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)

- यह अधिनियम विभिन्न संगठनों को विदेशों से प्राप्त अंशदान या सहायता को विनियमित करता है।
- यह राजनीतिक प्रकृति वाले संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त करने पर रोक लगाता है।
- राष्ट्रीय हित अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक गतिविधियों के संचालन के लिए प्राप्त विदेशी अंशदान अथवा सहायता पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार प्राधिकृत है।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) से संबंधित मुख्य मुद्देः

- अधिनिमय मुख्यत: आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य पर आधारित है। किंतु यह केवल स्वैच्छिक क्षेत्र और संबंधित विदेशी अंशदान से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता है। दृष्टव्य है कि विदेशों से भारत में भेजी जाने वाली कुल धन राशि का यह महज एक प्रतिशत है।

VISION IAS

- अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित पंजीकरण की प्रक्रिया, इस कार्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी को अनेक विवेकाधीन शक्तियाँ सौपती है।
- 'विदेशी स्रोत' (Foreign Source), विदेशी सुविधा (Foreign hospitality) तथा आकलन आधारित व्यवसाय (Speculative business) जैसी अस्पष्ट और अपरिभाषित शब्दावलियों का प्रयोग अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है।
- अधिनियम सरकार को किसी भी संगठन को 'राजनीतिक प्रकृति' के संगठन के रुप में वर्गीकृत करने की शक्ति प्रदान करता है। अत: सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन के रुप में वगीकृत संगठन के विदेशी अंशदान पर रोक लगाई जा सकती है। यह विसंगति पूर्ण है कि अधिनियम, किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित करने का क्या आधार होना चाहिए, इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं प्रदान करता है।
- यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अधिनियम जिन उद्देश्यों से संबंधित है, उनमें से अधिकांश को गैर-कानूनी गतिविध रोकथाम अधिनियम (1967), मनी लांड्रिंग अधिनियम (2002), विदेशी मुद्रा लेन-देन प्रबंधन अधिनियम (1999) तथा आयकर अधिनियम (1961) के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।

विदेशी अंशदान प्राप्तकर्ता गैर सरकारी संगठनों से संबंधित मुद्दे

- गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले अनेक गैर सरकारी संगठनों के द्वारा आयकर रिटर्न नहीं दाखिल किया गया। विदेशी अंशदान अधिनियम (FCRA) के प्रावधानों के अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
- गैर सरकारी संगठनों के द्वारा प्राप्त धन के प्रयोग में व्याप्त अनेक संगठनों के द्वारा राजनीतिक अभियानों में सक्रिय भागीदारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- अनेक प्रख्यात गैर सरकारी संगठनों के द्वारा, भारत में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं का विरोध करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इस सन्दर्भ में विदेशी संस्थाओं के साथ इनकी साठ-गांठ की आशंका भी जताई जा रही है। इस प्रयास का उद्देश्य भारत की विकासात्मक क्षमता को क्षति पहुँचाना हो सकता है।

कुछ संगठनों पर -

- 'मानवाधिकारों' और 'सामाजिक सशक्तिकरण' के नाम पर विदेशी सहयोग के माध्यम से अतिवादी और अलगाववादी गतिविधियाँ संचालित करने के भी आरोप है।
- विदेशी अंशदानों का प्रयोग धर्मांतरण की गतिविधियों में किए जाने के आरोप भी कुछ संगठनों पर लगे है। दृष्टव्य है कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध है।

गैर सरकारी संगठनों की चिंताएँ –

- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के लिए पंजीकरण पिछले वर्षों की अपेक्षा अब अधिक जटिल हो गया है। अपेक्षाकृत बड़े आकार के (एन.जी.ओ.) की अपेक्षा छोटे गैर सरकारी संगठनों को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए कोष एकत्रित करने में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- बहुत से गैर सरकारी संगठनों का केवल कागजी अस्तित्व है। ऐसे संगठनों के कारण सभी गैर सरकारी संगठनों की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँची है। परिणामस्वरुप अनेक अन्य सामाजिक विकास के क्षेत्रों में भी आवश्यक कोष का अभाव उत्पन्न हो गया है।
- सरकार के द्वारा गैर सरकारी संगठनों और इनकी कार्यप्रणाली से संबंधित क्षेत्रों में सुधार –
- सरकार के द्वारा विदेशी अंशदान अधिनियम 2015 के द्वारा पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। इसके माध्यम से गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त होने वाले अनुदान का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।
- गृहमंत्रालय ने सभी प्रकार के विदेशी अंशदान और सहायता आदि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सम्पन्न किए जाना प्रस्तावित किया है।
- सरकार ने ऐसे सभी गैर सरकारी संगठनों (NGO) के लिए, एक वेबसाइट का संचालन करने का निर्णय लिया है जो अब तक स्वयं ऐसी वेबसाइट का निर्माण और संचालन करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं।
- गैर सरकारी संगठनों को विदेशों से प्राप्त किसी भी अनुदान की प्राप्ति से, 48 घंटे के अंदर संबंधित बैंक द्वारा गृहमंत्रालय को जानकारी दी जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों के द्वारा प्राप्त धन के सदुपयोग अथवा दुरुपयोग की निगरानी की जा सकेगी।
- सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण आदि से संबंधित प्रपत्रों की संख्या में कटौती की है। पंजीकरण, पंजीकरण के पुनर्नवीनीकरण तथा कार्यक्रमों के संचालन के लिए पुर्वानुमति प्राप्त करने के लिए एक ही निर्धारित प्रपत्र भरना होगा।
- सरकार विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के ऑडिट और पंजीकरण की प्रक्रियाओं के सरलीकरण का प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि सत्ता और गैर सरकारी संगठनों के मध्य मध्यस्थ संस्थाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इन प्रयासों का उद्देश्य है कि गैर सरकारी संगठनों को अपने कार्यो के संचालन के लिए नौकरशाही पर कम से कम निर्भर रहना पड़े।

VISION IAS

- जिन गैर सरकारी संगठनों को कोई भी विदेशी अंशदान नहीं प्राप्त होता है, उन्हें अंकेक्षक की रिपोर्ट की प्रमाणिकृत प्रति गृह मंत्रालय के विदेश-प्रभाग के समक्ष प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

आगे की दिशा -

- विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में जागरुक बनाना।
- सभी गैर सरकारी संगठनों को, पारदर्शी और स्पष्ट गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय कानूनों का पालन अनिवार्य रुप से करना होगा।
- जो संस्थाएँ भारत के राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करती है, उनसे निपटने के लिए विशेष रणनीति अपनाई जाएगी।
- गैर सरकारी संगठनों द्वारा धन का दुरुपयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दों का समाधान किया जाना आवश्यक है। इन बिंदुओं के स्पष्टीकरण के माध्यम से ही सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच उत्पन्न अविश्वास की भावना समाप्त की जा सकेगी।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक तथा अधोसंरचना विकास के उद्देश्य से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का शुभारम्भ किया है।

आवश्यकता

- ग्रामीण भारत को विकास को गति प्रदान करने वाले साधन के रूप में परिवर्तित करना।
- रोजगार तथा अन्य सुविधाओं की तलाश में गाँवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने हेतु अवसरों का निर्माण करना।

रुर्बन मिशन की मुख्य विशेषताएं

- अगले 3 वर्षों में पूरे देश में 300 रुर्बन समूहों का विकास किया जाएगा। ये विशेष क्षेत्र (क्लस्टर) आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त अवसरों से संपन्न होते हैं। कौशल तथा स्थानीय उद्यमशीलता के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना संबंधी सुविधाओं से संपन्न स्मार्ट गाँवों के समूह होते हैं।
- राज्य सरकारें, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्मित कार्यान्वयन संबंधी रुपरेखा के अनुसार इन क्लस्टरों की पहचान करेगी। इस रुपरेखा को क्लस्टर चयन की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार अंगीकार किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया में जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था, पर्यटन, तीर्थाटन महत्व आदि तत्वों पर आधारित होगी। इन क्षेत्रों से संबंधित परिवहन गलियारे के विकास की संभाव्यता पर भी इस प्रक्रिया में ध्यान रखा जाएगा।
- रुर्बन क्लस्टरों की फंडिंग, सरकार की क्लस्टर उन्मुखी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से की जायेगी।
- मिशन के तहत ऐसे रुर्बन क्लस्टरों के विकास को यथार्थ रूप देने के लिए, केंद्र की हिस्सेदारी के रूप में प्रत्येक क्लस्टर को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त फंडिंग सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इस अतिरिक्त सहयोग को क्रिटिकल गैप फंडिंग (सी.जी.एफ.) के नाम से जाना जाएगा।
- मिशन के अंतर्गत चौदह अनिवार्य घटकों की पहचान की गयी है जिसमें आधारभूत ढाँचे का प्रावधान, कृषि संबंधी मूल ढाँचे का विकास, बेहतर डिजिटल साक्षरता तथा कौशल विकास, पूर्णत: सुसज्जित चलायमान (मोबाइल) स्वास्थ्य इकाइयाँ तथा गाँवों के बीच सड़क सम्बद्धता सम्मिलित हैं।
- शोध, विकास तथा क्षमता निर्माण को सुगम बनाने के लिए मिशन में नवोन्मेष संबंधी बजट का भी प्रावधान है।
- इस योजना की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण तथा शहरी क्षेत्रों पर बोझ कम करने के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा है जिसका परिणाम संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा देश के विकास के रूप में सामने आयेगा।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.वाई.)

- खनिज मंत्रालय ने खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों तथा लोगों के विकास के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के लिए जिला खनिज फाउन्डेशन (डी.एम.एफ़.) द्वारा सृजित निधियों का उपयोग किया जाएगा।
- उड़ीसा में न्यायमूर्ति ए.पी. शाह आयोग ने अपनी अवलोकनात्मक टिप्पणी में कहा कि शक्तिशाली खनन कम्पनियां सम्बद्ध विभागों के साथ मिलकर खनन संबंधी कानूनों का उल्लंघन करती हैं तथा अवैध खनन गतिविधियों में संलग्न होती हैं।
- इसके अतिरिक्त, खनिज संपदा से परिपूर्ण क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय तथा प्रशासन-खननकर्ता गठजोड़ ने शक्ति का गंभीर असंतुलन उत्पन्न किया है।

लक्ष्य

- ऐसी विभिन्न विकासात्मक तथा कल्याणकारी परियोजनाओं को खनन प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित करना जो राज्य तथा केंद्र सरकार की वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की पूरक हैं।
- खनन गतिविधियों वाले जिलों में, खनन के दौरान तथा इसके पश्चात् पर्यावरण तथा आम जनता की सामाजिक-आर्थिक दशा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम स्तर पर लाना।
- खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक आजीविका सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएं

- उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों यथा पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा,

VISION IAS

स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, नारी तथा बाल कल्याण, उम्रदराज तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण पर उपलब्ध कुल राशि का कम से कम 60% हिस्सा व्यय किया जाएगा।

- जीवन की सहयोगात्मक परिस्थितियों तथा अनुकूल वातावरण के सृजन हेतु उपलब्ध शेष निधियों का उपयोग सड़कों, पुलों, रेल-लाइनों, जल मार्ग परियोजनाओं, सिंचाई तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर किया जाएगा।
- खनन संबंधी कार्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को भी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.वाई.) के अंतर्गत लाया जाएगा।
- परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र वे हैं, जहां खनन कार्यों के कारण जल, मृदा तथा वायु की गुणवत्ता में गिरावट आती है। ऐसे क्षेत्रों मे जल स्रोतों के प्रवाह में कमी तथा भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आती है तथा जनसंख्या की अधिक सघनता तथा प्रदूषण आदि समस्याएँ जन्म लेती हैं।
- इस प्रकार, सरकार समाज के साधनहीन वंचित-वर्गों, आदिवासी समूहों तथा वनवासियों आदि (जिन पर खनन गतिविधियों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ा है) को मुख्यधारा में लाने का मार्ग सुगम बना रही है।
- खान तथा खनिज (विकास तथा नियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 ने खनन संबंधी कार्यों के कारण प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउन्डेशन (डी.एम.एफ़.) बनाने तथा खनन की मार झेल रहे आदिवासी समुदायों के हितों के संरक्षण को अनिवार्यता प्रदान की है।
- जनता को अदा की जाने वाली पूरी रॉयल्टी का एक छोटा सा अंश खननकर्ताओं को जिला खनिज फाउन्डेशन (डी.एम.एफ़.) में प्रदान करना है। इस अंशदान से उत्पन्न निधि का उपयोग जिला खनिज फाउन्डेशन (डी.एम.एफ़.) के द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.वाई.) को कार्यान्वित करने की अपेक्षा की जाती है।

प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सुधार

- जिला खनिज फाउन्डेशन (डी.एम.एफ़.) परिषद् तथा इसकी कार्यकारी समिति में स्थानीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- स्थानीय लोगों द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन (डी.एम.एफ़.) द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के सामाजिक लेखा-परीक्षण का प्रावधान होना चाहिए।
- प्रभावित समुदायों को वर्तमान खदानों की निगरानी की शक्तियां प्रदान करना तथा सहमति आधारित प्रक्रियाओं में उन्हें सहभागिता प्रदान करना, इन प्रयासों का आधार बिंदु होना चाहिए। इस सन्दर्भ में खनन के प्रभावों के संबंध में समय-समय पर जिला-स्तरीय परामर्श सभा आयोजित कर क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
- खनन परियोजनाओं से सम्बंधित निर्णय प्रक्रिया को और अधिक सार्वजनिक छान-बीन (विशेषत: स्थानीय समुदायों) हेतु स्वतंत्र होना चाहिए।
- सार्वजनिक भागीदारी तथा स्थानीय जानकारी को संस्थागत ढाँचे में समायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि एक प्रभावी जिला खनिज फाउन्डेशन (डी.एम.एफ़.) के निर्माण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
- वर्तमान ढांचा अत्यधिक केंद्रीकृत है। जिन कार्यों के लिए समुदाय यह मानता है कि जिला खनिज फाउन्डेशन (डी.एम.एफ़.) के द्वारा इन कार्यों को किया जाना चाहिए, उनके लिए भी समुदायों को न तो योजना निर्माण की शक्ति है और न ही वे ऐसी योजनाओं को अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

असम में नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (रजिस्टर)(1951) का संशोधन

नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.), 1951 के अद्यतनीकरण से आप क्या समझते हैं?

- नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी, 1951 एक ऐसी पंजी है जिसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। इन पंजियों में 1951 की जनगणना के दौरान गणना में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति को सूचीबद्ध किया गया था।
- नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) के अद्यतनीकरण का अर्थ है 1971, 1951 तक की राष्ट्रीय पंजी, मतदाता सूची या 1971 तक निर्गत किसी भी अन्य स्वीकारणीय दस्तावेज (जो 1971 या उससे पूर्व असम में उनकी उपस्थिति को सिद्ध करता हो) के आधार पर नागरिकों (या उनके वंशजों) के नाम को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया।
- किसी अन्य राज्य का भारतीय नागरिक, जो दी गई नियत तिथि के बाद असम में जाकर बसा हो, ऐसे नागरिकों को राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) में सम्मिलित किये जाने की पात्रता नहीं रखता, तथापि वह अपने मताधिकार का प्रयोग जारी रख सकता है।

समाचारों की सुर्खियों में क्यों?

- इसे 1951 के बाद प्रथम बार सिर्फ असम राज्य में ही पुनर्संशोधित किया जा रहा है।
- इसके मार्च 2016 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।
- इस पूरी प्रक्रिया को भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्याधीन रखा गया है, तथा इसकी निगरानी सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय निगरानी समिति के द्वारा की जायेगी।

नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) के अद्यतनीकरण की आवश्यकता

©Vision IAS

- वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते के प्रावधानों का अनुपालन।
- असम में अवैध आप्रवासियों (जिनमे से अधिकाँश बांग्लादेश से आये हैं) के मुद्दे पर लगातार हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं। वर्ष 1971 के बाद राज्य में बसे लोगों को वापस भेजे जाने की मांग भी उठी है। नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) के अद्यतनीकरण से इस मुद्दे के समाधान की अपेक्षा है।
- यह बंगाली मुसलमानों को असम के समाज में सम्मिलित करने का उपाय है तथा इस समस्या को लोकतांत्रिक तरीके से हल करने का एकमात्र मार्ग है।
- इससे अवैध आप्रवासियों के रूप में माने जाने वाले बहुत-से लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण प्राप्त हो सकेगा।
- अवैध आप्रवासी कहकर अवांछित उत्पीड़न का शिकार बनाए गए परिवारों को इस उत्पीड़न से मुक्ति प्रदान की जा सकगी।
- इसका अद्यतनीकरण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से किया जा रहा है।

मुद्दे

1. वंश श्रंखला (legacy) से सम्बंधित आंकड़ों की प्राप्ति की समस्या

- जो लोग वर्ष 1966 से 1971 के बीच बसे थे, वे तब अवयस्क थे। वर्ष 1971 से पूर्व उनका नाम किसी मतदाता सूची में नहीं था।
- बहुत-से मुसलमान, जो विभाजन के दौरान दंगों के कारण असम छोड़ कर चले गए थे, वे बाद में लौट आये किन्तु उन्हें नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) 1951 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया जा सका।
- वर्तनी की अशुद्धियों तथा वास्तविक नामों की जगह उपनामों के समावेश के कारण सरकारी दस्तावेजों में नामों में गड़बड़ी पायी गयी। नाम असमी में दर्ज किये गए थे। इससे वंश श्रंखला (legacy) संबंधी आंकड़ों की पहचान तथा उनके प्रमाणीकरण में समस्या आयेगी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के नाम बाहर हो जाएंगें।
- सरकार ने वर्ष 1971 तक की सारी मतदाता सूचियों को उपलब्ध नहीं कराये जाने से लोगों में अत्यधिक असंतोष है।
- कई मूल निवासी जनजातियों की चिंता यह है कि उनके पास अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए वर्ष 1971 से पूर्व का कोई दस्तावेज नहीं है। उनकी पहचान के तरीके को अभी भी निश्चित किया जाना शेष है।

2. नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) के पुनर्संशोधन का विरोध

- सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी समादेश याचिका लंबित हैं जिसमें निर्दिष्ट वर्ष (कट-ऑफ) को वर्ष 1971 के स्थान पर 1951 रखने की मांग की गई है।
- वर्ष 1951 के नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) आंकड़ों के अपूर्ण होने के कारण, इस पर प्रश्न उठते रहे हैं।
- कुछ लोगों की राय में नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) का अद्यतनीकरण वर्ष 2014 की मतदाता सूची के आधार पर किया जाना चाहिए।
- कुछ लोग यह अनुभव करते हैं कि इस प्रकार के पुनर्संशोधन को सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

3. एन.आर.सी. में पुनर्संशोधन के पश्चात्

- नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) के पुनर्संशोधन के पश्चात् गैर पंजीकृत लोगों के साथ होने वाला व्यवहार एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा।

- असम समझौते के अनुसार, वर्ष 1971 के पश्चात् आये विदेशियों को बाहर निकाला जाना है। हालांकि ऐसा करना सरल नहीं है

और वर्ष 1985 से लेकर 2012 तक सरकार 55,000 चिन्हित अवैध अप्रवासियों में से सिर्फ 2500 को ही वापस भेज पायी है।

- नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एन.आर.सी.) से बाहर रह गए लोगों को वापस भेजने के लिए भारत को नेपाल तथा बांग्लादेश से प्रत्यावर्तन संधि करने की आवश्यकता होगी।
- अवैध अप्रवासियों के धर्मं आधारित पहचान के दावे किये गए हैं जिससे पुनर्वास की प्रक्रिया और जटिल बन सकती है। कुछ राजनीतिक दलों का दावा है कि बांग्लादेश से आने वाले हिन्दू विदेशी नहीं हैं तथा उन्हें नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए।

NRC and Controversies

Many question the **validity of the 1951 NRC** since it was incomplete

People complain that the **government has not made available all electoral rolls** up to 1971 in all districts. The government says it has provided whatever is available

Doubtful voters will have to have **their names cleared by the Foreigners Tribunal** before their inclusion in the NRC

One of the oft-repeated complaints is the **discrepancy in names in different government documents**, caused by misspelling of names and inclusion of nicknames instead of actual names

There has been concern from **indigenous tribes who may not have any pre-1971 documents to prove their identity**. While all original inhabitants of Assam are to be included in Assam, the modalities for the same have not been finalised

- चूँकि बांग्लादेश अवैध अप्रवासियों को वापस लेने को तैयार नहीं है, इसलिए पिछले चार दशकों से भारतीय मतदाता सूची में सम्मिलित और फोटो पहचान पत्रधारी मतदाता लाखों भारतीय नागरिक राज्य-विहीन हो जायेंगें।

मणिपुर लोक संरक्षण विधेयक, 2015

मुद्दा

मणिपुर विधानसभा द्वारा तीन विधेयक – मणिपुर लोक संरक्षण विधेयक, 2015, मणिपुर भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार (सातवाँ संशोधन) विधेयक, 2015 तथा मणिपुर दुकान तथा प्रतिष्ठान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किये जाने के बाद जनजातीय जिलों में दंगें भड़क गए।

पृष्ठभूमि

- ये विधेयक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड की तर्ज पर कई संगठनों के द्वारा इनर लाइन परमिट (आई.एल.पी.) को लागू करने की मांग के लिए दो माह के विरोध प्रदर्शन के परिणाम हैं। मणिपुर का प्रभावी 'मेइती समुदाय' वर्षों से मुख्य भूमि के भारतीयों को मणिपुर में प्रवेश पर रोक की मांग करता रहा है।

मणिपुर में इस विधेयक से संबंधित हाल के विरोध प्रदर्शनों के कारण

- जनजातीय निवासियों का यह दावा है कि मणिपुर भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार (सातवाँ संशोधन) विधेयक, 2015 राज्य में आप्रवासी कामगारों द्वारा भूमि खरीदने की प्रक्रिया को आसान बना देगा। मणिपुर भूमि सुधार विधेयक निश्चित रूप से सारी भूमि को सरकार के अधीन कर देता है जिसमें जनजातीय भूमि भी सम्मिलित है।
- कुकी तथा नागा समुदायों में जनजातीय जनसंख्या (जिनकी भूमि को जनजातीय निवासी होने के आधार पर छठी अनुसूची के आधार पर संरक्षण प्राप्त है) का विश्वास है कि यह मेइती समुदाय वाली सरकार का जनजातीय लोगों की भूमि हड़पने तथा उनकी जनसंख्या को हाशिये पर लाने की एक चाल है। राज्य में स्थित जनजातीय भूमि को पारंपरिक (प्रथा जन्य) कानून के अंतर्गत रखा जाता है तथा इसे केवल किसी अन्य जनजातीय व्यक्ति को ही बेचा जा सकता है।
- मणिपुर लोक संरक्षण विधेयक, 2015 में मूल निवासियों की पहचान हेतु आधार वर्ष 1951 नियत किया गया है। इसे लेकर अधिकांशत: पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले कुकी, मिजो तथा चिन जनजातियों के लोगों का कहना है कि जनजातीय परिषदों ने वर्ष 1971 से पूर्व का रिकॉर्ड नहीं रखा है, इसलिए इसका परिणाम उनका बहिष्करण हो सकता है।
- इस बात की भी आशंका है कि अन्य अधिनियमों में "मणिपुर निवासियों" की परिभाषा का प्रयोग मणिपुर के लोगों को सेवाओं, सुविधाओं तथा आराम से वंचित करने अर्थात् जनजातीय लोगों को सरकारी नौकरियों, सामान्य विद्यालय-महाविद्यालय, चिकित्सा-शास्त्र तथा अभियांत्रिकी में नामांकन में राज्य कोटा पाने से वंचित करने के लिए किया जा सकता है।

इनर लाइन परमिट प्रणाली (आइ.एल.पी.एस.)

इनर लाइन परमिट, गैर-अधिवासी नागरिकों के किसी प्रतिबंधित जोन में प्रवेश को नियमित करता है। ब्रितानी इस प्रणाली का प्रयोग पहाड़ों से

आने वाली हमलावर जनजातीय समुदायों से पूर्वोत्तर के अपने राजस्व क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए किया करते थे। वर्तमान समय में इनर लाइन परमिट (आई.एल.पी.) के प्रयोग को पहाड़ी राज्यों की छोटी जनजातीय आबादियों की जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक एकता को संरक्षण देने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में, इसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड में लागू किया गया है।

मणिपुर में इनर लाइन परमिट (आई.एल.पी.) की मांग के कारण

- वर्तमान समय में मणिपुर में भारत के किसी भी भाग से आने वाले नागरिकों के प्रवेश पर रोक नहीं है। जनसंख्या वृद्धि ने मणिपुर के निवासियों के मन में एक आकस्मिक भय उत्पन्न कर दिया है।
- मणिपुर के लोग बाहरी लोगों को रोजगार के अवसरों तथा अपनी संस्कृति के लिए खतरा समझते हैं। वर्तमान में बहुत-सी आर्थिक गतिविधियाँ यथा दुकानें, छोटे व्यवसाय आदि आप्रवासियों द्वारा संचालित की जा रही हैं जिससे वहाँ के स्थानीय निवासियों के हितों को खतरा उत्पन्न होता है।
- बहुधा अवैध आप्रवासन के कारण साम्प्रदायिक झगड़े तथा हिंसा उत्पन्न होती है।

इनर लाइन परमिट सिस्टम (आई.एल.पी.एस.) की आलोचनाएँ

- इनर लाइन परमिट सिस्टम (आई.एल.पी.एस.) देश के एक छोर से दूसरे छोर तक मुक्त भ्रमण, समता, देश के किसी भी भू-भाग में शान्ति के साथ निवास करने आदि जैसे संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है।
- इनर लाइन परमिट सिस्टम (आई.एल.पी.एस.) मणिपुर को और अलग-थलग तथा बंद समाज मे परिणत कर देगा। इससे अधिक असुरक्षा उत्पन्न होगी तथा राज्य की अखण्डता में अत्यधिक संवेदनशीलता उत्पन्न होगी।
- अप्रवासन से अल्पविकसित पूर्वोत्तर के राज्यों को चिकित्सकीय तथा शैक्षिक आदि सुविधाएं अन्य राज्यों से प्राप्त करने में सहायता मिलेती हैं। इसलिए, लोगों को इनर लाइन परमिट (आई.एल.पी.) के स्थान पर प्रवासन को नियमित करने वाले सार्थक प्रावधानों वाले कानून की मांग करनी चाहिए।

समाधान

- राज्य में यथाशीघ्र शान्ति तथा सामान्य स्थिति बहाल करना तात्कालिक आवश्यकता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है जान-माल की हानि को रोकना जिससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और बिगड़ सकती है।
- किसी भी भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को इन विधेयकों को पारित करने से पूर्व, पहाड़ी क्षेत्र समिति से विचार-विमर्श करना चाहिए था। इसलिए उनके बीच एक प्रभावी विमर्श की आवश्यकता है।
- अवैध प्रवासन से विशेषत: राज्य की सुरक्षा को अधिक खतरा है। हाल ही में असम में हुआ बोडो-मुसलमान टकराव का कारण हाशिए पर धकेले जाने तथा भूमि से वंचित कर दिए जाने का डर था। इसलिए, मणिपुर में विभिन्न नस्लीय समूहों के हितों को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

विधि आयोग ने मृत्यु दण्ड के उन्मूलन की अनुशंसा की

- विधि आयोग ने "मृत्यदंड" शीर्षक नाम से अपनी 262वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में आयोग ने आतंकवाद संबंधी अपराधों तथा राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामलों को छोड़ कर अन्य सभी मामलों में मृत्युदंड के उन्मूलन की अनुशंसा की।

पृष्ठभूमि

- मृत्युदंड पर बहस कोई नयी बात नहीं है, तथा मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए वर्ष 1931 में ही भारत में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में भी डॉ. आम्बेडकर ने मृत्युदंड का विरोध किया था।
- इसके पूर्व विधि आयोग ने अपनी 35वीं रिपोर्ट में मृत्युदंड को बरकरार रखने का समर्थन किया था।

मृत्युदंड के उन्मूलन हेतु आयोग द्वारा दिए गए तर्क

- इस बात के समर्थन में कोई निश्चायक प्रमाण नहीं है कि मृत्युदंड का, आजीवन कारावास से अधिक निवारक प्रभाव होता है।
- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार, हत्या के दर में कमी वर्ष 1992 के पश्चात् फांसी देने के दर में तदनुसार होने वाली कमी से मेल खाती है।
- अक्षमता प्रदान कर देने के उद्देश्य से यह एक अत्यधिक कठोर दण्ड है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि "प्रतिफलात्मक दण्ड संवैधानिक मूल्यों पर आधारित नहीं है" (शत्रुघन चौहान मुकदमा)।
- मृत्युदंड के फलस्वरूप सुधार की कोई गुंजाइश शेष नहीं रहती।
- संवैधानिक व्यवस्था में लोक मत को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गयी है।
- मृत्युदंड पर बल देने से न्याय के, पुनरुद्धार तथा पुनर्वास जैसे पहलुओं की उपेक्षा होती है।
- उन समस्याओं से ध्यान भंग होता है जिन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली को पंगु बनाया हुआ है, यथा खराब जांच, अपराध की रोक-थाम और अपराध के शिकार व्यक्ति के अधिकार।
- स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने भी मृत्युदंड की अपेक्षाकृत उच्च दर के कारण "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" की कसौटी (बचन सिंह मुकदमा)

VISION IAS

पर संदेह व्यक्त किया है।

- रावजी राव जैसे मामलों मे आपराधिक न्याय प्रणाली की असफलता।
- अनुच्छेद 72 तथा 161 के अंतर्गत राज्य क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग भी, न्याय प्राप्त न होने की स्थिति मे अंतिम बचाव के रूप में प्रयोग करने में असफल रहा है।

मृत्युदंड के पुनर्मूल्यांकन के कारण

- वर्ष 1967 में विधि आयोग ने देश के आकार, इसकी जनसंख्या की विविधता तथा इस विशाल देश में विधि-व्यवस्था बनाए रखने की बाध्यता को देखते हुए मृत्युदंड के उन्मूलन के प्रस्ताव को नकार दिया था। तब से लेकर अब तक भारत बहुत-से परिवर्तनों से गुजरा है, यथा अपेक्षाकृत उच्च राष्ट्रीय वेतनमान, विकास में बदलाव, 1973 में आपराधिक प्रक्रिया के नए कोड का आगमन तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के मानदण्ड का सशक्त होना। राजनीतिक दलों द्वारा मृत्युदंड के उन्मूलन की मांग तथा न्यायिक सुधार भी इन परिवर्तन में शामिल हैं।
- भारतीय न्यायिक व्यवस्था के पास संसाधनों की कमी, अत्यधिक बोझ से दबा हुआ पुलिस बल तथा अप्रभावी अभियोजन जैसी परिस्थितियों मे, मृत्युदंड प्रदान करने की प्रक्रिया के अनुचित रूप से लागू किये जाने का खतरा बना रहता है। इस प्रकार, फांसी पर चढ़ने वाले अधिकतर लोग निर्धन होते हैं क्योंकि वे स्वयं पर लगे आरोपों से बचाव हेतु पर्याप्त व्यय करने में समर्थ नहीं होते हैं।
- भारत में मृत्युदंड की सजा जारी है, जबकि 140 देशों ने इसे कानून द्वारा या व्यवहारिक रूप से समाप्त कर दिया है।

खबरों में यह भी

ई-शासन

महाराष्ट्र में आवश्यक सेवाओं की सुविधा ऑनलाइन होगी

- महाराष्ट्र जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीकरण, मूल निवास, अधिवास संबंधी दस्तावेज जैसी आवश्यक सेवाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बन गया है।
- इसने सेवा का अधिकार अधिनियम, अधिनियमित किया है, जिसके अंतर्गत 224 सेवाओं की गारंटी दी गयी है।

सेवा का अधिकार अधिनियम

- यह राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों को निर्धारित अवधि में, निश्चित की गई सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य करता है।
- महाराष्ट्र को सम्मिलित करते हुए, भारत में ऐसे 20 राज्य हैं जहां इसी प्रकार के कानून हैं।
- ऐसा करने वाला सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश था, जिसने वर्ष 2010 में सेवा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया।

दक्षिण-एशिया में शहरीकरण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

- दक्षिण-एशिया का शहरीकरण "अस्तव्यस्त और मिश्रित" है। इनमें अनुमानित रूप से 130 मिलियन दक्षिण-एशियाई अस्थायी बस्तियों अथार्त स्लम (झुग्गी बस्तियों) और अव्यवस्थित रूप से विकसित क्षेत्रों में निवास करते हैं।
- अघोषित शहरीकरण ऐसी बस्तियों में निवास करने वाली भारत की विशाल जनसंख्या के संदर्भ में एक ऐसी स्थिति है जिसमें शहरी विशेषताएं तो हैं परंतु ये आधिकारिक रूप से शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं।
- शहरी जनसंख्या की वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को होने वाले पलायन से प्रेरित नहीं है, जैसा कि सामान्य रूप से समझा जाता है। रिपोर्टों के अनुसार भारत में वर्ष 2001 और 2011 के बीच 44% शहरी जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि के कारण थी और 29.5% वृद्धि ग्रामीण बस्तियों के जनगणना कस्बों के रूप में पुनर्वर्गीकरण के कारण थी।

> शहरीकरण का महत्व:
>
> विश्व की 54% से अधिक जनसंख्या अब शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जो विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80% निर्मित करती है, दो तिहाई वैश्विक ऊर्जा का उपभोग करती है और 70% ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। शहरीकरण आर्थिक गतिविधियों का संकेन्द्रण करता है, उत्पादकता को उन्नत करता है और विशिष्ट रुप से विनिर्माण और सेवाओं में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है।

- रिपोर्ट ने शहरीकरण की प्रक्रिया मे निहित आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए नीतिगत और संस्थागत स्तर पर पहल किये जाने का आह्वान किया।
- शहरी शासन प्रणाली की निम्नलिखित तीन आधारभूत कमियों का समाधान करने के लिए सुधारों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

1. स्थानीय प्रशासनिक निकायों का पर्याप्त सशक्त न होना - सशक्तीकरण की प्रक्रिया तीव्र करने हेतु अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधों को अवश्य सुधारा जाना चाहिए।
2. संसाधनों की कमी– स्थानीय सरकारों के लिए उपलब्ध संसाधनों मे वृद्धि हेतु व्यावहारिक उपायों की पहचान की जानी चाहिए ताकि वे अपेक्षित कार्यों का निष्पादन कर सकें।
3. उत्तरदायित्व की कमी– स्थानीय सरकारों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने हेतु क्रियाविधियों को अनिवार्य रूप से सशक्त किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- अव्यवस्थित शहरीकरण को नियंत्रित करने और समृद्धि व निवास करने योग्य परिस्थितियों में स्थायी सुधार लाने के लिए निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों में नीतियों की आवश्यकता है -

1. शहर नियोजन व उपायों के उन्नतिकरण के लिए।
2. भूमि और आवासीय बाजारों की कार्यप्रणाली, और शहरों के बीच संपर्क सूत्र स्थापित करने में।
3. प्राकृतिक आपदाओं तथा जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों के प्रति शहर की सहनशीलता (resilience)

गाँव से शहर के रूप मे संक्रमण की प्रक्रिया को समावेशी बनाना एक बड़ी चुनौती हैं। संक्रमण की यह प्रक्रिया एक ऐसे परिवेश का निर्माण करे, जहाँ युवाओं (विशेष रूप से महिलाएं) को अवसर और रोजगार उपलब्ध हों तथा सशक्त सेवा अवसंरचना विकसित हो। यदि उचित रूप से प्रबंधित किया जाए, तो शहरीकरण संधारणीय वृद्धि प्रदान कर सकता है।

> प्रश्न:
>
> 1. भारत में महानगरीय शहरों के सुधार में प्रति-शहरीकरण का महत्व। (यू.पी.एस.सी. प्रथम प्रश्नपत्र 2011)
>
> 2. भारत में विविध राज्यों के बीच शहरीकरण की स्थिति की जांच कीजिए और स्थानिक असमानताओं को स्पष्ट कीजिए। (यू.पी.एस.सी. प्रथम प्रश्नपत्र 2009)

आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा विशेष न्यायालय विधेयक पारित

आंध्र प्रदेश विधान सभा ने विशेष न्यायालयों के गठन के लिए विशेष न्यायालय विधेयक, 2015 पारित किया।

विधेयक के महत्वपूर्ण उपबंध

- आन्ध्र प्रदेश में विशेष न्यायालयों का गठन करके लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना।
- लोक सेवकों द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को पुनर्प्राप्त करने के लिए राज्य को सक्षम करना।
- पुनर्प्राप्त धन का राज्य के विकास व सार्वजनिक कल्याण तथा प्रयोजन हेतु उपयोग करना ।
- लोक सेवकों में जन-प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी, दोनों ही सम्मिलित हैं। इससे पहले, बिहार और ओडिशा ने गलत तरीके से अर्जित सम्पत्ति को पुनर्प्राप्त करने के लिए ऐसे ही कानून प्रस्तुत किए और और उन्हें सार्वजनिक प्रयोजन हेतु प्रयोग किया।

विचाराधीन मामलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का पोर्टल

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एन.जे.डी.जी.) से संबंधित पोर्टल का उद्घाटन किया। इसका प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया जा सकेगा।

पोर्टल के विषय में

- वेबपेज ई-कोर्ट.जीओवी.इन/सर्विसेज (ecourts.gov.in/services) देश भर में जिला न्यायपालिकाओं में विचाराधीन मामलों के समेकित आंकड़े देगा।
- यह राष्ट्रीय और राज्य, जिला तथा न्यायालय वार सूचना का प्रसार भी करेगा।
- यह वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं द्वारा दायर मामलों से संबंधित आंकड़ों का पृथक विवरण भी प्रदान करेगा।
- विचाराधीनता के आंकड़ों को दैनिक आधार पर जिला अदालत परिसरों द्वारा अद्यतन किया जाएगा।
- यह पहल पारदर्शिता और न्याय प्रदायक प्रणाली के सभी हितधारकों के लिए सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु है।

> न्यायपालिका में मामलों की विचाराधीनता
>
> - करीब तीन करोड़ मामले भारतीय अदालतों में विचाराधीन हैं।
> - भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में सभी विचाराधीन मामलों का विचारण समाप्त करने के लिए पाँच वर्ष की समय सीमा निर्धारित की है।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के विषय में

- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन.जे.डी.जी.), न्यायालयों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के माध्यम से समर्थ बनाने तथा, न्याय प्रदायक प्रणाली का रूपांतरण करने हेतु, वर्तमान में चल रही ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना का भाग है।
- राष्ट्रीय न्यायायिक डाटा ग्रिड (एन.जे.डी.जी.), विचाराधीन मामलों के सन्दर्भ को जानने, प्रबंधित करने और कम करने हेतु निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करेगा।
- यह व्यवस्था में मामलों के निपटारे मे होने वाले विलंब और अत्यधिक संख्या को कम करने के लिए नीतिगत निर्णयों हेतु समय पर जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया में भी सहयोग करेगा।
- यह न्यायालयों के कार्य निष्पादन और प्रणालीगत बाधाओं की बेहतर निगरानी को सुगम करेगा और इस प्रकार बेहतर संसाधन प्रबंधन को सुनिश्चित करता है।
- राष्ट्रीय न्यायायिक डाटा ग्रिड (एन.जे.डी.जी.) में किशोर न्याय प्रणाली से संबंधित मामलों को सम्मिलित करते हुए सभी वर्गों के मामलों को सम्मिलित करेगा।

VISION IAS

कमजोर मानसून की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को राहत देने के लिए उठाए गए कदम

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों में घर-परिवारों को मनरेगा के अन्तर्गत अतिरिक्त 50 कार्य दिवसों का आवंटन।
- प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के लिए डीजल सब्सिडी योजना।
- प्रभावित क्षेत्रों में बीज सब्सिडी पर उच्चतम सीमा को बढ़ाना।
- सूखा प्रभावित जिलों/ प्रखण्डों में किसानों को उद्यान कृषि फसलों को बचाने, अतिरिक्त चारा उत्पादन के लिए किए जाने वाले प्रयासों के उचित संयोजन को अपनाने के लिए, मौद्रिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्यों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत आवंटित कोष के लगभग 5 से 10% भाग को, पथभ्रष्ट मानसून के अग्रिम प्रभाव को कम करने के लिए उचित कदमों को उठाए जाने हेतु अलग से सुरक्षित रखने की सलाह दी गयी है।

सुझाव

- किसानों और कृषि उत्पादन के औद्योगिक उपभोक्ताओं के बीच बिचौलियों को समाप्त करना।
- भारत के गांवों को कस्बों के बाजार से जोड़ने वाली सड़कों और फसलों की कटाई-उपरांत फसल संग्रहण जैसी आधारभूत अवसंरचना के विकास में और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।
- जल की कमी – कम वर्षा और रिक्त हुए जलस्रोतों (aquifans) दोनों के ही कारण जल की कमी अब भारत के विशाल भागों में एक वास्तविकता है। इसलिए सूखा प्रतिरोधी प्रजातियों, बेहतर सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंक्लर सिंचाई जैसी बेहतर सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता है।

भारत में जल नीति

प्रख्यात जल गुणवत्ता विशेषज्ञ श्री रामास्वामी आर. अय्यर इस महीने दिवंगत हो गए। उन्होंने वर्ष 1987 में भारत की प्रथम जल नीति का प्रारूप निर्मित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। भारत ने वर्ष 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति को अंगीकार किया और इसके बाद इसे वर्ष 2002 और वर्ष 2012 में अद्यतित किया।

राष्ट्रीय जल नीति 2012: मुख्य विशेषताएं

- राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कानून: इसके द्वारा केंद्र, राज्यों और स्थानीय स्वशासी निकायों के बीच संबंधों को आधार प्रदान करने वाले सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के सर्वोत्तम विकास हेतु सर्वसमावेशी विधान का निर्माण किया जाना चाहिए।
- जल के उपयोग: सभी नागरिकों को पेय जल की न्यूनतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जल के सर्वोत्तम उपयोग, समुदाय आधारित जल प्रबंधन को संस्थागत रूप दिया जाना और सुदृढ़ किया जाना चाहिए इत्यादि।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन: जलवायु के प्रभावों को सहने में सक्षम प्रौद्योगिकीय विकल्प अपनाने के लिए समुदाय की क्षमताओं को बढ़ाकर विकेन्द्रित प्रयासों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- उपयोग हेतु उपलब्ध जल की मात्रा को बढ़ाना।
- मांग प्रबंधन और जल उपयोग की दक्षता: जल के दक्ष उपयोग को प्रोत्साहित करने और लाभदायक बनाने के लिए जल फ्रुटप्रिंट और जल लेखा परीक्षा को विकसित किया जाना चाहिए।
- जल मूल्य निर्धारण: जल का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए यह इसके कुशल उपयोग और संरक्षण पारितोषिक को सुनिश्चित करे।
- नदी गलियारों, जल निकायों और अवसंरचना का संरक्षण।
- बाढ़ और सूखा प्रबंधन।
- जल आपूर्ति और स्वच्छता।
- संस्थागत व्यवस्थाएं: भागीदार राज्यों के बीच विचार-विमर्श करने और आम सहमति, सहयोग और समन्वय (सुलह) विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच (फोरम)।
- सीमाओं के आर-पार प्रवाहित होने वाली नदियां: पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल आंकड़ों का तात्क्षणिक रूप से विनिमय हेतु समझौते संपन्न करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
- डेटाबेस और सूचना प्रणाली: पूरे देश से नियमित रूप से जल आंकड़ों को एकत्रित करने, व्यवस्थित करने और संसाधित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।
- अनुसंधान और प्रशिक्षण आवश्यकताएं: जल नीति में अनुसंधान के लिए एक स्वायत्त केंद्र भी स्थापित किया जाना चाहिए।

भारतीय रेलवे-सुरक्षा और संरक्षा

यह योजना हाल के महीनों में रेलवे दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि के बीच आई है।

- रेलवे द्वारा शून्य दुर्घटना मिशन आरम्भ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पटरियों के नवीनीकरण, अधिक रेलवें पुलों, बेहतर सिग्नल प्रणाली के प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा कार्यक्रम का उद्देश्य दुर्घटनारोधी रेल के डिब्बों और इंजनों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- अपेक्षा है कि एक बार पूरी तरह से कार्यान्वित होने के बाद, दुर्घटना की दर कम हो जाएगी और गति में सुधार होगा, सुविधाएं उन्नत होंगी, सेवा की गुणवत्ता उच्च हो जाएगी और राजस्व में वृद्धि री होगी। इसके माध्यम से यात्रियों को यात्रा का सुखद अनुभव प्रदान किया जा सकेगा।

VISION IAS

- इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने अगले पांच साल में 8.5 लाख करोड़ रु. के निवेश की योजना बनाई है।
- अनेक विकल्पों में से एक जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.), विश्व बैंक जैसी संस्थाओं और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों से उपयुक्त ऋण प्राप्त करना है, जो अगले 30-40 वर्षों में राजस्व में बढ़ोत्तरी के माध्यम से चुकाया जाएगा।
- इसके अलावा रेलवे, लेखा प्रणाली में बदलाव लाकर, पारदर्शिता और रेलवे की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है, जो निवेशों को आकर्षित करने का प्रमुख तत्व है। वाणिज्यिक लेखा अपनाने हेतु प्रवृत्त होना, रेलवे पुनर्गठन हेतु गठित बिबेक देबरॉय पैनल की प्रमुख अनुशंसाओं में से एक था।

सातवां वेतन आयोग

न्यायमूर्ति ए.के. माथुर की अध्यक्षता वाला यह आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था। समिति की अनुशंसाओं का 1 जनवरी, 2016 से लागू होना निर्धारित किया गया है।

- सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने के लिए लगभग हर 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन करती है और इन्हें राज्यों द्वारा प्राय: कुछ संशोधनों के बाद स्वीकार कर लिया जाता है।
- लगभग 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनभोगियों को वेतन आयोग द्वारा लाभान्वित किया जाएगा।
- सातवें वेतन आयोग द्वारा पैदा होने वाला वित्तीय बोझ निश्चित रूप से राजकोष पर एक अतिरिक्त भार डालेगा। इसका कारण यह है कि सरकार को वन रैंक वन पेंशन कार्यक्रम (ओ.आर.ओ.पी.) के व्यय का प्रबंध भी करना होगा। विशेषज्ञों को कहना है कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केन्द्र सरकार के वेतन संबंधी व्यय 9.5% बढ़कर 1,00,619 करोड़ रुपए हो जाएगा।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कारण वर्ष 2007-08 और वर्ष 2011 के बीच संघ सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते दोगुने से भी अधिक होकर 74,647 करोड़ रु. से 166,792 करोड़ रु. हो गए।

सामाजिक मुद्दे

भारतीय संस्थानों की रैंकिंग के लिए रूपरेखा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा (NIRF) प्रस्तुत की।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा क्या है?

- इस रूपरेखा ने देश भर के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग हेतु अपनायी जाने वाली पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत की है ।
- हालांकि रैंकिंग रूपरेखा सभी के लिए समान हैं इस कार्य के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्य पद्धति अपनाई जाएगी। इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों के लिए रैंकिंग पद्धति घोषित की जा चुकी है। जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए जल्द ही घोषणा की जाएगी ।
- यह रूपरेखा भारतीय दृष्टिकोण का पालन करती है। यह भारत केंद्रित मानकों को सम्मिलित करती है जैसे विविधता एवं समग्रता। इनके अतिरिक्त उत्कृष्टता अध्यापन, अध्ययन और अनुसंधान जैसे क्षेत्र भी प्रमुख कसौटी होंगें।
- ये सभी मापदंड इन पांच शीर्षकों के अन्तर्गत आते है:-

1. अध्यापन , अध्ययन और अनुसंधान – ये मापदंड सीखने की किसी भी स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित हैं। ये प्राध्यापकों की संख्या गुणवत्ता, पुस्तकालय, प्रयोगशाला संसाधनों और युवा व्यक्तियों के विकास हेतु सामान्य सुविधाओं को मापने पर जोर देते है।
2. अनुसंधान, परामर्श और सहयोगात्मक प्रदर्शन – ये मापदंड अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ो के आधार पर शोध निष्कर्षों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों का मापन करते हैं, इन्हें बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के निर्माण, उद्योगों और सहयोगी पेशेवरों के बीच सहभागिता के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

   स्नातक उपलब्धियां - स्नातक स्तर पर सीखने की गतिविधि की प्रभावशीलता का सटीक परीक्षण करने का साधन है। और छात्रों के उद्योग और सरकार में उपयुक्त नियुक्ति पाने या उच्च अध्ययन प्राप्त करने में उनकी सफलता की संभावनाओं के आकलन का पैरामीटर है।
3. समावेशिता- रैंकिंग रूपरेखा, छात्रों, अध्यापकों एवं संस्था की पहुँच समाज के कितने बड़े हिस्से तक है, इस तथ्य पर ध्यान देती है। क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों में महिलाओं व सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व पर जोर देती है।
4. अवधारणा अनुभूति- रैंकिंग कार्यप्रणाली, संस्थान से सलंग्न सभी हितधारक उसके प्रति क्या अवधारणा रखते हैं इसे महत्व देता है।

5. इस अवधारणा का निर्धारण हितधारको के द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

NIRF की उपयोगिता

- माता-पिता, छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक संस्थानों और अन्य हितधारकों को निर्धारित मानकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करने में सक्षम बनाएगा और एक पारदर्शी प्रक्रिया का निर्माण करेगा।
- यह संस्थानों की रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उत्पन्न करेगा।
- ऐसे संस्थान जिन्होंने अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में काम किया है तथा जिनके द्वारा पिछले कुछ समय मे और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है, उन्हें इस व्यवस्था का लाभ होगा।
- यह रूपरेखा भारतीय संस्थानों को, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पूर्वाग्रह से मुक्त एक प्रतियोगी मंच प्रदान करती है।

हमें इसकी आवश्यकता क्यों है?

- अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग पूरी तरह से भारतीय वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है।
- अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसियों द्वारा हमारे संस्थानों के समावेशन और क्षेत्रीय भाषाओं में किए गए निकाय के काम पर विचार नहीं किया जाता ।
- भारतीय विश्वविद्यालयों की उत्पादकता को मापने के लिए मानक प्रदान करना और उनके बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण विकसित करना।
- नए संस्थानों को पुराने संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए समान स्तरीय क्षेत्र प्रदान करना।
- संस्थानों में सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना।

रैंकिंग के साथ चुनौतियां: भारतीय संदर्भ में

- उच्च शिक्षा के कई पहलुओं पर विश्वस्त आंकड़ों की कमी है। विश्वविद्यालयों के सभी पहलुओं पर विश्वसनीय आंकड़ों की कमी के चलते रैंकिंग की सार्थकता सीमित हो जाती है।
- रैंकिंग को सार्वजनिक विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए वरना इसकी सार्थकता सीमित होकर रह जायेगी।
- हालांकि कुछ निजी संस्थान नवाचारी रहे है और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सभी संस्थानों से, यह अपेक्षित नहीं होगा। कुछ विश्वविद्यालयों के पास कम आंकड़ें उपलब्ध हो सकते हैं और कुछ उपलब्ध होने के पश्चात् भी देने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं।
- आमतौर पर रैंकिंग में इस्तेमाल होने वाला मानक, शिक्षक/छात्र अनुपात, वास्तविक शिक्षण गुणवत्ता को मापने का सही मापदंड नहीं है।
- अधिकतर रैंकिंग प्रक्रियाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित पत्रिकाओं में शामिल होने वाले लेखों की संख्या को आधार बनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भारतीय पत्रिकाओं की कमी है। यही कारण है कि भारतीय शिक्षाविदों के प्रकाशनों के प्रभाव या प्रयोजन के मूल्यांकन का कोई सटीक तरीका नहीं है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

बच्चों से संबंधित त्वरित सर्वेक्षण (2013-14)

महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- किसी भी राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में अविकसित और सामान्य से कम वजन वाले बच्चों के अनुपात में हुई वृद्धि की सूचना नहीं दी है ।

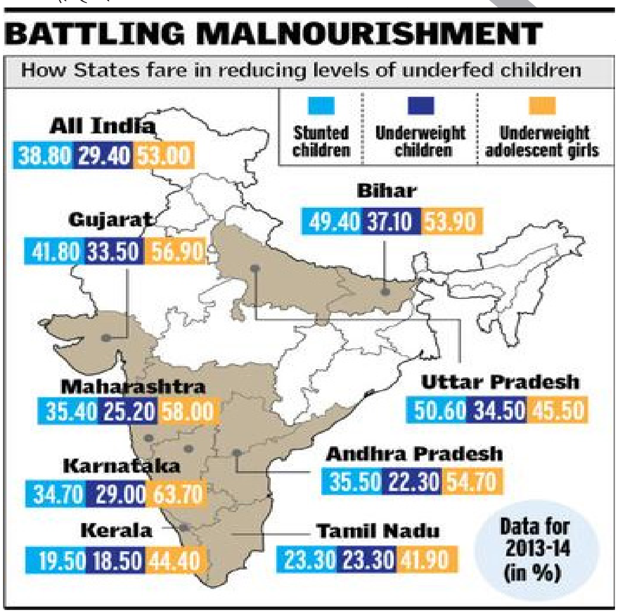

- सभी राज्यों ने सामान्य से कम वजन वाली किशोरियों की संख्या में कमी लाने को कम करने के सन्दर्भ में खराब प्रदर्शन किया है।
- राष्ट्रीय स्तर पर अपने आयु समूह की तुलना मे ऊँचाई मे कम वृद्धि की समस्या शहरी क्षेत्रों (प्रतिशत 32.1) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (41.7 प्रतिशत) में अधिक है। यही स्थिति कम वजन वाले बच्चों के लिए भी है।
- तमिलनाडु, पशिचमी बंगाल, उत्तराखंड और त्रिपुरा केवल ऐसे राज्य है जिन्होंने सामान्य से कम वजन वाली किशोरियों की संख्या के अनुपात को कम किया है।
- केरल राज्य ने अविकसित बच्चों की समस्या के सन्दर्भ में हुई कमी के क्षेत्र सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।
- मणिपुर और मिजोरम राज्य में कम वजन वाले बच्चों की सबसे कम संख्या है।
- उत्तर प्रदेश में अभी भी अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है,जिनमे से पांच साल की उम्र तक वाले बच्चों का प्रतिशत 50 से अधिक हैं ।
- झारखण्ड राज्य मे पांच साल से कम वजन वाले बच्चों की संख्या उच्चतम स्तर पर है ।
- विकसित राज्यों में, केवल गुजरात ने अविकसित बच्चों के मामलों में और कम वजन वाले बच्चों की संख्या को कम करने में, राष्ट्रीय औसत से भी बदतर प्रदर्शन किया है।
- हालांकि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने यूनिसेफ द्वारा बच्चों के त्वरित सर्वेक्षण के लिए नमूना के प्रकार और अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है।

विश्लेषण

- हाल ही में बच्चों के जन्म के सन्दर्भ में संस्थागत प्रसव के अनुपात में वृद्धि हुई है। कुशल देखभालकर्ताओं द्वारा संभाले जाने वाले बच्चों के अनुपात में भी वृद्धि हुई है। यह जननी सुरक्षा योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभाव को परिलक्षित करता है।
- हालांकि मातृ देखभाल में ज्यादा सुधार नहीं देखा गया है। उदाहरण के लिए कम से कम प्रसव पूर्व तीन जांच वाली गर्भवती महिलाओं का अनुपात बहुत कम है जो वर्ष 2005-06 की तुलना में ज्यादा नहीं था। इसी प्रकार, कम से कम 90 दिनों के लिए आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां की खपत का अनुपात भी बहुत कम था।
- कुछ राज्यों में कई महिलाएं स्वास्थ्य केन्द्रों में वितरित नकद प्रोत्साहन की खातिर प्रसव कराती है। कई महिलाओं को प्रसव या प्रसव के बाद देखभाल के मामले में बहुत ही सीमित वास्तविक लाभ दिया जाता है।

- बच्चों के टीकाकरण के अनुपात में काफी प्रगति देखी जा रही है। जो नियमित टीकाकरण में, ठहराव की स्थिति वाले एक खतरनाक चरण के बाद बड़ी उपलब्धि है।
- टीकाकरण में सुधार का श्रेय मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किये गए काम को दिया जा सकता है। अब सक्रिय रूप से टीकाकरण कार्यक्रम मे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ सहायक नर्स, दाइयों को भी शामिल किया जा रहा है।
- पूर्ववर्ती अवधि, जिसमें कुपोषण में एक धीमी गति से गिरावट आ रही थी, उसकी तुलना में अभी कुपोषित बच्चों के अनुपात मे काफी गिरावट आई है।
- फिर भी यदि भारत उपयुक्त अवधि में इस गंभीर समस्या को दूर करना चाहता है तो इसे बहुत तेजी से प्रगति करने की आवश्यकता है।
- इस तरह कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति रुक जाने के चिंताजनक संकेत मिल रहे हैं जैसे:-
- सुरक्षित पेयजल तक पहुँच के सन्दर्भ मे करीब 10 प्रतिशत परिवार अभी भी वंचित हैं।
- स्वच्छता की धीमी प्रगति - जिस तरह से वर्तमान प्रगति चल रही है, भारत की खुले में शौच की समस्या को खत्म करने के लिए कम से कम 40 साल का समय ओर लगेगा।

भारत और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) क्या हैं?

- भारत ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश पांच वर्ष से कम के बच्चों की मृत्यु दर को काफी हद तक कम करने में सफल रहा है। जहाँ यह वर्ष 1990 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर यह 126 थी वहीँ अभी वर्ष 2013 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 53 है।
- कार्य के लिए आह्वाहन (कॉल टू एक्शन), नवजात कार्य योजना, निमोनिया और डायरिया के लिए एकीकृत कार्य योजना से जबरदस्त स्वास्थ्य लाभांश प्राप्त हुआ है।
- लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना शेष है।
- दुनिया भर में पांच वर्ष की उम्र के करीब छह लाख बच्चे हर साल रोकथाम के उपाय किये जा सकने योग्य कारणों से मरते हैं। ऐसे बच्चों का 21 प्रतिशत भारत में हैं। इन बच्चों में से अधिकतर कुपोषण और संक्रामक रोगों से मर जाते हैं।

हमें क्या करना चाहिए?

- निमोनिया और डायरिया से बचाव के लिए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित पेय जल, स्वच्छता सुधार, सूक्ष्म पोषक तत्वों की खुराक और टीकाकरण के लिए व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
- भारत को अपने सबसे कमजोर बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना होगा – ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जो जाति, लिंग या विकलांगता संबंधी भेदभाव का सामना करते हैं।
- बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे टीकों और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन (GAVI- ग्लोबल एलायंस फॉर वेक्सिनेशन एंड एम्युनाइजेशन), विश्व स्वास्थ्य संगठन और सयुंक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) को, निम्न सेवा आपूर्ति वाले क्षेत्रों में वैक्सीन आपूर्ति, स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती प्रदान करने, योजना निर्माण, निगरानी और अनुसंधान में सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए।
- भारत सरकार को बच्चों के टीकाकरण में आ रही बाधाओं के समाधान की तलाश करनी चाहिए।

टीकाकरण में बाधाएं

- इन बाधाओं में शामिल हैं
- लिंग असमानता
- खरीद और वितरण चुनौतियां
- प्राथमिक स्तर पर (फ्रंट लाइन) स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भारी कमी
- टीकाकरण के लाभ के बारे में जानकारी का अभाव या गलत जानकारी

भारत मे आरक्षण

सुर्खियों में क्यों है?

हाल ही में पूरे गुजरात राज्य में पटेल समुदाय द्वारा भारत की आरक्षण नीति में सुधार और खुद के लिए आरक्षण की मांग की गई है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 15(3)** – राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 15(4)** - राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति और जनजाति के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 16(4)** - राज्य नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 46** - इस अनुच्छेद का संबंध अनुसूचित जातियों, जनजातियों, और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से है।

सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले

- मंडल मामला: इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुल सुरक्षित कोटा को

VISION IAS

50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित किया है और अन्य पिछड़ी जातियों के उन्नत भाग को आरक्षण के लाभ से अपवर्जित किया है

- न्यायमूर्ति ओ. चिनप्पा रेड्डी के द्वारा दिये गये वर्ष 1985 के फैसले में कहा गया कि उच्च वर्गों के द्वारा 'दक्षता' को आवरण के रूप में इस्तेमाल कर, पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित लाभों को नहीं उठाया जा सकता। इससे उच्च पदों और व्यावसायिक संस्थानों में वर्ग विशेष का एकाधिकार बना रहेगा।
- जाट आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार व्यक्त किया है कि 'जाति' और 'ऐतिहासिक अन्याय' को आरक्षण प्रदान करने के एक मात्र मानक नहीं नही है। राज्य 'किन्नरों' जैसे समूहों को भी समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए वर्तमान आरक्षण प्रदान कर सकता है।

भारत में आरक्षण की आवश्यकता क्यों है ?

- समाज के वंचित वर्ग के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए
- शैक्षिक और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर भेदभाव में कमी लाने के लिए।
- भारत की आरक्षण नीति से जुड़े मुद्दे
- स्थिरता: वर्ष 1950 में हमारे संविधान में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 10 वर्ष के लिए एक अस्थायी प्रावधान के रूप में आरक्षण नीति को शुरू किया गया था, जिसका व्यापक विस्तार हो गया है और यह अब लगभग एक स्थायी विशेषता हो गई है।
- मौजूदा आरक्षण नीति अर्थव्यवस्था और समाज के भीतर निचली जातियों/जनजातियों को आत्मसात करने में नाकाम रही है।
- राजनीतिक लामबंदी: कई वर्षों में, राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी लाभ के लिए वोट बैंक की राजनीति के रूप में जाति आधारित आरक्षण का उपयोग किया है।
- अंतर्जातीय संघर्ष और तनाव: आरक्षण का उपकरण जाति मतभेदों को दूर करने में बुरी तरह नाकाम रहा है और इसने जातिगत फूट और जातिगत संघर्ष को बढ़ावा दिया है।
- असंतोष: आरक्षण से बाहर रह गए समुदायों के मन में आरक्षण की श्रेणी में शामिल जातियों के खिलाफ वैमनस्य और पूर्वाग्रह को उत्पन्न किया है।
- जातियों के भीतर वर्ग: आरक्षित श्रेणी के समर्थ व्यक्तियों (क्रीमीलेयर) को इसका सर्वाधिक लाभ हुआ है अधिकतर गरीब लोग इसके लाभ से वंचित रहे हैं।
- सामान्य श्रेणियों मे शामिल गरीब नाराज और निराश हैं, और अपने सभी समस्याओं के लिए आरक्षण को दोष देते हैं।

सुधार की आवश्यकता

- बेहतर पहचान: नये पैमाने का विकास किये जाने की आवश्यकता है। केवल जाति के आधार पर निर्णय लेने की बजाय पिछड़े समूह की पहचान किए जाने की जरूरत है। इसमें प्रक्रिया में सामाजिक और आर्थिक मापदंड को शामिल करना चाहिए।
- आरक्षण को कुछ के लिए सीमित करना: एक निश्चित स्तर के सरकारी अधिकारियों के परिवारों - जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.), भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.), वर्तमान या पूर्व विधायकों, सांसदों, अन्य वरिष्ठ नेताओं और इनके परिवारों को आरक्षण से वंचित किया जाना चाहिए। इस श्रेणी में निश्चित आय से ऊपर वाले चिकित्सक तथा कुछ अन्य पेशेवरों, चार्टर्ड एकाउंटेंट, एक निश्चित आय से ऊपर वाले निजी क्षेत्र के प्रबंधकों और व्यापारियों और अन्य उच्च आय वाले लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- स्व-घोषित पिछड़ापन: स्व-घोषित, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की धारणा, संवैधानिक रूप से पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए मापदंड नहीं हो सकती।
- गरीबों को समर्थन: क्षमतावान किसी बच्चे को कभी भी, गरीबी या किसी जाति में जन्म के कारण उच्च शिक्षा के लिए अवसरों से वंचित नही किया जाना चाहिए। छात्रवृत्ति, नि: शुल्क ट्यूशन, कम ब्याज दर पर ऋण और अन्य तंत्रों को मजबूत किया जाना चाहिए।
- क्षमताओं का विकास: कॉलेजों और नौकरियों में दाखिला प्रदान करने के अलावा वंचित लोगों की क्षमताओं को भी विकसित किये जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- आत्मसातीकरण: लाभों को अधिक से अधिक वंचित जातियों के बच्चों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। यह केवल कुलीन वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

क्या हमें जाति-आधारित आरक्षण से आगे बढ़ना चाहिए?

- जाति-आधारित आरक्षण, समुदाय के सबसे कमजोर सदस्यों के विकास में पूरी तरह सफल नहीं रहा है।
- यह जाति से उपर उठने से हमें रोकता है और लाभार्थी समूह के खिलाफ असंतोष का कारण बनता है जिससे आरक्षण वाले समूह के खिलाफ मौजूदा पूर्वाग्रह और मान्यताए सशक्त ही हुई हैं।

सकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रमाण (EVIDENCE BASED) आधारित दृष्टिकोण का मूल्यांकन

- प्रमाण आधारित दृष्टिकोण के तहत नीतिगत रूपरेखा स्पष्ट या वंचित वर्ग के संबंध में प्रमाणिक जानकारी पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, रखरखाव और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसमें सामाजिक और आर्थिक संकेतक शामिल हो सकते हैं। इसके गुण और दोष हैं:
- बेहतर पहचान: सही मायने में जिन्हें समर्थन या वरीयता की

आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों की जातिगत सीमाओं से परे पहचान की जा सकती है।

- इस दृष्टिकोण का प्रमुख लाभ यह है कि यह उन बुनियादी कारणों पर प्रकाश डालता है कि क्यों सकारात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है।
- जाति आधारित राजनीति को कम करता है: यह जाति या धर्म की पहचान पर आधारित राजनीति के महत्व को कम करने में मदद करता है।
- अंतर्जातीय संघर्ष को कम करता है: यह विशिष्ट जातियों या समुदायों को सकरात्मक विभेद का लाभ प्रदान किए जाने के भेदभाव के कारणों का एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करता है।
- आत्मसातीकरण: यह कमजोर समूह के सबसे कमजोर सदस्यों को बेहतर लाभ दिलाने हेतु प्राथमिक लक्ष्य निर्धारण में मदद कर सकता है।
- नुकसान: इसका केवल नकारात्मक पक्ष यह है कि इस तरह के दृष्टिकोण आंकड़ों पर निर्भर हो जाते हैं, और आंकड़ा प्रदान करने वाले स्रोतों की अप्रमाणिकता और भ्रामक आंकड़ों से प्रभावित हो सकते हैं।

क्या होना चाहिए

आरक्षण नीति पेश किये जाने के बाद से भारत में बहुत कुछ बदल गया है। आंकड़ों और तकनीकि कमी ने सरकार को जाति आधारित आरक्षण का साधारण दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य किया है। हालांकि, आधार संख्या का उपयोग कर जनगणना और अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने वाली तकनीकों के माध्यम से प्रर्याप्त आंकड़ों की उपलब्धता के साथ, प्रमाण आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है। इससे वास्तविक लाभार्थी को लाभ प्रदान करने और लक्ष्य को बेहतर तरीके से साधने में मदद मिलेगी।

लैंगिक समानता वाले देश आर्थिक लाभ की स्थिति में है

विश्व बैंक की नवीनतम 'महिला, व्यापार और कानून' संबंधी रिपोर्ट यह प्रदर्शित करती है कि जिन देशों के कानूनों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता है और लैंगिक समानता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ऐसे देश आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

- अर्थव्यवस्था को प्राप्त होने वाली आय में नुकसान: उद्यमशीलता और श्रम शक्ति भागीदारी में महिलाओं के लैंगिक अंतराल से देश में आय का नुकसान होता है। यह नुकसान इतना जयादा है कि कई देश इसे वहन नहीं कर सकते हैं। विशेषत: ऐसे देश जिनमें गरीबी का उच्च स्तर है। अनुमानित आय नुकसान दक्षिण-एशिया में 19 प्रतिशत है, जबकि यूरोप में 10 प्रतिशत है।
- महिला सशक्तिकरण: जब महिलाओं को अपनी पसंद के पेशे में काम करने के लिए अनुमति दी जाती है, उनकी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच होती है तथा उनको कानूनों के माध्यम से घरेलू हिंसा से सुरक्षित किया जाता है, तब वे केवल आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं बल्कि उनकी जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि होती है।
- निजी कंपनियों को लाभ: निजी कंपनियों में जब महिलाओं का प्रबंधन में अधिक प्रतिनिधित्व होता है, तो ऐसे संगठनों की रिश्वत या धोखाधड़ी जैसे घोटालों से प्रभावित होने की संभावना कम होती है।
- गरीबी और लैंगिक असमानता: गरीबी के खिलाफ लड़ाई और लैंगिक समानता के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। यही कारण है कि हम लिंग आधारित बाधाओं से निपटने के लिए कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

भारत में उत्तराधिकार कानून में सुधार ने महिलाओं को अधिक से अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है। महिलाएं अपनी बढ़ी हुई बचत का इस्तेमाल अपनी बेटियों की शिक्षा पर अधिक खर्च करने के लिए करती हैं।

ALL INDIA IAS TEST SERIES 2015
◆ General Studies ◆ Geography
◆ Philosophy ◆ Essay
◆ Sociology ◆ Psychology
◆ Public Administration
All India Rank, Performance Analysis, Flexible & Expert Discussion
Starts : 5th Sep

GENERAL STUDIES ADVANCED BATCH 2015
For Civil Services Mains Examination 2015
Starts : 7th Sep

ETHICS MODULE
• By renowned faculty and senior bureaucrats
• 25 Classes
• Regular Batch
Starts : 15th Sep

PHILOSOPHY
Foundation/Advance Course
@ JAIPUR Center
• Includes comprehensive & updated study material
• Classes on Philosophy by Anoop Kumar Singh:
Starts : 7th Sep

3. आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था

गुजरात आतंकवाद नियंत्रण एवं संगठित अपराध विधेयक (2015)

नवीनतम घटनक्रमों में 31 मार्च 2015 को गुजरात विधानसभा द्वारा 'गुजरात आतंकवाद नियंत्रण एवं सगठित अपराध' विधेयक 2015 पारित किया गया। जिसे पहले भी क्रमश: वर्ष 2004, 2008 व 2009 में राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक अब राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।

- पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति न दिये जाने का प्रमुख कारण विधेयक में प्रस्तावित दो प्रावधान थे, जो अग्रलिखित है-
- इस कानून में प्रावधान है कि इसके तहत पकड़े गये आरोपी का पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के सामने दिये गये बयान को बतौर सबूत न्यायालय में पेश किया जा सकता है
- साथ ही पुलिस को फोन टैपिंग का अधिकार प्रदान करना।
- केन्द्र सरकार ने बिल में वर्णित फोन टैपिंग संबंधी प्रावधानों में संशोधन किये हैं। जहाँ पूर्व में प्रस्तावित विधेयक में फोन टैपिंग संबंधी अनुरोध के सन्दर्भ में राज्य ग्रह सचिव प्रमुख प्राधिकारी था वहीं अब इस अनुरोध के संबंध में अंतिम प्राधिकारी केन्द्रीय गृह सचिव होंगें।

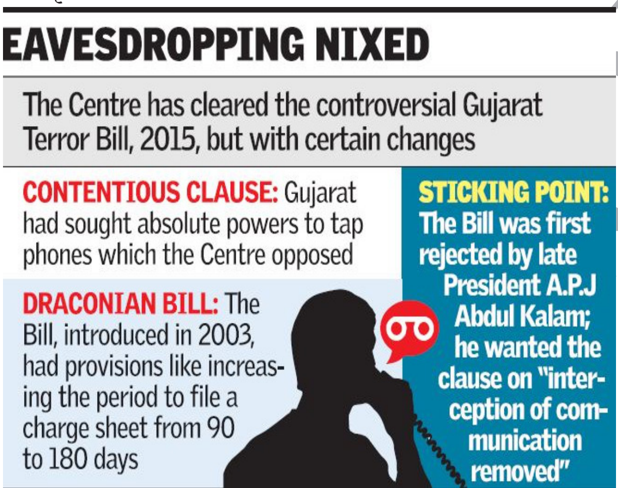

आलोचना -

- आलोचकों का कहना है कि यह कानून भी टाडा और पोटा की तरह अत्यंत कठोर कानून है जिनका पूर्व में काफी दुरुपयोग हुआ हैं और पुलिस उत्पीड़न को बढ़ावा मिला है।
- अपराध स्वीकारोक्ति को बतौर सबूत बनाने संबंधी प्रावधान के कारण अभियुक्त प्रताड़ित किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस उत्पीड़न कहीं न कहीं इस तरह की स्वीकारोक्ति को आसान बना देगा।
- इस कानून के माध्यम से अभियुक्त को 100 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है जबकि साधारण कानून में 90 दिन का प्रावधान है।
- इस कानून का और भी ज्यादा दुरुपयोग सत्ताधारी दल द्वारा राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया जा सकता है।
- फोन वार्ता को रिकार्ड करना एवं बतौर सबूत पेश करने संबंधी अधिकार, जासूसी को बढ़ावा देगा जिसका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है।
- यह कानून सरकार द्वारा की गयी उन सभी प्रकार की गतिविधियों को कानूनी कार्यवाही से उनमुक्ति प्रदान करता है जो इस कानून का पालन करने के क्रम में की जाएगीं। कहीं न कहीं राज्य इस प्रावधान का दुरुपयोग करेंगें। यह कानून जवाबदेही को सीमित करेगा।

> गुजरात आंतकवाद एवं संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (GCTOC) तथा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के बीच अंतर
>
> दोनो के अंतर्गत समान प्रावधान हैं । किंतु जमानत (bail) के संदर्भ में अंतर है। जहाँ मकोका (MCOCA) के अंतर्गत न्यायालय के माध्यम से जमानत प्राप्त की जा सकती है वहीँ गुजरात आंतकवाद एवं संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान अपराध आंतकवाद रोकथाम अधिनियम (POTA) से अधिक प्रेरित है। अर्थात गुजरात आंतकवाद एवं संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जमानत की प्रक्रिया अधिक दुष्कर है।

- पुलिस ने मकोका जैसे कानून के द्वारा रियल स्टेट, वैश्यावृत्ति और मैच फिक्सिंग (सट्टेबाजी) जैसे अपराधों को भी इस कानून के दायरे में लाकर अपराधियों को दोषी बनाने का प्रयास किया है जो इस कानून का सबसे चिंताजनक पक्ष है।
- उक्त गतिविधियों की कई बार न्यायालय द्वारा निंदा की गयी है और इस बात पर विश्वास करना मुश्किल प्रतीत होता है कि ऐसे कानून का दुरुपयोग नहीं होगा।

ऐसे कानून क्यों आवश्यक है -

- कानून के इन सभी विवादास्पद हिस्सों में सामान्य मान्यता यह है कि दण्ड संहिता आन्तरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करने में अक्षम है।
- पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित होने के कारण गुजरात अपनी सुरक्षा को अधिक से अधिक सुनिश्चित कर सके और नये प्रावधान राज्य की स्थिति के अनुरुप हैं।
- संगठित आपराधिक समूह विभिन्न आतंकवादी संगठनों से मिलकर आतंकवाद के स्वरुप को और व्यापक बना रहे हैं, जिनकी सीमाएं राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं हैं इसलिए संगठित आपराधिक

VISION IAS

समूहों को तत्काल प्रभाव से नियंत्रित करना अवश्यंभावी है।

सुझाव -

- यह दावा करना कि आतंक निरोधी कानून बनाने मात्र से आतंकवाद को नियंत्रित कर लिया जाएगा जल्दबाजी होगा साथ ही यह कहना इस कानून का प्रयोग सत्ता पक्ष की महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही किया जाएगा उचित नहीं है।
- बेहतर यह होगा कि अपराध प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) के दायरे में ही अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके एवं संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी क्षमताओं का और अधिक उन्नयन किया जाए।

प्रश्न आपके अनुसार आतंकवाद के कारण क्या है? भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए।

आतंरिक सुरक्षा हेतु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय केन्द्र -

वर्तमान संदर्भ में भारत के पास पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों के समक्ष आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौती का सामना करने के लिए दीर्घकालिक रूप से उपयोगी तकनीकि के विकास पर केन्द्रित संस्था नहीं है।

कार्य

- इसका कार्य क्षेत्र आन्तरिक सुरक्षा के साथ मुख्यत: पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों एवं आपदा प्रबंधन पर केन्द्रित होगा जिसका स्वरुप वृहद होगा। जैसे -
- संचार तंत्र
- विडियो सर्विलेंस एवं जाँच
- बारुदी सुरंग का पता लगाने के लिए भू-विश्लेषक राडार (जी. पी.आर.)
- मानवरहित यान
- बायोमीट्रिक अनुप्रयोग
- विस्फोटकों, बारुदी सुरंग, रासायनिक एवं जैविक हथियारों का पता लगाने के लिए हाथ में लेकर प्रयोग किए जाने वाले डिटेक्टर्स
- तापीय प्रतिचित्रण
- यह बढ़ती हुई आतंकी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक युद्ध से संबंधित तकनीकि, गुप्तचर सेवाओं का विकास करने एवं आंतरिक चुनौतियों को कम करने में मदद करेगा।
- यह मुख्य रुप से बारुदी सुरंग का पता लगाने वाले डिटेक्टर्स साइबर सुरक्षा, कूट विश्लेषीकरण, इमेज प्रोसेसिंग, मानवरहित यान की निगरानी एवं बायोमीट्रिक सुरक्षा पर आधारित है।
- यह मुंबई पुलिस, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल (सी.आर.पी. एफ.), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) जैसी ऐजेन्सियों से सुरक्षा संबंधी खामियों पर चर्चा करेगी साथ ही अनुसंधान के माध्यम से आवश्यक तकनीकि उपलब्ध करायेगा।

भारत में विस्फोटक पदार्थो का नियमन

अधिनियम/नियम कानून

- विस्फोटक अधिनियम - 1884
- ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम - 1952
- विस्फोटक नियम - 2008

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश में जिलेटिन छड़ों के भण्डार में विस्फोट होने से सौ से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना ने, विस्फोटक पदार्थों के विनियमन की प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। घटना देश भर में इन पदार्थों की खरीद और बिक्री पर बेहतर निगरानी और नियंत्रण की मांग करती है।

नियमन से संबंधित मुद्दे -

- विस्फोटक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन का नियमन पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा विभाग (पेसों) द्वारा किया जाता हैं जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है।
- पूरे देश में विस्फोटक पदार्थों की निगरानी, एक केन्द्रीय संगठन द्वारा किये जाने पर इसकी क्षमता के सन्दर्भ में प्रश्न चिह्न लग जाता है।
- प्रभावी नियमन के लिए इस ऐजेन्सी को कम्पयूटरीकृत किया जाना चाहिए।

जिलेटिन छड़ें क्या हैं ?

यह एक विस्फोटक पदार्थ है। इनकी खोज डायनामाइट की खोज के लिए प्रसिद्ध अल्फ्रेड नोबल के द्वारा की गई थी। बिना डिटोनेटर के इनमें विस्फोट नहीं कराया जा सकता। यही कारण है कि इनका भण्डारण आसान है।

- एक ऐसे तंत्र को बनाये जाने की आवश्यकता हैं जो तात्क्षणिक रूप से पुलिस एवं जिलाधिकारी को विस्फोटकों की खरीद एवं बिक्री पर निगरानी रखने में मदद कर सके।

अग्रिम रणनीति

- आवश्यकता हैं इस नियमन को विकेन्द्रीकृत करने की, साथ ही राज्यों को विस्फोटक नियमन से संबंधित कानूनों को बनाने का अधिकार देने की। इसी के साथ एक नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों जैसे विस्फोटक कंट्रोल ब्यूरों की आवश्यकता है जो प्रभावी निगरानी एवं कानून के प्रवर्तन को सुगम बना सके।

कोलंबो प्लान, मादक पदार्थ नियंत्रणकारी सुझाव कार्यक्रम (DAP) -

- एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में मादक पदार्थ नियंत्रणकारी सुझाव कार्यक्रम (DAP) एकमात्र क्षेत्रीय अन्तर्सरकारी कार्यक्रम हैं जो मुख्यत: मादक पदार्थों की मांग को कम करने संबंधी क्षमता निर्माण पर केन्द्रित है।
- मादक पदार्थ नियंत्रणकारी सुझाव कार्यक्रम (DAP) ने पिछले तीन दशकों के दौरान द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय आधार पर सदस्य

VISION IAS

राष्ट्रों को योजनाओं के क्रमिक विकास हेतु उपयुक्त सहायता प्रदान की है एवं मादक पदार्थ पर नियंत्रण की मांग करने हेतु सदस्य राष्ट्रों के मध्य सहयोग सुनिश्चित करने वाले प्रयासों को बढ़ावा दिया।

- इसने शुरूआत से ही सदस्य राष्ट्रों के समक्ष मादक पदार्थों के उत्पादन एवं अनैतिक व्यापार से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान में योगदान दिया है।
- कोलंबो योजना मादक पदार्थ नियंत्रणकारी सुझाव कार्यक्रम (सी.पी.डी.ए.पी.)
- रोकथाम
- किशोरों का उपचार एवं पुनर्वास
- बच्चों के लिए विशेष सुविधाएँ
- आपूर्ति में कमी एवं कानूनों का प्रवर्तन
- कोलंबो प्लान अधिदेश के तहत विकास में आत्मनिर्भरता एवं पारस्परिक सहयोग को गैर सदस्य राष्ट्रों तक भी विस्तारित किया गया है।

दक्षिण-एशिया उपक्षेत्रीय मादक पदार्थ संबंधी सम्मेलन

- कोलंबो प्लान के अन्तर्गत नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों दक्षिण-एशिया में उप क्षेत्रीय मादक पदार्थ सम्मेलन एवं मादक पदार्थ की मांग मे कमी (DDR) पर परिचर्चा का आयोजन करता है।
- यह सदस्य देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका तथा प्रेक्षक देश संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और म्यांमार के प्रतिनिधि मण्डलों की भागीदारी तय करता है।
- इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य, क्षेत्र में मादक पदार्थों की मांग व आपूर्ति में कमी करने संबंधित गतिविधियों की समीक्षा करना हैं।
- इस आयोजन के द्वारा मादक पदार्थ सहायता कार्यक्रम के तकनीकि पक्षों से संबंधित विचारों का आदान-प्रदान सुगम होगा जो इसकी कार्यकुशलता एवं दक्षता बढ़ाने में सहायक होगा।
- यह आयोजन सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकता पर चर्चा करेगा साथ ही मादक पदार्थ के प्रयोग एवं अनैतिक व्यापार से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एकसमान रणनीति बनाने में मदद करेगा।

सुरक्षा चुनौतियों के निस्तारण हेतु सरकार एवं इंटरनेट प्रदाता कंपनियों के मध्य सहयोग।

- सरकार एवं इंटरनेट प्रदाता कंपनियों के मध्य एक प्रभावशाली सहयोग, साम्प्रदायिक दंगे जैसी स्थिति के समय उत्पन्न सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
- सहयोग के अभाव में सरकार को बड़े कदम उठाने होगें जैसे कि मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद करना, हाल ही में यह गुजरात, जम्मु एवं कश्मीर व मणिपुर जैसे राज्यों में कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने के क्रम में देखा भी गया है।
- इस तरह के कार्यों से आम जीवन एवं व्यापारिक गतिविधियाँ बाधित होती हैं।
- लेकिन प्रमुख चुनौती देश के बाहर स्थित गूगल, ट्वीटर, फेसबुक और वाहट्सअप जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो संकट के समय कानूनी संस्थाओं से हमेशा सहयोग नहीं करती है।
- अत: इस बात की आवश्यकता हैं कि संकट के समय विदेशी इंटरनेट कंपनियों को सरकार के साथ सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए। यह सहयोग लोक हित में हो। दोनों पक्षों में बिना वार्तालाप के सरकार उसी तरह के लचर उपायों का पालन करेगी जैसाकि गुजरात में किया गया।

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष

एस्ट्रोसेट

एस्ट्रोसेट खगोलीय पिण्डों के अध्ययन के लिए पूर्णत: समर्पित भारत की प्रथम वेधशाला है। एस्ट्रोसेट को नासा की हबल खगोलीय दूरबीन का लघु संस्करण माना जा रहा है। अंतरिक्ष में स्थापित यह वेधशाला विविध तरंगदैर्ध्यों के अंतर्गत खगोलीय पिण्डों की पहचान कर सकेगा। ये विविध तरंगदैर्ध्य X किरणों से लेकर पराबैंगनी किरणों की विस्तृत परास में पिण्डों की पहचान करने में सक्षम है। किंतु खगोलीय पिण्डों की पहचान, हब्बल खगोलदर्शी की अपेक्षा कम परिशुद्धता के साथ एस्ट्रोसेट के माध्यम से हो पाएगी।

प्रक्षेपक वाहन

- यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक यान पी.एस.एल.वी.-C30 द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के छह लघु उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया गया।
- यह प्रथम अवसर है, जब किसी भारतीय प्रक्षेपक यान के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया।
- यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक यान (पी.एस.एल.वी.) की लगातार 30वीं सफल उड़ान थी।
- अब तक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को, अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रक्षेपण आदि सुविधाओं के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा अमेरिकी एजेंसी (नासा) आदि द्वारा प्रदत्त सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। ये अनुसंधान न्यूट्रॉन तारे के बारे में जानकारी देने वाले विकिरण बैंड अथवा नव उत्पन्न तारे से संबंधित है। प्रदत्त सुविधाओं का संबंध कृष्ण विवर के चतुर्दिक छाए, गैसों के गर्म आवरण के अध्ययन से भी है। अब एस्ट्रोसेट खगोलदर्शी अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यों में संलग्न वैज्ञानिकों की सहायता करेगा।

एस्ट्रोसेट की विशेषताएँ

- विशिष्टता - यह खगोलीय पिण्डों का, विविध तरंगदैर्ध्यों में एक साथ अन्वेषण करने में समर्थ हैं। एस्ट्रोसेट में लगे हुए 6 पेलोड इसे ऐसा करने में समर्थ बनाते हैं।
- पेलोड – 4X-किरणे, 1 पराबैंगनी खगोल अन्वेषक और आवेशित कणों के अध्ययन के लिए निरीक्षण यंत्र।
- 1513 किलोग्रा. वजन वाला उपग्रह 650 किमी. की ऊँचाई पर भू-मध्य रेखीय कक्षा में स्थापित किया गया।
- संभावित आयु - 5 वर्ष
- यह अभियान अनेक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों के संयुक्त प्रयास से संपादित किया गया इनमें भारतीय अनुसंधान संगठन (इसरो), टाटा मूलभूत अनुसंधान केन्द्र (टी.आई.एफ.आर.) भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय खगोल भौतिकी अनुसंधान केन्द्र (बंगलौर) तथा खगोलिकी एवं खगोल भौतिकी के अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (IUCCA), (पुने) का भी सार्थक योगदान रहा।

- वैज्ञानिक अनुसंधान का केन्द्र बिंदु
- न्यूट्रॉन तारे और कृष्ण विवर से संबंधित द्वि-तारक व्यवस्था में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना।
- न्यूट्रॉन तारों के चुम्बकीय क्षेत्र का आकलन करना।
- तारों के उद्भव वाले क्षेत्रों का पता लगाना। हमारी आकाश गंगा की सीमा से परे स्थित तारक तंत्रों में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।
- आकाश में मद्धिम चमक वाले नए एक्स-रे स्रोतों की पहचान करना।
- पराबैंगनी क्षेत्र में सीमित रुप से ब्रह्माण्ड का गहन सर्वेक्षण (deep field) करना।

यूरोपा के लक्षण

- बृहस्पति का बर्फीला चंद्रमा
- पृथ्वी के उपरांत जीवन की संभाव्यता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण।
- पूर्व में किए गए अनुसंधानों के अनुसार इस बर्फीले उपग्रह की सतह के नीचे पृथ्वी से भी गहरे महासागर उपलब्ध हैं।

महत्व

- यह विशिष्ट उद्देश्य आधारित अनुसंधान कार्यों को संपन्न करने वाली मुक्त प्रयोगशाला होगी।
- राष्ट्र के खगोल विज्ञान संबंधित वैज्ञानिक समुदाय के मनोबल को ऊँचा उठाने के साथ ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करेंगीं।
- इस प्रकार भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, रुस और जापान जैसे देशों के विशिष्ट समूह में सम्मिलित हो जायेगा।

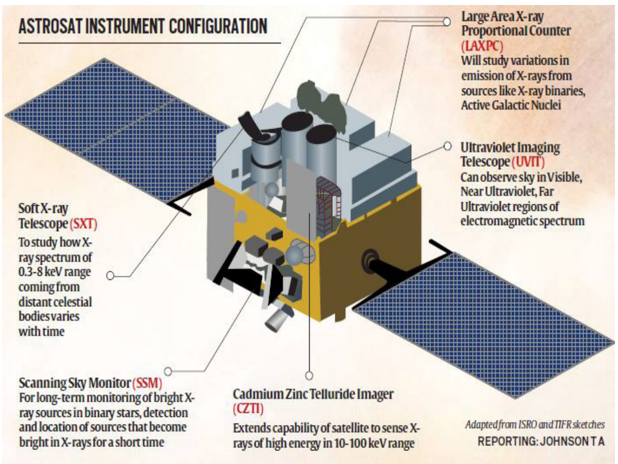

VISION IAS

©Vision IAS

लापान A2/ ओरारी (LAPAN A2/ ORARI)

यह भारत द्वारा प्रक्षेपित इण्डोनेशियाई कृत्रिम उपग्रह है। इसे भारत के एस्ट्रोसेट के साथ ही धुरवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, PSLVC30 द्वारा प्रक्षेपित किया गया हैं।

कार्य एवं विशेषताएँ

- बहु वर्णक्रमीय सुदुर संवेदन उपग्रह हैं।
- यह भूमि-उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा आपदा का सामना करने में सहायक होगा। इसके माध्यम से जहाजों के आवागमन पर निगरानी, समुद्री संसाधनों की खोज तथा मत्स्यन जैसी गतिविधियों को कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सकेगा।
- यह भारत द्वारा वर्ष 2007 में प्रक्षेपित किये गए लापान A-1 का ही अगला संस्करण है।

नासा की सरवीर-मेकांग परियोजना

इसे राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन संस्था (नासा) एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी संस्था (यू.एस.एड.) के द्वारा प्रारंभ किया गया है।

इस परियोजना से कंबोडिया, लॉओस, म्यांमार, थाइलैण्ड और वियतनाम जैसे देश लाभान्वित होंगे।

कार्य का महत्व

- यह सही समय पर मौसम, जलवायु विज्ञान और भू-प्रक्रियाओं से संबंद्ध अन्य आंकड़ों को प्रदान करेगा।
- यह संसाधनों की खोज और आपदाओं का सामना करने जैसे मुद्दों के बेहतर समाधान प्रस्तुत करता है।
- यह क्षेत्रीय पर्यावरण की निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था को सशक्त बनाएगा।
- इस भागीदारी का मुख्य उद्देश्य मेकांग नदी द्रोणी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने वाली रणनीतियों का अध्ययन करना है। इसके माध्यम से स्थानीय समुद्र में घटित बदलावों की शीघ्रातिशीघ्र सूचना प्रदान की जा सकेगी। समूचे मेकांग नदी द्रोणी क्षेत्र में, परियोजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा मौसम, भू-आवरण, भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेगी।

गाँधी शांति पुरस्कार-2014 इसरों को प्रदान किया गया।

इसरो के चयन का आधार

अंतरिक्ष का प्रयोग जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए किया जा सके, इसरों इस महत्वाकांक्षी कार्य में निरंतर संलग्न रहा है।

- अंतरिक्ष तकनीकि के माध्यम से इसरो राष्ट्रीय जीवन के विविध क्षेत्रों में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है।
- कृषि भूमि के और वाटरशेड के अनुमापन में।
- मछुआरा समुदाय को मत्स्यन संबंधी चेतावनी और सलाह प्रदान करना।
- विरासत स्थलों से संबंधित समस्त सूचनाओं का संग्रहण और इनका कोश तैयार करना।
- आपदा प्रबंधन सेवाओं को सशक्त करना।
- सुदुर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से नीति निर्माण, निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन करना।
- संचार एवं अधिकाधिक क्षेत्रों तक संबद्धता सुविधाओं के विस्तार में सहायक होना।

यह पुरस्कार किसे प्राप्त होता है ?

यह किसी व्यक्ति अथवा संस्था को गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरुप अहिंसक माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रुपांतरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देनें के लिए प्रदान किया जाता है।

यह किसी भी राष्ट्र के नागरिक को प्रदान किया जा सकता है।

इन योगदानों के माध्यम से अहिंसक रुप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के रुपांतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

यूरोपा क्लिपर अभियान

- अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (नासा) द्वारा यूरोपा की सतह पर जीवन की तलाश के लिए एक लैण्डर भेजे जाने की योजना है।
- यह अभियान यूरोपा की संरचना, इसकी उपसतह की प्रकृति तथा जीवनधारण की योग्यता का पता लगाएगा।
- बृहस्पति के बर्फीले चन्द्रमा यूरोपा से संबंधित अभियान 'ज्यूपिटर आइसी मून एम्सप्लोरर (JUICE)' का प्रक्षेपण 2022 में अपेक्षित है।

मंगल अभियान (मंगलयान)-तकनीकि क्षमता प्रदर्शक अभियान

- मिशन ऑन मार्स (MoM) अभियान भारत का प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय अभियान है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह का अध्ययन तथा इसकी भू-आकृतिक संरचना की जानकारी जुटाना है। यह मंगल वातावरण का अध्ययन करेगा जो इसके वातावरण में उपस्थित मीथेन के सन्दर्भ में जीवन की भूतकाल में उपस्थिति अथवा भविष्य की संभाव्यता पर केन्द्रित होगा।
- यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया।
- 1,350 किलो ग्राम वजन वाले इस अभियान की कुल लागत 450 करोड़ रुपये है। मंगलयान के द्वारा 300 दिनों की यात्रा में कुल 65 करोड़ किमी. की दूरी तय की गई।
- यह अपने साथ पाँच विशिष्ट यंत्रों को ले गया।
- लाइमन-अल्फा फोटोमीटर (LAP)

VISION IAS

- मीथेन सेन्सर फार मार्स (MSM)
- पर्यावरणीय सूक्ष्म कण संबंधी अध्ययन के लिए मार्स एक्जोस्फेरिक न्यूट्रल कम्पोजीशन एनलाइजर (MENCA)
- सतह प्रतिचित्रण संबंधी अध्ययन के लिए, थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (TIS)
- मार्स कलर कैमरा।

ज्ञात होने वाले महत्वपूर्ण तथ्य

मंगलयान में लगे पेलोड से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का, अभियान में सलग्न वैज्ञानिकों के द्वारा अभी भी विश्लेषण और प्रकाशन किया जाना शेष है। फिर भी प्रारंभिक प्राप्तियों में निम्नांकित को शामिल किया जा सकता है।

- मंगल पर जल उपलब्धता के चिन्ह
- मंगल पर जीवन की संभाव्यता में वृद्धि
- मंगल मानचित्र में उच्च गुणवत्ता के चित्रों का प्रकाशन

अभियान का महत्व

- उपयुक्त लागत
- तकनीकि लाभ-इस अभियान में उपयोग की गई तकनीकि का प्रयोग मौसम के पूर्वानुमान, कम्प्यूटर तकनीकि तथा स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में किया जा सकता है।
- प्रथम प्रयास में सफलता।
- आर्थिक लाभ-इसरों ने इस अभियान को संपन्न कर अपनी विश्वसनीयता में वृद्धि की है। इसरों की प्रतिष्ठा बढ़ने से इसे विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण को संपन्न करने के ठेके प्राप्त होंगें। इस प्रक्रिया में राष्ट्र को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।
- विदेश नीति पर प्रभाव:- सार्क तथा तीसरी दुनिया के देशों के उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से भारत अपनी 'सॉफ्ट पावर' क्षमता में वृद्धि कर पाएगा। इसका उपयोग विदेश नीति के संचालन में किया जा सकता है।
- भारत और चीन ने हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग' संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए है। इस तरह इसरों की सफलता में भागीदारी करने के लिए अधिकाधिक राष्ट्र, भारत के साथ समझौता करना चाहते हैं।
- इन सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह अभियान भारत में युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अत्यधिक प्रेरणा प्रदान करेगा। इसरों की यह सफलता निश्चय ही राष्ट्र के अन्दर नवाचारों को बढ़ावा देने वाले वातावरण की स्थापना में आधारशिला सिद्ध होगी।

आलोचना

- राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में संसाधनों का अपव्यय है।
- अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा, उपग्रहों के स्पष्ट पर्यवेक्षण के लिए आदर्श नहीं है।
- अभियान की आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि यह 'मै भी' की भावना से प्रेरित अभियान है। सीमित पेलोड क्षमता के कारण अभियान पूर्व में संपादित किए गए वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं परीक्षणों से भिन्न, किसी नवीन अथवा सार्थक वैज्ञानिक लक्ष्य पर आधारित नहीं है।
- क्या इस प्रकार के अभियानों पर धन का व्यय किया जाना चाहिए?
- अज्ञात के प्रति जिज्ञासा और उसकी खोज, मानव में व्याप्त सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। नवीन विश्व की खोज के साथ वैज्ञानिक ज्ञान और उपलब्धियों की नई सीमा रेखा खींचना, मानवीय जिजीविषा का प्रतीक रहा है। ज्ञात से अज्ञात की परिधि को स्पर्श करना, मानव में निहित अमूर्त इच्छा है। यह एक सुखद तथ्य है कि मानव की इस दुर्दम्य कामना से सदियों से मानव समुदाय लाभान्वित होता रहा है।

प्रशासन और विकास में अंतरिक्ष तकनीकि आधारित साधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित विशिष्ट राष्ट्रीय समागम में प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री के अनुसार अंतरिक्ष तकनीकि के संभव अनुप्रयोग निम्नांकित हैं :

- मछुआरों की सुविधा के लिए प्रचुर मात्रा में मछलियों के पाए जाने वाले समुद्री क्षेत्रों की पहचान।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आधारभूत ढाँचा तैयार करने में
- अवैध उत्खनन की रोकथाम में।
- वन्य जीवन संरक्षण और निगरानी में।
- राजमार्गों पर अतिक्रमण रोकने में।
- अपदा प्रबंधन में।

रक्षा

बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली बी.एम.डी.-चरण-II के लिए तैरती हुई परीक्षण सुविधा:

- भारत अपनी बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली के लिए एक विशिष्ट प्रकार की तैरती हुई प्रशिक्षण सुविधा का विकास कर रहा है। इसके लिए 10,000 टन प्रतिस्थापक क्षमता वाले एक विशाल जहाज का प्रयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से भारत की द्विचरणीय प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली के विकास के मार्ग में भूमि आधारित परीक्षणों के दौरान होने वाली समस्यायें समाप्त हो जायेंगी। ध्यातव्य है कि प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली का परीक्षण विविध दूरियों के लिए किया जाता है। भूमि आधारित परीक्षण सुविधाओं में परिवर्तित परास की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पा रही थी।

BUILDING A SHIELD

Missile tests will be carried out from a ship in order to overcome limits of land-based ranges

The missile launch pad at Wheeler Island, off the Odisha coast. – FILE PHOTO

MAIN OBJECTIVE
To carry out missile tests for the two-tiered Ballistic Missile Defence (BMD) system that seeks to protect important cities from external threats

WHAT WILL THE BMD DO?
- It seeks to engage and destroy incoming **enemy missiles at different altitudes** in the endo-atmosphere and exo-atmosphere
- The first phase envisages annihilating incoming missiles with a range of 2,000 km, while the second phase aims to destroy missiles having a range of more than 2,000 km

LIMITATIONS OF LAND SYSTEMS
- At the Wheeler Island range, affected villages **need to be evacuated** every time a trial takes place
- Missile range has to be confined to **less than 300 km**

CURRENT STATUS
The construction has just started. It may take **three to four years** for the ship to be ready to conduct the first trial

- अपने आप में विशिष्ट प्रकार की इस व्यवस्था में प्रक्षेपण मंच, प्रक्षेपण नियंत्रण केन्द्र तथा परियोजना नियंत्रण केन्द्र जैसी आदर्श सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली

- यह प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली विभिन्न उँचाइयों से आने वाले शत्रु के प्रक्षेपास्त्र का सामना करते हुए उसे नष्ट कर देगी।
- प्रणाली यह कार्य दो रुपों में संपन्न करेगी।
- अंत: वायुमंडल वातावरण (30 किमी. से कम) - में एडवांस एयर डिफेंस (AAD) अथवा अश्विन बैलेस्टिक अवरोधक प्रक्षेपास्त्र
- बाह्य वायुमंडल आधारित (50-80 किमी.) पृथ्वी एयर डिफेंस (PAD) अथवा प्रद्युम्न रक्षा प्रणाली- निम्नलिखित दो चरणों पर आधारित होगी:
- चरण-I- 2000 किमी. की दूरी से आने वाले शत्रु प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने के लिए अवरोधक (interceptor) का विकास।
- चरण-II – लंबी दूरी से आने वाले शत्रु प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने वाली प्रणाली के विकास से संबंधित।
- ध्यातव्य है कि भारत ने अब तक दस अवरोधक (interceptor) प्रक्षेपास्त्र आधारित परीक्षण किए हैं। अधिकांश परीक्षण सफल रहे हैं। यद्यपि किए गए परीक्षणों में अधिकांशत: अंत: वायुमंडलीय (endo-atmospheric) परीक्षण रहे हैं।
- प्रणाली के प्रथम चरण आधारित तकनीकि की तैनाती, कुछ और अवरोधक (interceptor) प्रक्षेपास्त्र परीक्षणों के पश्चात, तैनात किए जाने योग्य स्थलों पर कर दी जाएगी।

अमोघ-I प्रक्षेपास्त्र

विशेषताएं

- स्वदेश आधारित प्रौद्यागिकी
- टैंक नाशक निर्देशित प्रक्षेपास्त्र की द्वितीय पीढ़ी।
- 2.8 किमी. की मारक क्षमता
- भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) के द्वारा विकसित 'नाग' भारत का अन्य टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र है।
- कारवाड - स्वेज नहर के पूर्व में स्थित भारत का सबसे बड़ा नौ-सैनिक सुविधा केन्द्र:
- आई.एन.एस. व्रजकोश तथा आई.एन.एस. कदम्ब (जो आई.एन.एस. व्रजकोश से 20 किमी. दूर स्थित है) सहित कारवाड़ नौसैनिक अड्डा 1000 एकड़ में फैला है तथा स्वेज नहर के पूर्व में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है।

सी बर्ड अभियान-1985

- यह 25000 करोड़ की राशि से कारवाड़ नौ सैनिक केन्द्र के विकास की परियोजना है। जिसका वर्ष 2005 से क्रमिक विकास किया जा रहा है।
- चरण-1 – आइ. एन. एस. कदम्ब नौ सैनिक केन्द्र का विकास।
- चरण-2 - आइ. एन. एस. वज्रकोश नौ सैनिक केन्द्र।

- इस केन्द्र पर दो विमानवाहक पोत, 10 पनडुब्बियों सहित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बहुत से वायुयानों को स्थान दिया जा सकता है।
- यहाँ 6,500 टन भार उठाने वाले सभी युद्धक पोतों के मरम्मत आदि कार्यों को संपन्न जा सकता है। यद्यपि विमानवाही युद्धक पातों को शुष्क गोदी में स्थापित करने की व्यवस्था उपलब्ध नही है।
- "कारवाड़ से निकट हाल ही में आई.एन.एस. व्रजकोश केन्द्र की स्थापना की गई है।
- आई.एन.एस. ब्रजकोश केन्द्र प्रक्षेपास्त्रों, शस्त्रों और उपकरणों का पश्चिमी समुद्र तट पर विशाल संग्रह स्थल होगा। यह एक ऐसा केन्द्र होगा जहाँ से सभी युद्धपोतों और वायुयानों को अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित किया जा सकेगा।

कारवाड़ का ही चयन क्यों?

- पश्चिमी समुद्री तट पर बाम्बे और कोचीन बंदरगाहों पर वाणिज्यिक आवागमन का अत्यधिक दबाव है।
- पाकिस्तानी वायु सेना की प्रहारक क्षमता से परे, नौ सैनिक केन्द्र के रुप में कारवाड की परिकल्पना की गई है। इस केन्द्र से देश के विविध स्थलों पर सैन्य क्षमताओं को समान समय में तैनात किया जा सकेगा।

एकीकृत नौ सैनिक निर्देश एवं नियंत्रण प्रणाली (IACCS) चर्चा में क्यों?

सरकार ने वायुसेना की एकीकृत निर्देश एवं नियंत्रण व्यवस्था

VISION IAS

(IACCS) की स्थापना के लिए 8,000 करोड रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

विशेषताएं

- एकीकृत निर्देश एवं नियंत्रण प्रणाली (IACCS) भारतीय वायुसेना की पूरी तरह स्वचालित निर्देश और नियंत्रण प्रणाली होगी।
- यह आकाश की ओर से आने वाले शत्रु के किसी भी आक्रमण या खतरे की पहचान कर त्वरित रुप से उसका सामना करेगी। अपनी सशक्त निगरानी क्षमता के कारण यह ऐसे किसी भी संकट की सूचना तुरंत देगा।

अपाचे आक्रमणकारी हेलीकाप्टर की विशेषताएं

- बहुउद्देशीय युद्धक हेलीकाप्टर अत्यधिक उन्नत
- सभी मौसमों में तथा रात्रि में भी लड़ने की क्षमता
- स्टील्थ प्रौद्योगिकी तथा उन्नत सेन्सरों से युक्त

- इस प्रणाली से वायुसेना मुख्यालय को भारतीय आकाश की समेकित तस्वीर प्राप्त होगी। ध्यातव्य है कि यह प्रणाली वायु सेना, थल सेना, नौ सेना तथा राडार प्रणाली की संयुक्त क्रियाविधि पर आधारित है।

चर्चा में क्यों ?

भारत नवंबर माह से इन्जेक्शन के द्वारा प्रदान किए जाने वाले पोलियो टीके का प्रयोग चरण बद्ध रुप से प्रारंभ करेगा।

- इसके माध्यम से वायुयान और त्वरित केन्द्रों के बीच, विभिन्न आंकड़ों, ध्वनियों एवं चित्रों का त्वरित आदान-प्रदान संभव होगा।

रक्षा खरीद

- इजराइल से प्राप्त 10 हेरोन टी.पी नाम के प्रक्षेपास्त्र। यह ड्रोनयुक्त प्रक्षेपास्त्र है।
- सरकार ने 400 मिलियन डालर के 'हेरोन टी पी ड्रोन' के खरीद समझौते को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- यह किसी वस्तु की खोज-पहचान, उससे टक्कर लेने और युद्ध में सहायक की भूमिका निभाने में समर्थ प्रणाली है।
- यह शत्रु की भूमि पर स्थित लक्ष्यों और आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने में सक्षम है।
- यह भारत की सीमा पार मारक क्षमता में वृद्धि करेगा।

बोइंग के साथ उच्च राशि का खरीद समझौता

- केन्द्रीय मंत्रीमंडल की सुरक्षा समिति ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ कई बिलियन डालर के रक्षा खरीद समझौतों को मंजूरी दी।
- इस खरीद समझौते के अन्तर्गत 22 आक्रामक अपाचे हेलीकाप्टर और 15 चिनूक हेलीकाप्टर शामिल हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गत दशक में किए गए समझौतों के अंतर्गत P-81 सामुद्रिक निगरानी विमान, C-130J' सुपर हरक्युलिस और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे विमानों की खरीद शामिल है।

भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास

S No.	Name	Nations with	Wing	Number
1	MITRA SHAKTI 2015	Sri Lanka	Army	3rd
2	KONKAN 2015	UK	Navy	10th
3	AUSINDEX 15	Australia	Navy	1st
4	KUVERIN 2015	Maldives	Joint Training exercise	6th

सैन्य अभ्यासों का उद्देश्य

- उत्कृष्ट सैन्य पद्धतियों की एक दूसरे से साझेदारी करना।
- सैन्य अभियानों में विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में साझेदारी के माध्यम से सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना।
- दो देशों की सेनाओं के मध्य संबंधों में विश्वास और परस्पर सम्मान उत्पन्न करने के लिए।
- भविष्य के सैन्य अभियानों में दोनों सेनाओं के मध्य सामंजस्य को बढ़ावा देगा।
- विशेषत: प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध कला के किसी एक विशेष पक्ष पर केन्द्रित होते हैं जैसे 'असिनेडक्स'15 (AUSINDEX'15) पनडुब्बी नाशक युद्ध कला पर केन्द्रित है। यद्यपि परीक्षा के दृष्टिकोण से विस्तृत रुप से इन बिंदुओं को स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं है।

स्वास्थ्य एवं बायो तकनीकि

इनजेक्टेबल पोलियो टीका (IPV)

- पिलाये जाने वाले पोलियो टीका और इनजेक्टबल पोलियो टीका (IPV) के मध्य प्रमुख अंतर हैं जहाँ पिलाये जाने वाले टीका दुर्बल या अशक्त पोलियो वायरस के द्वारा तैयार किया जाता है जबकि इनजेक्टेबल पोलियो टीका निष्क्रिय पोलियो वायरस के द्वारा तैयार की जाती है। फलस्वरूप पिलाये जाने वाले टीके के माध्यम से टीका प्रभावित पोलियो रोग होने की संभावना होती है। जबकि इन्जेक्ट किए जाने योग्य टीका निष्क्रिय या मृत पोलियो

VISION IAS

वायरस के माध्यम से तैयार किया जाता है अत: पोलियो रोग में उत्पन्न सभी तीन प्रमुख समस्याओं से यह उन्मुक्ति प्रदान करता है।

लाभ -

- चूँकि इन्जेक्टेबल पोलियो टीका एक जीवित टीका नहीं है अत: टीके द्वारा होने वाले पोलियो रोग की संभावना को पूरी तरह समाप्त करता है।
- इस टीके के माध्यम से अधिकांश लोगों में विशिष्ट संरक्षणात्मक प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जा सकता है।

हानि

- इन्जेक्ट किये जाने वाले टीके से आतों में निम्न कोटि की प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। अत: आंतों में, अवशिष्ट आदि में, यह वायरस विद्यमान रह सकता है। अत: रोग की संभावना बनी रहती है। वायरस शीघ्रता से फैलकर पोलियो रोग उत्पन्न कर सकता है।
- (IPV) मुख आधारित टीके की अपेक्षा पाँच गुना अधिक लागत वाला है।
- इस टीके के प्रयोग के लिए कीटाणु रहित स्वच्छ उपकरणों के अतिरिक्त, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता होती है।

भारतीय परिदृश्य

- भारत में प्राकृतिक रुप से उत्पन्न पोलियो वायरस का पिछले वर्ष जनवरी में पूरी तरह उन्मूलन हो गया। किंतु औषधि प्रेरित पोलियो के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों का सामना किया जाना बाकी है। दूसरे राष्ट्रों से इस वायरस के आगमन का खतरा और इसके फैलने की संभावनाएँ अभी भी विद्यमान है। वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास (GPEI) पोलियो के विरुद्ध संघर्ष को वैश्विक स्तर पर समन्वित करता है। यह अभियान मुख आधारित त्रि-संयोजक (Trivalant) टीके के प्रयोग को पूर्ण रुपेण समाप्त करना चाहता है।
- अप्रैल 2016 से त्रिसंयोजक (Trivalant) पोलियो टीके के स्थान पर संयोजक पोलियो टीके का प्रयोग किया जाएगा। टीका प्रभावी पोलियो वायरस की उत्पत्ति की सम्भावना को यह कम करेगा।
- प्रतिरक्षण कार्यक्रम को निरंतर चलाए रखने के लिए सूक्ष्म योजनाओं का निर्माण।
- निरीक्षण और निगरानी तंत्र की स्थापना, ताकि समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सके।

विश्व का प्रथम मेनिनजाइटिस बी टीका कार्यक्रम

चर्चा में क्यों - ब्रिटेन के द्वारा विश्व का प्रथम मेनिनजाइटिस बी टीका कार्यक्रम चलाया गया। दस में से एक मामले में अत्यधिक खतरनाक सिद्ध होने वाले इस कार्यक्रम को सभी नवजात बच्चों के लिए संचालित किया गया।

रोग की व्यापकता

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीवाणुकृत मेनिनजाइटिस के कारण विश्वभर में 1,70,000 मौते होती हैं। जबकि विकासशील देशों में औसतन 3,33,000 मामलें प्रतिवर्ष प्रकाश में आते हैं।

कारण - सामान्यत: नेस्सेरिया मेनिनजाइटिडिस (Neisseria Meningitidis) जीवाणु (Bacteria) के कारण यह रोग होता है। इसे मेनिंगोकोकस के नाम से भी जाना जाता है।

प्रसार: यह रोग सामान्यत: लार के द्वारा फैलता है, किंतु संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में लंबे समय तक रहने से भी इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है।

ब्रुसेला

- यह एक जीवाणु (Bacteria) है।
- यह एक कम तीव्रता का प्रभावशाली जैविक हथियार है।
- यह माल्टा नाम के ज्वर का वाहक जीवाणु है।
- हाल ही में मैक्सिकों की खाड़ी में डाल्फिन मछलियाँ इस जीवाणु से संक्रमित पाई गई।

एम.टी.डी.एन.ए. (MTDNA)

1. माइटोकान्ड्रियल डी.एन.ए. (MTDNA), माइटोकान्ड्रिया नामक कोशिकांग में पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण डी.एन.ए. यूकैरेयोटिक कोशिकाओं के नाभिक (Nucleus) में पाये जाते हैं।
2. मनुष्यों में माइटोकान्ड्रियल डी.एन.ए. पूरी तरह से माता से वंशानुगत रुप से प्राप्त होते हैं।
3. भारत के नृ-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यक्रम (ANSI) के अन्तर्गत विभिन्न आदिवासी समुदायों के माइटोकान्ड्रियल डी.एन.ए. का अध्ययन किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण "वर्तमान भारतीय जनसंख्या के आनुवांशिक उदविकास से संबंधित डी.एन.ए. बहुरुपता अध्ययन", के राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ परंपरा से आनुवांशिक विकास के सन्दर्भ को स्पष्ट करना तथा प्रागैतिहासिक काल में मनुष्यों के भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन का अध्ययन करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी

एम.ओ.ओ.सी. (Massive open online courses)

- यह एक व्यापक आनलाइन मुक्त पाठ्यक्रम है जो (एम.ओ.ओ.सी.) इंटरनेट के माध्यम से, असीमित भागीदारी और मुक्त पहुँच की अवधारणा पर आधारित है।

VISION IAS

- व्यापक आनलाइन मुक्त पाठ्यक्रम (एम.ओ.ओ.सी.) के सन्दर्भ में भारत सरकार के प्रयास
- भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लक्ष्योन्मुख युवा मस्तिष्क द्वारा वेब से सक्रिय ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं (SWAYAM) नाम के वेब पोर्टल का प्रारंभ किया है। इस पोर्टल पर सभी विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे।

आनलाइन व्यापक मुक्त पाठ्यक्रमों (एम.ओ.ओ.सी.) की आवश्यकता

- छात्रों में शैक्षणिक ज्ञान का निम्न स्तर।
- इंटरनेट आधारित एक प्रतिभा आकलन कम्पनी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रबंधन कार्यक्रम में स्नातकों (MBA) में से 10% तथा इन्जीनियरिंग स्नातकों में से 17% लोग ही रोजगार में नियोजित किए जाने योग्य हैं।

भारत में मानव विकास की प्रक्रिया में वही राज्य पिछड़े हैं, जहाँ प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है तथा उच्चस्तर पर गुणात्मक शिक्षा तक अधिकांश लोगों की पहुँच नहीं है।

- ध्यातव्य है कि भारत ने प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सार्वभौमिक नामांकन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस संबंध में भौतिक और अमूर्त बौद्धिक ज्ञानात्मक संसाधनों को समृद्ध भी किया गया है। किंतु माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर युवाओं की रोजगारपरक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने की चुनौती अभी भी शेष है।

अवसर

जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार, इंटरनेट प्रयोक्ताओं की बढ़ती संख्या तथा स्मार्टफोनों के अधिकाधिक प्रयोग ने गुणवत्तापूर्ण रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के विकल्प उपलब्ध कराए हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार के डिजिटल इंडिया, और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसे कार्यक्रमों ने भी, शिक्षा और दक्षता विकास करने के मार्ग को प्रशस्त किया है।

प्रभाव और महत्व

- कौशल विकास में सहायक होगा।
- जो लोग पारंपरिक शिक्षण संस्थाओं से उपाधि नहीं प्राप्त कर पाए है। वे आनलाइन व्यापक मुक्त पाठ्यक्रम के माध्यम से, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों से अपनी उपाधियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
- कम लागत में रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति का माध्यम है। नियोजित रोजगार में रहते हुए भी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
- इसमें विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए करोड़ों मस्तिष्कों को परिष्कृत कर उनकी क्षमताओं का प्रयोग करने की सामर्थ्य है।
- इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध होने पर, आनलाइन व्यापक मुक्त पाठ्यक्रम, ज्ञानार्थियों को सुविधानुसार समय और स्थान को चयन करने का विकल्प प्रदान करता है।

आलोचना

- आनलाइन पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए डिजिटल साक्षरता आवश्यक हैं। जबकि भारत डिजिटल साक्षरता के संबंध में अल्पविकसित विषय-वस्तु पर निर्भर है जिससे शिक्षा और ज्ञान परिदृश्य में अव्यवस्था की स्थिति निर्मित होगी।
- इन पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में विद्यार्थी जितना समय देना चाहते है, संभवत: उससे कही अधिक समय और प्रयासों की आवश्यकता इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए हो।

प्रधानमंत्री की सिलीकॉन वैली की यात्रा-तकनीकी संबंधी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- 500 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गूगल के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा 5 लाख गावों तक कम लागत पर ब्रांडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्लाउड कम्प्यूटिंग व्यवस्था की स्थापना की जाएगी।
- क्वालकाम के द्वारा भारत में 150 मिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा।
- बेंगलरु में क्वालकाम कंपनी के द्वारा नवाचारों से संबंधित प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।

प्रधानमंत्री के द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं

इंटरनेट तक पहुँच में विस्तार के सन्दर्भ में

- प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशनों सहित अधिकाधिक वाई-फाई क्षेत्रों की स्थापना के लिए योजना संचालन की घोषण की। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना के माध्यम से 6,00,00,00 गांवों तक ब्रांडबैंड सुविधा के प्रसार कार्यक्रम संचालित करने की भी घोषण की गई।
- सभी स्कूलों को ब्राडबैंड से जोड़ना। 'हाइवे' से अधिक महत्वपूर्ण 'आइवे' महत्वपूर्ण है।

प्रशासन के सन्दर्भ में

- सरकार लोगों को सामान्य जरूरतों के लिए आवश्यक दस्तावेजों के भार से मुक्ति प्रदान करना चाहती है।
- ई-बिज (Ebiz) पोर्टल की स्थापना ने व्यवसासियों और जनता के लिए शासकीय अनुमति प्राप्त करना आसान बना दिया है। तकनीकि का प्रयोग।
- विकास को गति और विस्तार देने में सहायता प्रदान कर रहा है।
- तकनीकि सस्ती, मूल्यवर्धक एवं सबकी पहुँच में होनी चाहिए।
- आंकड़ों की 'निजता' एवं 'सुरक्षा' जैसे पहलुओं को सुनिश्चित

करते हुए सरकार को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जा सकता है।

- एक अरब सेलफोन वाले देश में, मोबाइल शासन (एम-गवर्नेन्स) के माध्यम से 'विकास' को सर्वसमावेशी जा सकता है। यह प्रक्रिया शासक और शासित के बीच के अंतर को पूरी तरह समाप्त कर देगी।

फ्लैशर (FLASHER)

- क्या है-एक साफ्टवेयर जिसका प्रयोग एक कम्पयूटर से संबंद्ध कर फोन के 'आई.एम.ई.आई.' नंबर को परिवर्तित करने के लिए कर सकते हैं।
- इस साफ्टवेयर से एक ही आई.एम.ई.आई. नंबर को अनेक मोबाइल फोनो को प्रदान किया जा सकता हैं। अत: इसके प्रयोग से पुलिस, अपराधों की जाँच प्रक्रिया के दौरान भ्रमित हो सकती है।

ऑपरेशन मोबाइल हन्ट

- सभी उपलब्ध तकनीकों का प्रयोग करते हुए खोए हुए अथवा चोरी हुए मोबाइल की खोज के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मोबाइल हन्ट कार्यक्रम चलाया गया।
- इस अभियान के तहत खोए हुए/चोरी/छीने गए मोबाइल फोनों की दिल्ली पुलिस द्वारा सतत निगरानी की जाएगी। जैसे ही इसके संकेत प्राप्त होगें, स्थानीय पुलिस थाने को सक्रिय करके फोन बरामद किया जाएगा।
- अभी तक चोरी किए गए फोनों के सभी वास्तविक निशान/ चिन्ह फुटकर फोन विक्रेताओं के द्वारा मिटा दिए जाते थे, किंतु वे आई.एम.ई.आई. में परिवर्तन नहीं कर पाते थे।
- नई तकनीकि (FLASHER SOFTWARE) के प्रयोग के माध्यम से आई.एम.ई.आई. भी अब दुरुपयोग का साधन बन जाएगा।

हाइब्रिड वैक्यूम टॉइलेट

- यह (वैक्यूम टॉयलेट) निर्वात शौचालयों एवं जैव संशोधकों (Bio digester) का संयोजन है। उत्सर्जित पदार्थ निर्वात शौचालयों से होकर, जैव संशोधकों (Bio digester) तक पहुँचते हैं। जैव संशोधक टैंक, कोच के ठीक नीचे लगाया जाता है। इसमें अवायवीय जीवाणु समाहित रहते हैं, जो मानव अपशिष्ट को जल और गैस के छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के पश्चात ही अपशिष्ट, ट्रेन या यातायात साधनों से संबंधित पटरी या धरातल पर पहुँचते है। इस प्रकार के हाइब्रिड शौचालयों के विकास की संकल्पना भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित की गई है।
- जल प्रयोग - इनमे शौच आदि शुद्धता कार्यों के लिए 500 मिली. जल की आवश्यकता पड़ती है, जबकि परंपरागत शौचालयों में 10-15 लीटर जल की आवश्यकता इस कार्य के लिए होती है।

पॉवर वॉल

- यह टेसला मोटर कंपनी के द्वारा विकसित घरेलू उपयोग के लिए पुन: चार्ज किए जाने योग्य लीथियम आयन बैटरी है।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त ऊर्जा के माध्यम से, सूर्यास्त के पश्चात घरेलू उपकरणों को चार्ज करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है।
- पावरवॉल, ऊर्जा की स्वचालित, सरल और सुगमता से स्थापित होने वाली आसान युक्ति है। यह विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के पारंपरिक व्यवस्था पर निर्भरता समाप्त करता है। पावरवॉल आपातकालीन उर्जा प्राप्ति को सुनिश्चित करता है।
- औद्योगिक इकाईयों के लिए 'पॉवर पैक' नाम का बृहद संस्करण तैयार किया गया है, जिसमें 100 किलो वाट घंटा की ऊर्जा संग्रहण क्षमता है।

प्रधानमंत्री की टेसलामोटर कंपनी के भ्रमण का प्राथमिक उद्देश्य, कंपनी की सौर ऊर्जा तकनीक से संबंधित भारतीय हितों की संलग्नता है।

VISION IAS

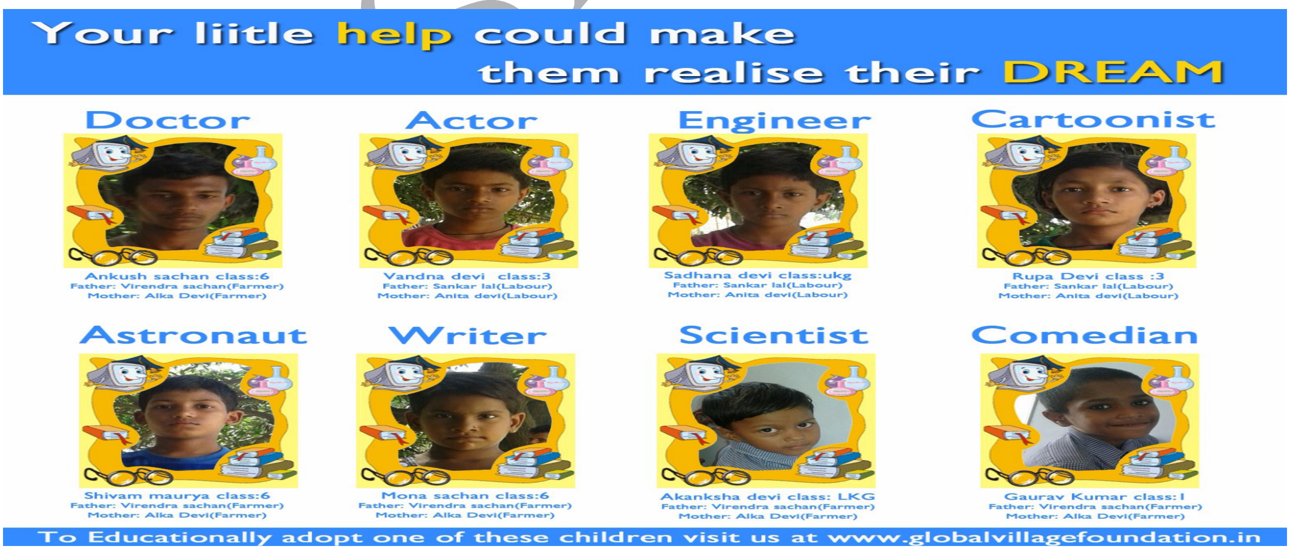

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

समान विचारधारा वाले विकासशील देशों की बैठक (Meeting of Like-Minded Developing Countries)

- यह समूह संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में एक विशेष गुट के रूप में, वार्ता प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले विकासशील देशों का एक समूह है। यह समूह दुनिया की 50% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
- भारत ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर इस समूह की बैठक का आयोजन किया।

इस बैठक का उद्देश्य

- जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में होने वाले कोप-21(cop-21) सम्मेलन के लिए वार्ता की रणनीतियों को तैयार करना।
- बान वार्ताओं के दौरान, डरबन सम्मलेन में बने तदर्थ कार्य-समूह से सम्बन्धित विचारों के आदान-प्रदान के साथ ही इनमें समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना।

समूह की मुख्य चिंताएं

- पेरिस समझौता सिर्फ शमन पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। डरबन जनादेश में अपनाये गए निम्न छह तत्वों पर इसे एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए:
- शमन (mitigation)- अलग-अलग जिम्मेदारी के साथ
- अनुकूलन
- वित्त
- क्षमता निर्माण
- प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण
- हानि और क्षति की स्थितियों में, पारदर्शी प्रयासों के माध्यम से समर्थन करना ।

समूह की सदस्यता परिवर्तनीय है

वर्तमान सदस्य:

अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बोलीविया, चीन, क्यूबा, इक्वाडोर, मिश्र, अल साल्वाडोर, भारत, जार्डन, इराक कुवैत, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, माली, निकारागुआ, पाकिस्तान, सऊदी अरब, श्रीलंका, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और वियतनाम।

- विकासशील देशों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए समान एवं विभेदित उत्तरदायित्व लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों (common but differentiated responsibilities), क्षमतानुसार योगदान तथा समानता के सिद्धांतों को प्रमुख आधार बनाया जाना चाहिए|
- वित्तीय बोझ को विकासशील देशों पर थोपने की चिंता।
- बॉन में आयोजित वार्ता के अंतिम दौर में " किसी निश्चित प्रारूप के बिना वार्ता" पर निराशा।
- इस समूह ने विकासशील देशों के व्यक्तिगत प्रयासों को तीव्र करने संबंधी किसी भी अनिवार्य समीक्षा तंत्र की स्थापना का विरोध किया है ।

राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति

उद्देश्य

- राजमार्गों के किनारे-किनारे वृक्षारोपण के लिए एक नीतिगत रूपरेखा का विकास
- वायु प्रदूषण और धूल के प्रभाव को कम करना
- गर्मियों के दौरान सड़कों पर छाया प्रदान करना
- ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी के कटाव के प्रभाव को कम करना
- सामने से आने वाले वाहनों की हेडलाइट्स की चमक को रोकना
- रोजगार सृजन
- प्रथम वर्ष में 6000 किमी लम्बे राजमार्गों पर वृक्षारोपण।

इस नीति का लक्ष्य आर्थिक वृद्धि और स्थायी विकास के लिए समुदायों, किसानों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, सरकारी एजेंसियों और वन विभाग की भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 द्वारा गठित किया गया था। इस पर राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी है। 1995 में प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही इसने कार्य आरम्भ कर दिया था।

अनुदान: सड़क परियोजना लागत के 1% के योगदान से एक हरित राजमार्ग फंड बनाया जायेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोष प्रबंधक के रूप में काम करेगा।

प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नीति में किए गए विशेष प्रावधान

- नीति में ऑडिटिंग की एक सख्त व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। सरकार द्वारा सिर्फ उन्हीं एजेंसियों को वित्त दिया जायेगा जिनके द्वारा पिछले वर्ष किये गए वृक्षारोपण के अंतर्गत 90 प्रतिशत वृक्ष सुरक्षित हैं ।
- इसरो के भुवन और गगन उपग्रह प्रणालियों

दोनों रिपोर्टो के अनुसार पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र:

- माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाली पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल: 64%
- कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाला जो उच्च स्तरीय कार्य समूह (जिसने गाडगिल रिपोर्ट की समीक्षा की): 37%

VISION IAS

का उपयोग करके एक मजबूत निगरानी तंत्र बनाया जायेगा। लगाए गए सभी वृक्षों को गिना जाएगा और ऑडिटिंग की जाएगी।

महत्व

- इस नीति में वृक्षों का आरोपण , प्रत्यारोपण और सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव भी शामिल हैं।
- वायु प्रदूषण में कमी आएगी।
- भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना।
- वन आवरण लक्ष्य हासिल करना।

सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991

खबर में क्यों:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किये हैं।

अधिनियम के प्रावधान

- अधिनियम में कुछ उद्योगों के लिए अनिवार्य बीमा पॉलिसी का प्रावधान है। यह प्रावधान किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं की स्थिति में क्षतिपूर्ति और सहायता प्रदान करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगा इसके माध्यम से दुर्घटना में प्रभावित उन लोगों को भी सहायता प्रदान की जा सकेगी जो सम्बंधित कारखाने में कार्यरत नहीं हैं|
- अधिनियम में एक पर्यावरण राहत कोष की स्थापना का प्रावधान है जो इस प्रकार के सभी उद्योगों द्वारा वित्तपोषित होगा।
- सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रशासित क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों को किसी उद्योग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीकरण से पहले जाँच-सूची में सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी जोड़ने की सलाह दी गई है।

पश्चिमी घाट

खबर में क्यों:

सरकार ने पश्चिमी घाट में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में चिन्हित करने के लिए एक नया मसौदा जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- हाल के दिनों में सरकार द्वारा नियुक्त दो समितियों ने पश्चिमी घाट में अपूरणीय क्षति को रोकने के लिए सिफारिशें दी थीं।
- इन दोनों समितियों की सिफारिशों पर अमल करते हुए सरकार ने छह राज्यों के 4156 गांवों की पहचान पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में की थी।
- इस घोषणा को स्थानीय आबादी और राज्य सरकारों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस घोषणा को आजीविका और विकास परियोजनाओं के लिए एक खतरा के रूप में देखा गया।

पर्यावरण मंत्रालय ने सभी छह राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) को प्रस्तावित सीमांकन क्षेत्रों को सत्यापित करने और विशिष्ट आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

- अब तक केवल चार राज्यों ने ऐसा किया है।
- पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र की सीमायें और पूर्व अधिसूचना के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे क्योंकि 2 राज्य सरकारों द्वारा पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के सीमांकन के भौतिक सत्यापन का प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
- सरकार के अनुसार पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के सीमांकन के बाद भी:
- पश्चिमी घाट क्षेत्र में रहने वाले लगभग 50 लाख लोगों का जीवन प्रभावित नहीं होगा।
- उनके कृषि और बागानों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
- उनके सामान्य कारोबार और उनकी अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिकूल असर नहीं होगा।
- पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के सीमांकन में निहित मंत्रालय के उद्देश्य
- स्थानीय लोगों को आजीविका सुरक्षा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पश्चिमी घाट क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण।
- पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से समावेशी विकास को सकारात्मक प्रोत्साहन।
- पश्चिमी घाट के संरक्षण की आवश्यकता।
- पश्चिमी घाट एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट (hotspot) है।
- यहीं पर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी कई नदियों का उद्गम स्थल है। इन्ही नदियों पर इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था निर्भर है।

राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति

पृष्ठभूमि

दुनिया भर में ऊर्जा की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए पवन ऊर्जा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इसे विकसित, लागत प्रभावी और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत ने तटवर्ती क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। भारत में 23 गीगावॉट से अधिक पवन ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। अपतटीय पवन चक्की के अनुसंधान, विकास और प्रगति में मदद करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति बनायी है।

विशेषताएं

- भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना।
- नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।

 ©Vision IAS

VISION IAS

- नोडल एजेंसी: पवन ऊर्जा का राष्ट्रीय संस्थान।
- यह नीति घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सभी निवेशकों / लाभार्थियों को एक समान स्तर प्रदान करेगी। पवन ऊर्जा के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
- इससे हमें वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा के 60000 मेगावॉट उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- अनूठी विशेषता: 1000 मेगावॉट तक की क्षमता वाले बड़े बिजली संयंत्रों का निर्माण किया जा सकता है और इसके लिए कृषि भूमि औद्योगिक भूमि के रूप में परिवर्तन की जरूरत भी नहीं होगी।

कमियां

इसकी लागत अधिक हो सकती है।

- इसका निर्माण और रखरखाव तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन से संबंधित नैतिक चिंताएं

ग्रीन हाउस गैसों का आनुपातिक मात्रा से अधिक उत्सर्जन

- ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन औद्योगिक विकास कर चुके अधिक अमीर और विकसित देशों से होता है।
- उदाहरण के लिए, लगभग दो-तिहाई उत्सर्जन अमेरिका, यूरोप और जापान से होता है। इन देशों में दुनिया की आबादी का सातवां भाग रहता है और इन देशों में दुनिया का आधा धन संगृहीत है ।
- अमेरिका का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 18 मीट्रिक टन/वर्ष है
- बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 1/2 मीट्रिक टन/वर्ष है
- ये दर्शाता है कि विलासिता पूर्ण जीवन शैली वाले देशों तथा जीवन यापन हेतु सीमित उर्जा का उपयोग करने वाले देशों के उत्सर्जन में भारी अंतर है|
- सीमित कार्बन बजट: इसका मतलब है ग्रीन हाउस गैसों की वह मात्रा जो एक स्थिर जलवायु को बनाए रखते हुए वातावरण में उत्सर्जित की जा सके।
- इन सभी नैतिक मुद्दों पर पेरिस सम्मेलन में विचार किया जाएगा।

विलंबित प्रभाव

- वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभावों को पूरी तरह प्रकट होने में कई दशक लग सकते हैं। जैसे समुद्रों के तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना और मौसम प्रणाली में बदलाव जिससे अन्य पारिस्थितिक प्रभाव उत्पन्न होंगे।
- ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और इनके प्रभावों के प्रकट होने में पीढियों का अंतराल होता है। अत: इन गैंसों के सीमा से अधिक उत्सर्जन में नैतिक आयाम भी समाहित हैं।

विषम प्रभाव

- विकासशील देशों में रहने वाले गरीब लोग विकसित देशों में रहने वालों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के विनाशक प्रभावों का सामना करेंगे ।
- जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा प्रभाव उप-सहारा अफ्रीका में रहने वाले लोगों पर, प्रशांत एवं हिंद महासागर में छोटे द्वीपों पर रहने वाले लोगों पर और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, मिस्र एवं चीन के डेल्टा क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर होगा।
- आमतौर पर उनके पास जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के संसाधन नहीं होते हैं। जैसे समुद्री दीवार या तटबंध बनाना या व्यापक बीमा व्यवस्था द्वारा।
- दरअसल सबसे अधिक जोखिम में वे लोग हैं जो इन जोखिम वाले क्षेत्रों में आजीविका निर्वाह करते हैं।

भारत में पहली प्रथम तेंदुआ जनगणना

- भारतीय वन्यजीव सर्वेक्षण के नवीनतम सर्वेक्षण में तेंदुओं की आबादी 12000-14000 के बीच अनुमानित की गयी है।
- तेंदुओं की अधिकांश आबादी में एक स्वस्थ आनुवंशिक विनिमय सुनिश्चित है। इसलिए तेंदुओं को भारतीय बाघों की तरह सीमित आबादी की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता।

जनगणना कार्यप्रणाली में विभिन्न खामियां

- विभिन्न स्थानों पर लगाये गए कैमरों की तस्वीरों के अनुसार तेंदुओं की वास्तविक संख्या 1647 है। हालांकि एक ही तेंदुओं की कई तस्वीरें मौजूद हैं और इस आंकडें को बड़ा चढ़ा कर 7910 बताया गया है।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों और अन्य राज्यों के कुछ क्षेत्रों को सर्वेक्षण से बाहर रखा गया है।

पीले गले वाली बुलबुल

खबर में क्यों: सेलुलर और आणविक जीवविज्ञान केंद्र की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण प्रयोगशाला पीले गले वाली बुलबुल के संरक्षण के लिए प्रयास करेगी

अन्य विवरण

- यह सिर्फ भारत के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है।
- आईयूसीएन की लाल सूची में शामिल है।
- यह अवैध शिकार या पकड़ने की वजह से खतरे में नहीं है बल्कि पिछले कई दशकों से हो रहे इसके निवास स्थान के विनाश की वजह से खतरे में है। इसे ग्रेनाइट खनन, कृषि विस्तार और पशु चराई की वजह से होने वाले निवास स्थान के विनाश से खतरा है।

VISION IAS

अर्थव्यवस्था

गैर निष्पादित परिसंपत्तियों संबंधी चुनौती

गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ क्या हैं ?

- बैंकों की परिसंपत्तियाँ जो अपेक्षित कार्य नहीं संपन्न करती (अर्थात् – कोई प्रतिफल नहीं लाती) गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) या कुऋण (bad loans) कहलाती हैं।
- ग्राहकों को दियें गयें ऋण तथा अग्रिम, बैंकों की परिसंपत्तियाँ होते हैं। यदि ग्राहक ब्याज या मूलधन का भाग या दोनों में से किसी का भी भुगतान नहीं करते हैं तो ऐसे ऋण, बुरे ऋण या कुऋण में परिवर्तित हो जाते हैं।

> कृषि/कृषिक्षेत्र ऋणों के संदर्भ में ; NPA ऐसे परिभाषित किया जाता है:
> - कम अवधि की फसल के लिए, कृषि ऋण 2 फसल सीजन (मौसम) के लिए भुगतान नहीं किया है।
> - लंबी अवधि की फसलों के लिए, उपरोक्त देय तिथि से 1 फसल सीजन (मौसम) होगा।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, सावधि ऋण जिन पर ब्याज या मूलधन की किश्त, एक विशेष तिमाही के अंत से, 90 दिनों से अधिक समय तक नहीं चुकाई जाती हैं एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहलाती हैं।

गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के कारण

आंतरिक कारक

- निधि की कमी- प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों को (SCs / RCs) अपने विस्तार के लिए तथा कार्यक्षेत्र में एक उपयोगी भूमिका निभाने के लिए वृद्धिशील (incremental) पूँजी की आवश्यकता होती हैं।
- गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) का मूल्य निर्धारण- विक्रेताओं द्वारा अपेक्षित मूल्य तथा प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा निविदित मूल्य के बीच का अन्तराल बढ गया हैं, जिससे नीलामियों की सफलता दर घट रही हैं।
- मानसून की कमी के कारण, भारत के कृषि ऋण की परिसंपत्ति गुणवत्ता उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होती हैं।
- जिस विशेष उद्देश्य हेतु ऋण लिए गए थे उस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाना, वितरित ऋणों की कमजोर वसूली ।
- आर्थिक लाभ को बढ़ावा न देने वाली अतिरिक्त क्षमता का निर्माण ।
- कॉर्पोरेट समूह की पूँजी बाज़ार से इक्विटी या अन्य ऋण साधन द्वारा पूँजी जुटाने में असमर्थता ।
- व्यापार की असफलताएं ।
- नयी परियोजनों के स्थापन/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए प्रदत्त कोष का सहयोगी संस्थाओ की सहायता आदि में उपयोग करना।
- इरादतन चूक, धन की हेराफेरी , धोखाधड़ी, विवाद, प्रबंधन के विवाद, ग़बन इत्यादि के कारण।
- बैंकों की तरफ से कमियाँ जैसे कि साख निर्धारण में, निगरानी तथा जाँच की प्रक्रिया का उचित रूप अनुपालन न होने से अनेक सरकारी निकायों द्वारा भुगतान आदि के निपटाने में देरी इत्यादि।

बाहय कारक

- सुस्त कानूनी व्यवस्था :
- लम्बी क़ानूनी उलझने
- श्रम कानूनों में किये गए बदलाव
- गंभीर प्रयासों का अभाव ।
- कच्चे माल की कमी, निवेश मूल्य में बढ़ोत्तरी, बिजली की कमी, औधोगिक मंदी, प्राकृतिक आपदाएँ जैसे कि बाढ़, दुर्घटना ।
- विफलताएं, अन्य देशो में गैर भुगतान/बकाया, अन्य देशों में मंदी, राष्ट्रों के नियमों में परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव, प्रतिकूल विनिमय दर इत्यादि ।
- सरकारी नीतियां, जैसे उत्पाद शुल्क में परिवर्तन, आयात शुल्क में परिवर्तन इत्यादि ।

समाधान

- गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारण के लिए तथा आरक्षित मूल्य तय करने के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य पद्धति ।
- तृतीय पक्ष की निवेशक पूँजी का अभाव, जोकि व्यवहारिक रूप से अनुपस्थित द्वितीय बाज़ार का सीधा प्रभाव है। यह एक विडम्बना है की गैर निष्पादक परिसंपतियों को बेचने वाले बैंक ही प्रतिभूति पुनर्निर्माण कंपनियों के रूप में निवेशक की दोहरी भूमिका निभाते हैं।
- दिवालियापन संहिता - न्यायिक प्रक्रिया का मुद्दा - व्यापार करने की सुविधा को सहज बनाने में, एक मजबूत दिवालियापन ढांचा के होने की महत्ता को स्वीकार करना। केंद्र ने भारत में कॉर्पोरेट दिवालियापन के कानूनी ढांचे के अध्ययन हेतु एक दिवालियापन कानून सुधार समिति का गठन किया हैं। जनवरी 2016 तक इसके रिपोर्ट आने की संभावना है ।

वायदा बाजार आयोग (FMC) का सेबी(SEBI) के साथ विलय

- विश्वभर में नयें नियामक प्राधिकरण बनाने के अपेक्षाकृत प्रचलित चलन के प्रतिकूल यह दो नियामक निकायों वायदा बाजार आयोग (FMC) के पूँजी बाजार प्रहरी, सेबी (SEBI) के साथ विलय का प्रथम मामला है ।

VISION IAS

- भारत में प्रतिभूति तथा वस्तुओ(जिंस) के लिए एक एकीकृत नियामक स्थापित किया गया है। भारत में जिंस वायदा बाजार की अब सेबी (SEBI) द्वारा निगरानी की जाएगी ।

पृष्ठभूमि

CHRONOLOGY

- **2002:** The government withdraws prohibition on derivatives trading in commodities
- **2003:** Sebi-appointed KR Ramamoorthy committee recommends allowing securities brokers in commodity futures market
- **2003:** Wajahat Habibullah committee recommends merging FMC with Sebi
- **2007:** Percy Mistry panel suggests bringing regulation of all securities trading across stocks, bonds, forex and commodities under Sebi
- **2009:** Raghuram Rajan committee reiterates consolidation of all financial sector regulators under one roof
- **2013:** Justice BN Sri Krishna-led FSLRC recommends unified regulation. Sebi to oversee all securities trading across markets
- **2013:** FMC brought under finance ministry following a ₹5,600-crore payment crisis at NSEL
- **2015:** In his Budget speech, finance minister Arun Jaitley announces merger of FMC with Sebi

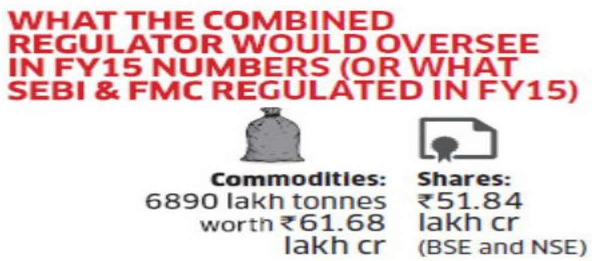

- भारत की नियामक व्यवस्था कई निरीक्षण एजेंसियों के कारण अभी तक अव्यवस्थित हैं। इस अव्यवस्था ने क्षेत्रीय नियामको के मध्य अधिकार क्षेत्रो की प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। अमेरिका और जापान को छोड़कर अधिकांश देशों में एक एकीकृत प्रतिभूति और जिंस बाजार नियामक हैं ।
- फॉरवर्ड मार्किट कमीशन (FMC) जिंस बाज़ार का 1953 से विनियमन कर रहा हैं। परन्तु शक्तियों के आभाव में इस में क्षेत्र में व्यापक अस्थिरता और कथित अनियमितता अभी भी व्याप्त हैं।
- लम्बे समय से फॉरवर्ड मार्किट कमीशन (FMC) बिना वैधानिक शक्ति के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के समान कार्य करने के लिए बाध्य था । इस विस्तृत होते क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक नियामक और जनशक्ति जैसे संसाधनों के संबंध में यह अपंग था।
- दो साल पहले ही खुले, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (NSEL) में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले जिसमे 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान संकट शामिल था, से जिन्स बाज़ार में उत्पन्न व्यापक हलचलों के बाद इस बाजार को व्यवस्थित करने के प्रयासों को गति प्राप्त हुई ।

फायदे कि स्थिति

- एक एकीकृत नियामक, वित्तीय बाज़ार की विश्वसनीयता में वृद्धि करेगा ।
- यह कर्ज की अदायगी को भी बढ़ाएगा और मूल्य – खोज प्रक्रम को भी उत्कृष्ट बनाएगा ।
- एक एकीकृत नियामक का उपयोगी वस्तु बाज़ार पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता हैं, क्योकि यह प्रतिभूति बाज़ार को पारदर्शी बनाता है ।
- SEBI पिछले दो दशकों में एक विश्वसनीय नियामक की भांति विकसित हुआ हैं ।

चुनौतियाँ

कृषि विपणन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाला विषय हैं और राजनीतिक संवेदनशीलताओ में कृषि वस्तुएँ शामिल हैं। इस क्षेत्र में मूल्य अस्थिरता की, शेयरों और बांड में होने वाली अस्थिरता से तुलना नहीं की जा सकती है।

निष्कर्ष

- जिन्स व्युत्पादित बाजार (commodity derivatives market) की वृद्धि भी व्यापार में अधिकतर तरलता प्रदान करने के लिए संस्थागत व्यवस्था की कमी से लड़खड़ायी हुई थी । लेकिन अब जिन्स बाज़ार के लिए एक सशक्त नियामक की उपस्थिति के कारण व्यवस्थित निवेशकों को निवेश की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
- सरकार को बीमा और पेंशन नियामकों के विलय के सन्दर्भ में विचार करना चाहिए जो कि पूर्णतया वित्तीय बाज़ार के लिए एक एकीकृत नियामक का अग्रगामी हो सकता हैं।

भारत में अपस्फीति

मुद्रास्फीति और अपस्फीति में अंतर

मुद्रास्फीति (INFLATION)

- मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि का एक पैमाना मात्र हैं । यदि अगस्त 2014 में आलू की कीमत 100 रुपये प्रति किग्रा हैं, और यदि अगस्त 2015 में कीमत 110 रुपये हो जाती हैं तो आलू की कीमत में मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत थी । जब ऐसा अपेक्षाकृत दीर्घ समयावधि के लिए सभी वस्तुओं के मूल्यों में होता हैं तो हम कह सकते हैं की अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही हैं ।

VISION IAS

अपस्फीति (DEFLATION)

- अपस्फीति मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति है । अर्थात् कीमतें एक अवधि से दूसरी तक गिरती जाती हैं । इस प्रकार अपस्फीति वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में एक गिरावट है । जब मुद्रास्फीति की दर 0 प्रतिशत से नीचे गिर जाती हो (एक ऋणात्मक मुद्रास्फीति दर) अपस्फीति होती हैं ।

क्या हम अपस्फीति के करीब हैं?

- सितम्बर के प्रथम सप्ताह में, अप्रैल – जून के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ो के जारी होने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम ने कथित तौर पर चेतावनी दी कि भारतीय अर्थव्यवस्था कीमत अपस्फीति की ओर अग्रसर है ।

कारक जो अपस्फीति के संकेत देते हैं

- सरकारी अधिकारी लागत मूल्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, जिनमे वैश्विक कारणों से वास्तव में तेजी से संशोधन हुआ हैं । तथापि भारतीय रिज़र्वबैंक (RBI) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति को ही प्रमुख संकेतक मानता है।
- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीत तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(CPI) आधारित मुद्रास्फीति के मध्य का अन्तराल विस्तारित होता जा रहा हैं। अन्तराल आंशिक रूप से थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति में ज्यादा बड़ी और तेजी से गिरावट दर्शाता हैं। इसका श्रेय वैश्विक स्तर पर जिंसों की कीमतों में मंदी को जाता है तथापि खुदरा मुद्रास्फीति तक इसका प्रभाव पड़ने की रफ़्तार धीमी रही हैं और परिणाम वांछित से कम रहा है।
- अपस्फीति, अस्थायी नकारात्मक मुद्रास्फीति है क्योंकि वस्तुओ के मूल्यों में गिरावट हो जाने पर इसका प्रभाव कई महीनों तक रहेगा।
- अपस्फीति उपभोक्ता व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रदर्शित करता है। कीमत होने की आशा में उपभोक्ता खर्च स्थगित कर देते हैं। वास्तव में सातवे वेतन आयोग की आगामी घोषणाओ से मिलने वाले छोटे प्रोत्साहन से भारतीय उपभोक्ता खर्च के लिए प्रेरित होंगे।
- इस विचार विमर्श में सबसे महत्त्वपूर्ण बिंदु यह हैं कि कंपनियां थोक मूल्यों पर निर्णय लेती हैं जबकि नागरिक उपभोक्ता मूल्यों पर । इसे और स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है कि उनकी वेतन की मांग उपभोक्ता मूल्यों के बारे में उनकी उम्मीदों पर आधारित होती हैं । संतोषजनक तथ्य यह है कि अपस्फीति के अभी कोई संकेत नहीं हैं। मात्र लाभप्रद अपस्फीति है।

अपस्फीति का प्रभाव:

अपस्फीति के एक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं ।

सकारात्मक प्रभाव

- अपस्फीति को एक अस्थायी अवस्था के रूप में माना जा सकता है जो बजट को संतुलित तथा प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगी।
- मध्यम श्रेणी की अपस्फीति बचतकर्ताओं तथा निवेशको के लिए लाभदायक हो सकती हैं क्योकि उनकी परिसम्पत्तियों का मूल्य अपस्फीति की दर के सापेक्ष बढ़ रहा हैं ।
- सामान्यत:, जब श्रम बल में शिथिलता होती हैं तब मजदूरी दर निम्न रखने का दबाव होता हैं, जोकि व्यापार के लिये अच्छा समझा जाता हैं । व्यापारी मजदूरों को कम भुगतान करके ज्यादा मुनाफ़ा बना सकते हैं ।

नकारात्मक प्रभाव

- अपस्फीति ऋणधारकों के लिए हानिकारक हो सकती हैं चूँकि वे उस मुद्रा में ऋण चुकाते हैं जोकि अपस्फीति के कारण ज्यादा महँगी हो गयी हैं ।
- तथापि , यह याद रखना आवश्यक हैं कि श्रमिक उपभोक्ता हैं । यदि मजदूरी स्थिर हैं तो वृद्धि भी ऐसी ही होगी ।
- सामान्यत: एक स्थिर मजदूरी वो हैं जो खपत में वृद्धि को रोकती हैं और इस प्रकार अपस्फीति कर प्रभाव हो सकता हैं ।
- कम मुद्रास्फीति या अपस्फीति इस प्रकार से उच्च बेरोजगारी के साथ सहसंबद्ध हैं ।

निष्कर्ष

- अल्पकालिक रूप कम वेतन से प्रेरित मुद्रास्फीति, से कीमतें कम होने के कारण यह उपभोक्ता के लिए राहत देने वाली होती है। वेतन (मजदूरी) में धीमी वृद्धि केवल अल्पकालिक रूप में व्यापार के लिए अच्छी हो सकती है।
- लम्बे समय में अपस्फीति व्यापार के लिए कम पूँजी प्रवाह तथा निम्न लाभ की स्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। केन्द्रीय बैंको के लिये अपस्फीति ऐसी आर्थिक स्थिति हैं जिससे वो बचना चाहते हैं क्योकि अपस्फीति और बेरोजगारी एक साथ ही प्रवृत होते हैं ।
- यह आवश्यक हैं कि उपभोक्ता और व्यापारियों को ये उम्मीद होनी चाहिए कि मूल्य भविष्य में बढ़ेंगे । अन्यथा उद्योग (व्यवसाय) नए उपकरणों में निवेश या उन्हें किराये पर लेने को स्थगित कर सकते हैं। विशेष रूप में तब, जब मूल्यों के भविष्य में बराबर या कम होने की प्रत्याशा हो । इसी प्रकार उपभोक्ता कई खरीदों को स्थगित कर सकते हैं यदि मूल्यों मे वृद्धि की कोई सम्भावना न हो। इस तरह से, कम मुद्रास्फीति और अपस्फीति निवेश और खर्च के लिए हतोत्साहित करते हैं ।

वर्तमान भारतीय आर्थिक स्थिति

मुद्दे

वर्तमान भारतीय आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में निम्नलिखित मुद्दों पर

VISION IAS

तत्काल ध्यान देने के साथ नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है।

- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और रूपये के डॉलर मूल्य में अवमूल्यन होने के बावजूद निर्यात और आयात दोनों में पिछले 14 महीनों में लगातार गिरावट आई है।
- घरेलू बचत,जोकि राष्ट्रीय घरेलू निवेश में बड़ा हिस्सा रखती है, वर्ष 2005 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 34 प्रतिशत की शीर्षस्थ भागीदारी के पश्चात् वर्ष 2015 में सकल घरेलू उत्पाद के 28 प्रतिशत तक सिमट गई है।
- सार्वजानिक क्षेत्र के बैंको की गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) तेजी से बढ़ी हैं। इनकी दर बैंको द्वारा नई उत्पादक गतिविधियों की दर से कहीं ज्यादा है।
- जहाँ 'मेक इन इंडिया' को यथार्थ बनाने के लिए अर्थव्यवस्था को लगभग $1 ट्रिलियन की अवसंरचना में निवेश की आवश्यकता हैं। वहीँ वित्तीय वर्ष 2015-16 में मात्र 75 परियोजनाओ में वास्तविक निवेश 42,749 करोड़ रुपये का था जोकि वर्ष 2005-06 में निवेशित 44,511 करोड़ रुपये से कम हैं।
- निर्माण क्षेत्र जो कुशल और अर्धकुशल श्रम बल को रोजगार प्रदान करता हैं, 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच की बहुत कम दर से वृद्धि कर रहा हैं ।
- भारत के कृषि उत्पाद विश्व में प्रति हेक्टेयर कम उपज के बावजूद सबसे सस्ते उत्पादों में से एक हैं। इस तथ्य के बावजूद हम उत्पादन और उत्पादों के निर्यात को दोगुना नहीं कर पा रहे हैं ।

अल्पकालिक समाधान

- सरकार को राजनीतिज्ञों तथा अर्थशास्त्रियो की एक आपदा प्रबंधन टीम (CMT) का गठन करना चाहिए जोकि भारतीय समाज की गतिशीलता को समझ सके।
- पूँजी की कीमत को कम करके ।
- बैंको की (प्रधान) उधारी ब्याज दरों को 10 प्रतिशत से नीचें घटाकर
- वित्तीय वर्ष 2016 के लिए 50 रुपये प्रति डॉलर की स्थायी विनिमय दर को निर्धारित करें ।
- सहभागी नोट्स (Participatory Notes) को समाप्त कर आगे आने वाले वर्षो के लिए विनिमय दर को और कम किया जाना चाहिए। वर्ष 2005 के संयुक्त राष्ट्र के संकल्प को लागू करके लगभग $1 ट्रिलियन का काला धन वापिस लाना,
- रूपये के नोट छापकर मूलभूत अवसंरचना परियोजनाओं को पूर्णतया धन प्रदान करना ।
- आपदा प्रबंधन टीम (CMT) को, अन्न और दूध को निर्यात करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर, कृषि को वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकृत करने के लिए कदम उठाने चाहियें ताकि इन खाद्य और दुग्ध उत्पादों का अमेरिका और यूरोप को निर्यात किया जा सके ।

दीर्घकालिक समाधान

- हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश के फायदे को उठाने के लिए हमें नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए ।
- स्वच्छ विद्युत उत्पादन के लिए हमें अपने विशाल थोरियम के भण्डारों का लाभ उठाना चाहिए, इस प्रकार शक्ति का अभाव दूर हो जाएगा ।
- तटीय राज्यों को प्रर्याप्त पानी प्रदान के लिए हमारे लम्बे समुद्र तट पर लवणीकरण संयंत्र लगाने चाहियें ।
- तकनीकी मुद्दों को हटाकर और गंगा से कावेरी इत्यादि नदियों को नहरों के द्वारा जोड़कर एक वाटर ग्रिड (water grid) बनाया जाये जिससे अपर्याप्त जल वाले क्षेत्रों की सिंचाई के साथ-साथ मूलभूत आवश्यकताओ को भी पूरा कर सकें ।
- पेट्रोलियम उत्पादों का पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के द्वारा प्रतिस्थापन हेतु नयी वैकल्पिक तकनीकों जैसे कि हाइड्रोजन ईंधन बैटरियों (cells) का विकास करना ।

निष्कर्ष

भारत हमेशा संकट की घडी से निकला हैं और एक उच्च वृद्धि के रास्ते पर चला हैं । वर्ष 1965-67 के खाद्य संकट ने खाद्य में आत्मनिर्भर हरित क्रांति, और वर्ष 1990-91 के विदेशी मुद्रा संकट ने आर्थिक सुधार की और निर्देशित करकें, देश को बाज़ार तंत्र और उच्च वृद्धि दरों की ओर अग्रसर किया है ।

अत: वर्तमान आसन्न आर्थिक गिरावट से हमें अपने व्यवसाय करने के तरीके को उन्नत करना चाहियें और नवाचार द्वारा नईं ऊचाइयों को छूने के लिए वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ उच्च वृद्धि दर को प्राप्त करना होगा ।

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना और सॉवेरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो नई स्वर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार इसके माध्यम से दो उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है – लोगों के पास एकत्रित सोने का मुद्रीकरण करना और देश में सोने के आयात को कम करना।

पृष्ठभूमि

भारत ने पिछले 10 वर्षों में करीब 280 अरब डॉलर मूल्य के सोने का आयात किया है। यह पिछले 10 वर्ष में इक्विटी और ऋण में आये विदेशी संस्थागत निवेश से भी ज्यादा है। भारत में सोने की सालाना निवेश मांग लगभग 300 टन के आसपास है और करीब 20000 टन सोना बैंक लॉकरों और तहखानों में बेकार पड़ा है।

उद्देश्य

यह सोने को वित्तीय प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा बनाने और अपने

VISION IAS

आप में एक प्रतिमोच्य संपत्ति वर्ग (fungible asset class) बनाने की दिशा में एक कदम है।

योजना के प्रावधान

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना	सॉवेरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना
a) जमा अल्पावधि (1-3 वर्ष), मध्यम अवधि (5-7 वर्ष) और लंबी अवधि (12-15 वर्ष) के लिए हो सकता है।	a) सोने की कीमतों में बदलाव से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए सरकार एक स्वर्ण आरक्षित कोष बनाएगी।
b) अल्प अवधि के जमा पर ब्याज दर बैंकों द्वारा निर्धारित की जाएगी और जमा पैसा सोने में नामित किया जाएगा, जबकि मध्यम और लंबी अवधि के जमा पर ब्याज दर समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी और जमा पैसा रुपए में देय होगा।	b) ये बॉन्ड वित्त मंत्रालय की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में जारी किए जायेंगे।
c) यह एक काला धन उन्मुक्ति योजना नहीं है और इस पर सामान्य कराधान कानून लागू होगा। इसलिए ग्राहक को पहचान साबित करने के लिए लगने वाले दस्तावेज देने होंगे ताकि यह योजना काले धन को सफेद बनाने का तरीका न बन जाए।	c) इस तरह के बॉन्ड के लिए वार्षिक सीमा प्रति व्यक्ति 500 ग्राम है और ब्याज दर भी संशोधन के अधीन होगी।
d) इस योजना से मिलने वाला ब्याज कर मुक्त होगा। ग्राहक अल्प अवधि के लिए जमा सोने को ब्याज के साथ नकदी में या सोने में भुना सकते हैं। हालांकि मध्यम और लंबी अवधि के जमा के लिए केवल नकद पैसा ही दिया जायेगा जो सोने के बाजार मूल्य पर आधारित होगा।	d) बॉन्ड पांच से सात वर्ष की न्यूनतम अवधि के साथ 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम के मूल्यवर्ग में जारी किये जायेंगे।
e) मध्यम और लंबी अवधि के जमा वाले सोने को भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडार के लिए, नीलामी के लिए, सिक्के बनाने में और आभूषण निर्माताओं को उधार देने में इस्तेमाल किया जायेगा। अल्प अवधि के जमा को केवल सिक्के बनाने और आभूषण निर्माताओं को उधार देने में इस्तेमाल किया जायेगा।	e) क्योंकि यह बॉन्ड सरकारी उधार का एक हिस्सा हैं, इनके चालू वित्त वर्ष में ही राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के भीतर होने की आवश्यकता होगी।

लाभ

- भारत के आयात पर कच्चे तेल और सोने का प्रभुत्व है। यह योजनायें न सिर्फ देश के व्यापार संतुलन को ठीक करेंगी बल्कि सोने को एक उत्पादक संपत्ति में भी परिवर्तित कर देंगी।
- स्वर्ण मौद्रीकरण योजना से सोने के पुनर्चक्रण में वृद्धि होगी और इसके व्यापार में पारदर्शिता आयेगी। इसमें सोने के जमा को आर्थिक निवेश में बदलने की क्षमता है इसलिए इससे समष्टि अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों को लाभ होगा।
- सोने के बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज को कर मुक्त करना, पूंजीगत लाभ कर से छूट देना, ऋण के लिए जमानत के रूप में सोने के बॉन्ड को अनुमति देने से स्वर्ण बॉन्ड एक अपेक्षाकृत आकर्षक विकल्प बन जायेगा।
- सॉवेरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना जमाकर्ताओं को कमोडिटी एक्सचेंजों में बांड बेचने या खरीदने की अनुमति देगा। साथ ही इन बॉन्ड को

VISION IAS

सोने की तरह ही ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

चुनौतियां

- हालांकि बैंकों को जमाकर्ताओं की पहचान के लिए जरूरी दस्तावेज़ लेना जरूरी है पर यह अस्पष्ट है कि जिनके पास सोने की खरीद की रसीदें नहीं हैं उनका क्या होगा।
- इस तरह की योजनायें अतीत में असफल रही हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय स्टेट बैंक लगभग दो दशकों से एक प्रतिशत ब्याज दर पर एक स्वर्ण जमा योजना चला रहा है, पर उसके तहत सिर्फ आठ टन सोना ही जमा हुआ है।
- सोने के प्रति लोगों की मानसिकता भी एक मुद्दा है। लोग नहीं चाहेंगे कि उनके गहने एक अपेक्षाकृत छोटी कमाई के लिए गला दिए जाएँ। जमाकर्ताओं के पास परिपक्वता अवधि के बाद सोना वापस लेने का विकल्प होगा परन्तु यह भी घाटे का सौदा होगा क्योंकि गहनों के बनने पर लगने वाला 5-15 फीसदी व्यर्थ ही जायेगा। तो अगर योजना में ब्याज दर कम होगी तो यह एक व्यक्ति लाभ प्रभावित होगा। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट ही सरकार का एक मात्र सहारा नज़र आते हैं क्योंकि उन पर सरकार का कुछ नियंत्रण है।
- सोने की शुद्धता को किसी मान्यता प्राप्त केंद्र पर ही परखा जायेगा, जो कि बहुत कम हैं और दूर-दूर स्थित हैं। बैंकों के लिए दूर-दराज के स्थानों से सोना इकट्ठा करना और देश के कुछ इलाकों में आभूषण निर्माताओं को उधार देना आसान नहीं होगा।
- लेकिन सबसे बड़ी बाधा आय की जांच का डर है। लोगों को आशंका है कि सोने को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि उनके पास सोना कहाँ से आया। इस तरह के सवाल का जवाब देना लोगों के लिए मुश्किल होगा क्योंकि भारत में सोना रखने का रिवाज रहा है और लोगों के पास शादी के तोहफे के रूप में या बुजुर्गों से विरासत के रूप में सोना आता रहा है।

निष्कर्ष

इसलिए इस योजना को सफल बनाने के लिए उपरोक्त चिंताओं को दूर करने के साथ ही ब्याज दर भी अधिक होनी चाहिए। जमा करने की न्यूनतम सीमा 30 ग्राम कर देने के बाद भी इस योजना की तरफ लोगों के आकर्षित होने की उम्मीद कम ही है।

लुभावने गृह ऋण

चर्चा में क्यों हैं?

हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षा ने ऋण की माँग को बढ़ावा देने के लिए लुभावने आवास ऋण को फिर से शुरू करने की माँग की है।

लुभावने ऋण क्या होते हैं?

लुभावने ऋण प्रारंभिक वर्षों में कम ब्याज पर दिए जाते हैं और बाद के वर्षों के लिए ज्यादा ब्याज दर पर समायोजित होते हैं। लुभावने ऋण कम ब्याज दर और कम भुगतान की पेशकश से ग्राहकों को लुभाते हैं और दावा करते हैं की ब्याज दर बढ़ने से पहले ही ग्राहक पुनर्वित्त करने में सक्षम हो जायेगा।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2008 में जब अर्थव्यवस्था धीमी थी तब भारतीय स्टेट बैंक ने 8 प्रतिशत ब्याज़ दर पर आवास ऋण देना शुरू किया था जिसने अर्थव्यवस्था में माँग बढ़ाने में मदद की थी। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों ने वर्ष 2011 में इस तरह के ऋण देना बंद कर दिया था क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक को आशंका थी कि इस तरह के ऋण जोखिम भरे हैं और इनमें भुगतान में चूक की संभावनाएं अधिक है।

वर्तमान में नए निवेश न होने से लंबी अवधि के ऋण के लिए कॉर्पोरेट मांग कम है क्योंकि कंपनियाँ तेज आर्थिक विकास और उपभोक्ता मांग में उछाल की प्रतीक्षा कर रही हैं।

लाभ

फिर भी इस तरह के ऋणों के दो लाभ हो सकते हैं:

- जीडीपी पहला विकास दर को बढ़ावा मिलेगा जिससे निर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होगी।
- बैंकिंग उद्योग को बाजार में नए ग्राहकों की जरूरत है। इससे बैंकों में इक्विटी का प्रवाह होगा।

ऐसे ऋण के खिलाफ तर्क

- इस तरह के ऋणों के कुछ वैश्विक अनुभवों से भारतीय रिजर्व बैंक इनको लेकर आशंकित है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि ये ऋण भेदभावपूर्ण हैं क्योंकि यह सिर्फ नए उपभोक्ताओं के लिए हैं और मौजूदा ग्राहकों को कम दरों का लाभ नहीं मिलता।
- वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में लुभावने ऋण लेने वाले ग्राहकों को अब 11.70 प्रतिशत से 12.95 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ रहा है। जबकि भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान आवास ऋण ब्याज दर 9.75 प्रतिशत है। इसलिए अंतिम विश्लेषण के अनुसार ये लुभावने ऋण सिर्फ बैंकों और डेवलपर्स को ही लाभ पहुचाते हैं और ग्राहक के लिए ये घाटे का सौदा है।

यह भी खबर में

स्पेक्ट्रम कारोबार मानदंड जल्द ही अधिसूचित होंगे

- इसका मतलब ऑपरेटरों द्वारा स्पेक्ट्रम का बंटवारा है।
- यह जरूरी है क्योंकि यह मानदंड दूरसंचार कंपनियों को अपने स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति देंगे।
- इससे स्पेक्ट्रम की कमी की समस्या का समाधान होने की

उम्मीद है जिससे कॉल-ड्रॉप में कमी आएगी और मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की सेवाएँ मिल सकेंगी।

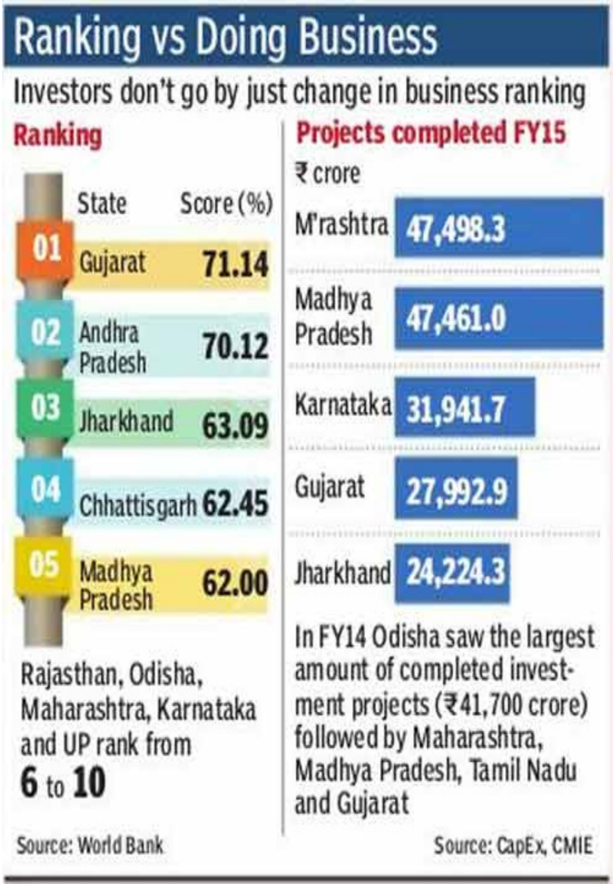

- इन मानदंडों से दूरसंचार क्षेत्र के एकीकरण को बल मिलेगा।

कॉल-ड्रॉप का मुद्दा

"कॉल-ड्रॉप" क्या है?

- ट्राई के अनुसार कॉल ड्रॉप "एक बार सही ढंग से स्थापित किये गए कॉल को बनाए रखने में सेवा प्रदाता की अक्षमता को दर्शाता है"।

मुद्दा

- दिल्ली में तकनीकी कारणों की वजह से 17 प्रतिशत से अधिक कॉल बीच में ही समाप्त हो जाते हैं। इसकी तुलना में मुंबई में किसी भी सेवा प्रदाता के लिए उच्चतम कॉल-ड्रॉप दर 5.56 फीसदी है।
- हाल ही में दिल्ली के तीन नगर निगमों द्वारा "अवैध" मोबाइल फोन टॉवर हटाने की कारवाई की गयी है। यह दिल्ली में कॉल-ड्रॉप दरें बढ़ने के मुख्य कारणों में से एक है।
- दिल्ली में नगर निगम और दूरसंचार सेवा प्रदाता मोबाइल नेटवर्क टॉवर स्थापित करने के लिए लाइसेंस शुल्क के मुद्दे पर 2011 से कानूनी लड़ाई में फंसे हुए हैं।
- कोर्ट ने फीस बढ़ोतरी को खारिज कर दिया और नगर निगम को एक "लागत उन्मुख शुल्क" लगाने का निर्देश दिया।
- जब यह मामला अदालत में था तभी नगर निगम ने 2011 के बाद लगाये गए टॉवरों को हटा दिया। निगम के अनुसार वर्ष 2011 के बाद लगाये गए टॉवर अवैध थे।

भारत में व्यापार करने की सुविधा के सन्दर्भ में विश्व बैंक का सर्वेक्षण रिपोर्ट

- केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर व्यापार करने की सुविधा पर एक राज्यवार रिपोर्ट जारी की है। इसका उद्देश्य एक अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में देश की छवि को बढ़ाना है।
- यह प्रयास केंद्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसके तहत विश्व बैंक के सर्वेक्षण में भारत की स्थिति में सुधार लाना है। 189 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर है।
- सरकार चाहती है कि भारत जल्द से जल्द शीर्ष 50 देशों में शामिल हो। उसे अगले सर्वेक्षण तक शीर्ष 100 में जगह बनाने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- यह पहली बार है कि विश्व बैंक ने एक क्षेत्रीय और राज्यवार रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट राज्य सरकारों और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई व्यापार सुधारों के लिए एक 98 सूत्रीय कार्य योजना के आधार पर तैयार की गयी है।
- आठ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिनके आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया है:
- व्यवसाय स्थापित करना
- भूमि का आवंटन और निर्माण की अनुमति प्राप्त करना
- पर्यावरण प्रक्रिया का पालन
- श्रम नियमों का पालन
- बुनियादी ढांचे से संबंधित उपयोगिताओं की प्राप्ति
- कर प्रक्रियाओं का पालन
- निरीक्षण
- अनुबंध को लागू करना
- 71.14 प्रतिशत अंकों के साथ गुजरात इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश (70.12 प्रतिशत), झारखंड (63.09 फीसदी), छत्तीसगढ़ (प्रतिशत 62.45) और मध्य प्रदेश (62 फीसदी) का नंबर आता है।
- 'एक व्यवसाय स्थापित करने' के मामले में पंजाब सबसे अच्छा राज्य है। यहाँ पर पंजीकरण और लाइसेंस के लिए एक ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली है।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश के 26 राज्यों को इमारत परमिट से संबंधित निरीक्षण पर और श्रम निरीक्षण पर सुधार लाने की जरुरत है।

बाह्य वाणिज्यिक उधारी पर नई रूपरेखा का मसौदा

उद्देश्य

- देश में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए घरेलू पूंजी की अनुपूर्ति करना।
- विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए समग्र बाहरी स्थिति और मौद्रिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए मानदंडों को सरल बनाया गया है। बाह्य वाणिज्यिक उधारी का मौद्रिक स्थिरता पर भी असर होता है क्योंकि यह देश के कुल विदेशी कर्ज और भविष्य के पुनर्भुगतान देनदारी में जुड़ जाती है।

नई रूपरेखा के प्रस्तावित प्रावधान

- पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ उदारीकरण के साथ सामान्य विदेशी मुद्रा ऋण के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारी के मौजूदा ढांचे को बरक़रार रखा गया।
- घरेलू कंपनियों को विदेशों की विनियमित वित्तीय संस्थाओं, पेंशन फंड, बीमा कोष और अन्य लंबी अवधि के निवेशकों से उधार लेने की अनुमति देने के लिए मान्यता प्राप्त उधारदाताओं की सूची का विस्तार किया गया है।
- लंबी अवधि आधारित विदेशी मुद्रा उधारी के लिए एक नकारात्मक सूची का प्रावधान - शेयर बाजार परिचालन, अचल संपत्ति, भूमि की खरीद, आदि।
- मुद्रा जोखिम ऋणदाता या निवेशक के साथ रहेगी, इसलिए संशोधित ढांचा इन ऋणों पर कम नियंत्रण प्रदान करता है।
- आरबीआई ने कहा है कि जो भारतीय बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधारदाता की तरह काम करते हैं उन्हें भी इन नियमों के अधीन रहना पड़ेगा।
- 'रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट' और 'इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट' को भी इस मार्ग के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति दी जाएगी।

निष्कर्ष

- घरेलू और वैश्विक व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक अधिक तर्कसंगत और उदार ढांचे के साथ बाह्य वाणिज्यिक उधारी नीति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक और ब्याज दरें

अपनी चौथी 'द्विमासिक मौद्रिक नीति' समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की कटौती की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- रेपो (पुन: खरीद) दर में यह कटौती पिछले तीन साल में सबसे बड़ी कटौती है। इस कटौती के बाद रेपो दर 6.75 प्रतिशत हो गयी है।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कोई परिवर्तिन नहीं किया गया है।

विश्लेषण

- भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए कहा है कि आर्थिक विकास में तेज़ी लाने और बनाये रखने के लिए स्थानीय मांग और निवेश बहुत जरूरी हैं।
- वे कारक जो इस निर्णय को सही बनाते हैं–
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर को शून्य के आसपास ही बनाये रखा है।
- युआन के अवमूल्यन के बाद वित्तीय बाजारों में कमजोरी।
- महंगाई का कम होना।
- भावी संभावनायें- वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोरी से विदेशी मांग कमजोर ही बनी रहेगी। निजी क्षेत्र का निवेश भी कम ही रहेगा। इसलिए उपभोक्ता खर्च और सार्वजनिक निवेश को ही अर्थव्यवस्था के विकास का भार उठाना होगा। सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए तो फरवरी के बजट में प्रावधान लाये गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम से उपभोक्ता खर्च को भी बढ़ावा मिलेगा।
- आगे आने वाली चुनौतियाँ - भारतीय समष्टि आर्थिक नीति इस समय विस्तार की अवस्था में है। नीति निर्माता भी इस तथ्य से सहमत है कि आर्थिक विकास में सुधार हो रहा है। इससे बाद में महँगाई बढ़ सकती है।
- ब्याज दर में यह कटौती अर्थव्यवस्था को नकारात्मक चक्र से बाहर आने में मदद कर सकती है। लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि निम्न दो प्रमुख शर्तें पूरी हों-
- राजकोषीय घाटा न हो ताकि महँगाई न बढ़े। महँगाई बढ़ी तो ब्याज दर फिर से बढ़ानी होगी।
- आर्थिक सुधारों में तेज़ी लानी होगी ताकि निवेश करना आसान हो और व्यापार करना सुलभ।

करेंसी नोटों पर नए सुरक्षा चिन्ह

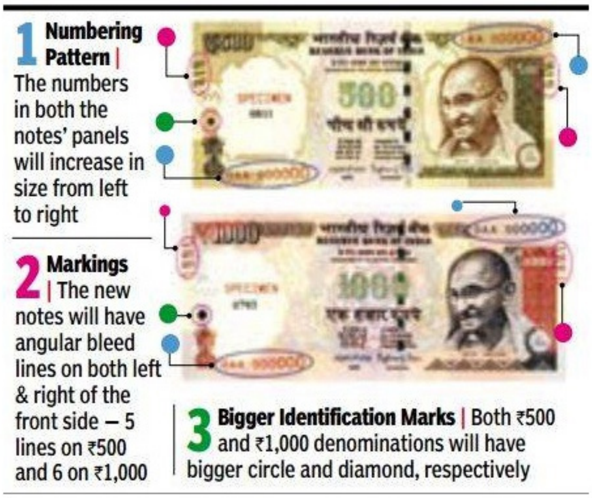

- नकली नोटों के खतरे से निपटने के लिए नए नोटों पर 7 नए सुरक्षा चिन्ह और एक नई नंबर प्रणाली होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि नकली नोट पकड़े जाने पर उन नोटों पर "जाली नोट" लिखा जाए और उन्हें जब्त कर लिया जाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नकली नोटों के मामलों के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

उद्देश्य

- नेत्रहीनों के लिए नोटों की पहचान आसान बनाना।
- करेंसी नोटों को जालसाजी से सुरक्षित करना।

नए चिन्ह

- 100, 500 और 1000 रुपये के नोटों पर ब्रेल लिपि की तरह के चिन्ह।
- 100 रुपये के नोटों की सीमा पर और महात्मा गांधी वॉटरमार्क के बगल में चार समानांतर कोणीय रेखाएं होंगी। 500 रुपये के नोटों पर पांच रेखाएं और 1000 रुपये के नोटों पर छह रेखाएं होंगी।
- नोटों का क्रमांकन उठे हुए अक्षरों से होगा। नोट की संख्या का प्रत्येक नंबर पिछले नंबर से आकार में बढ़ा होगा।
- इन करेंसी नोटों पर मौजूद पहचान के निशानों के माप में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जिससे नेत्रहीन लोगों के लिए नोट की पहचान करना और आसान हो जायेगा।
- नवीनतम तकनीक वाली छपाई का इस्तेमाल किया जायेगा जिसमें सुरक्षा कागज छिद्रित होगा और प्रिंटिंग स्याही को उस कागज़ पर उत्कीर्ण किया जायेगा। इससे लोगों को उन समानांतर कोणीय रेखाओं को महसूस करने में आसानी होगी।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने आधार दरों को अपरिवर्तित रखा

वैश्विक वित्तीय संकट करीब नौ साल पहले शुरू हुआ था। तभी से अमेरिकी फेडरल रिज़र्व और अन्य केंद्रीय बैंक विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भारी मात्रा में चलनिधि लाये जा रहे हैं। इसके लिए अमेरिकी फेडरल रिज़र्व दो योजना चला रहा है - बांड बायबैक कार्यक्रम और लगभग शून्य ब्याज दर।

यह अतिरिक्त पैसा वैश्विक बाजारों में चलन में रहा और इसने कई परिसंपत्ति उफान (बुलबुला) लाये।

- वर्ष 2006-2011 का कमोडिटी सुपर साइकिल(commodity super cycle)
- आठ साल तक सोने में तेजी,
- उभरते बाजार इक्विटी में बड़ा वित्तीय प्रवाह

चिंता

अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की ब्याज दर में बढ़ोतरी से इन परिसंपत्तियों की कीमतों में भारी कमी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ब्याज दर में वृद्धि नहीं चाहते क्योंकि इससे वैश्विक बाजार बुरी तरह प्रभावित होगा।

भारत पर प्रभाव

ओईसीडी (OECD) की रिपोर्ट में बताया गया है कि कम से कम अगले दो वर्षों तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। इसका मतलब कि भारत में पूँजी का निवेश होगा और पैसा बैंकों से बाहर आएगा। और यही बड़ी समस्याएं पैदा करेगा। भारतीय पैसा महँगा है जबकि दुनिया सस्ती पूँजी से भरी पड़ी है।

- भारत में राजकोषीय घाटे और चालू खाते घाटे के कारण पूँजी महँगी है।
- यदि नीतियों बदलती रहेंगी तो पूंजी की लागत ज्यादा ही बनी रहेगी।
- छोटे और लघु उद्यमों के लिए ज्यादा समस्याएं होंगी क्योंकि यह क्षेत्र केवल घरेलू वित्त स्रोतों पर निर्भर है।

भारत पर संभावित नकारात्मक प्रभाव

यह तर्क बाजार में चलनिधि या धन प्रवाह पर होने वाले प्रभाव पर आधारित है। यह देखते हुए कि भारत का व्यापार घाटा ज्यादा है, विदेशी संस्थागत निवेश अगर वापस निकाल लिया जाता है तो रूपए में गिरावट शुरू हो जाएगी। इससे यह हो सकता है:

- भारत का आयात खर्च बढ़ सकता है जिससे चालू खाता घट और बढ़ जायेगा।
- ऊर्जा और माल की लागत में वृद्धि और महँगाई में फिर से बढ़ोत्तरी।
- जो भारतीय कम्पनियाँ विदेश से उधार लेती हैं उनके लिए उधार चुकाना और मुश्किल हो जायेगा। भारत में करीब 20 प्रतिशत ऋण विदेश से आता है।
- कमजोर रुपये से विदेशी निवेशकों के मुनाफे में भी कमी आएगी जिससे वे देश से निवेश वापस बाहर निकालने को मजबूर होंगे।

भारत पर प्रभाव न होने के सन्दर्भ में तर्क

यह तर्क इस तथ्य पर आधारित हैं कि वैश्विक बाजार सिर्फ मुद्रा प्रवाह और परिसंपत्ति उफान (बुलबुले) पर ही आधारित नहीं हैं। सरकार की कुछ पहलें इसका सामना कर सकती हैं:

- जन धन योजना के अंतर्गत करीब 22000 करोड़ रुपये जमा हुए हैं जिनका उपयोग मुद्रा योजना के तहत लघु और सूक्ष्म उद्योगों को ऋण देने में किया जा सकता है। अतिरिक्त बीमा कवर की योजना से लघु और सूक्ष्म उद्योग अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार हो सकेंगे। साथ ही बीमा कंपनियों के लिए नए बाज़ार खुलने से शेयर बाजारों की अस्थिरता में भी कमी आएगी।

- निवेश बढ़ाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जैसे पेंशन फंड को बढ़ावा देना चाहिए।
- भारतीय बॉन्ड बाजार इक्विटी की तुलना में ब्याज दर बढ़ोतरी को झेलने में अधिक सक्षम है।

विभिन्न कदम जो वैश्विक निवेश के लिए भारत को आकर्षक बना सकते हैं

- कराधान व्यवस्था में स्थिरता। वोडाफोन, केयर्न और शैल जैसे कर विवाद फिर से न हों।
- भारत में व्यापार करना सरल बनाना (विश्व बैंक के व्यापार करने की आसानी के सूचकांक में 189 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर है)
- सरकार कराधान, श्रम, भूमि, कौशल विकास और बिजली क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई सुधार लायी है।
- बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाना, प्राकृतिक संसाधनों का पारदर्शी और निष्पक्ष आवंटन करना, जल्द से जल्द जीएसटी लागू करना और बिजली वितरण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना।
- देश के अवसंरचना क्षेत्र में भारी निवेश की जरूरत है और इसके लिए विदेशी निवेश अच्छे संसाधन साबित हो सकते हैं।
- डिजिटल भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनायें मुख्यत: उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लायी गयी हैं। इस क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, बाजार और व्यापार के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर एकीकरण की आवश्यकता होगी।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का सुदृढ़ीकरण – नवाचार और निवेश आकर्षित करने के लिए।
- प्रस्तावित राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा।

भारत में तेल की खोज - राजस्व साझा मॉडल

- सरकार तेल क्षेत्र में लाइसेंस और आय के बंटवारे के लिए नया मॉडल लेकर आई है। 69 छोटे तेल क्षेत्रों में काफी अप्रयुक्त तेल पड़ा हुआ है और ये तेल-क्षेत्र राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं के अधीन हैं।

आवश्यकता

- हाल ही में खोजे गए नए तेल क्षेत्र निम्न कारणों से कई वर्षों तक लाभ नहीं दे पाएंगे: दूरस्थ स्थित होना, तकनीकी बाधायें, कम भण्डार, उच्च लागत, आदि। नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के प्रति भी उत्साह ठंडा ही रहा है।

नए प्रावधान

- यह नीति मुनाफे के बजाय राजस्व साझा करने और प्रत्येक हाइड्रोकार्बन के लिए अलग अलग लाइसेंस की जगह एकीकृत लाइसेंस देने पर आधारित है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी कहा था कि पुरानी नीति निजी ठेकेदारों को पूंजीगत व्यय कम करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं देती।
- नई व्यवस्था में सरकार को तेल, गैस आदि की बिक्री से सकल राजस्व का एक सुनिश्चित हिस्सा प्राप्त होगा।
- नई नीति के तहत दिये जाने वाले लाइसेंस सिर्फ तेल के लिए नही बल्कि सभी हाइड्रोकार्बन के लिए होंगे। इससे पहले हर हाइड्रोकार्बन के लिए अलग लाइसेंस दिया जाता था।
- नई नीति प्रशासित कीमत के बजाय मौजूदा बाजार मूल्य पर गैस बेचने की अनुमति देती है।

लाभ

- यह नीति अधिक पारदर्शी है और हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन के लिए बाजार व्यवस्था पर आधारित है।
- राजस्व बंटवारा सरल उपाय दृष्टिकोण है और इससे सरकार को अधिक मुनाफे की संभावना है।
- कंपनियों को, सरकार के किसी हस्तक्षेप के बिना, बाजार कीमतों पर कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस बेचने की अनुमति दी जाएगी। राजस्व और रॉयल्टी का बंटवारा भी इस बाजार दर पर आँका जाएगा। अगर कंपनियों को कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है तो भी सरकार को बाजार दर पर ही रॉयल्टी का हिस्सा मिलगा।
- पर अगर कंपनियाँ बाजार मूल्य से अधिक पर बेचती हैं तो राजस्व विक्रय मूल्य के अनुसार ही आँका जायेगा। यही कारण है कि यह सरकार के लिए जीत की स्थिति है: कम निरीक्षण और सुनिश्चित न्यूनतम आय।

संबंधित जानकारी

- उत्पादन भागीदारी अनुबंध- यह अनुबंध कंपनियों को सरकार के साथ राजस्व साझा करने से पहले लागत वसूली की अनुमति देता है। यह उच्च अन्वेषण जोखिम लेने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करता है क्योंकि सफल अन्वेषण की स्थिति में पूरी लागत वसूल की जा सकती है। इस प्रावधान के मुताबिक सरकार को निजी कंपनियों द्वारा किए गए विभिन्न खर्चों का लेखा-परीक्षण करना पड़ता है। इसमें अक्सर देरी होती है और यह विवाद का कारण बनता है और सरकार को राजस्व का नुकसान होता है।

प्रश्न:

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनरूद्धार के लिए हाल ही में शुरू इन्द्रधनुष योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करें। इसके अलावा इस योजा की कमियों पर प्रकाश डाले और कुछ उपाय सुझाएँ।
- भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरु स्वर्ण मौद्रीकरण योजना और

VISION IAS

सावरेन स्वर्ण बान्ड योजना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

- लुभावने ऋण क्या होते हैं? जीडीपी (GDP) विकास दर को बढ़ाने में ये क्या भूमिका निभा सकते हैं?
- हाल ही में भारत सरकार ने वायदा बाजार आयोग का विलय सेबी के साथ कर दिया है। इसके निहितार्थ पर चर्चा करें। क्या यह कदम वस्तु बाजार की समस्याओं से निपटने में उपयोगी होगा?
- क्या भारतीय अर्थव्यवस्था अपस्फीति की ओर बढ़ रही है? अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं?
- भारत में ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में उत्पादन साझेदारी अनुबंध और राजस्व बंटवारा अनुबंध के बीच मुख्य अंतर क्या हैं? दोनों में से कौन सा अनुबंध भारत में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर होगा?
- भारत में अनर्जक परिसंपत्तियों के कारणों पर चर्चा कीजिए और इससे निपटने के लिए कुछ विकल्प सुझाइए।

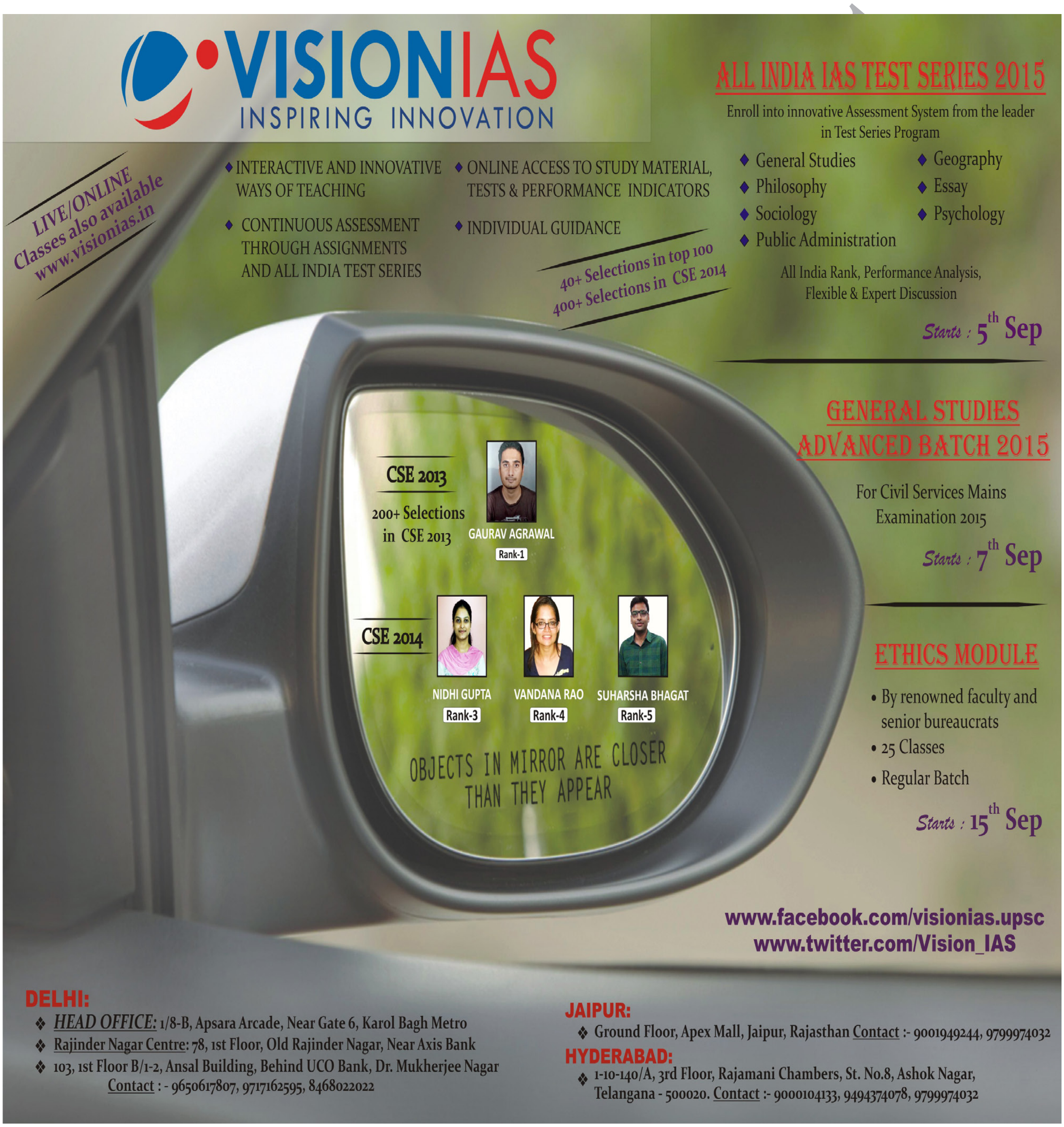

अंतर्राष्ट्रीय : भारत एवं विश्व

विस्तृत परमाणु परीक्षण निषेध संधि

विस्तृत परमाणु परीक्षण निषेध संधि (सी.टी.बी.टी.) एक बहुपक्षीय संधि है, जिसका उद्देश्य परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना है। संयुक्त राष्ट्र महा सभा ने 10 सितंबर 1996 को इस संधि को अपनाया। यह संधि अभी तक पूरी तरह सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाई है क्योंकि 8 परमाणु शक्ति संपन्न देशों को इसके कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्तियां हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सी.टी.बी.टी. अपने 183 हस्ताक्षरकर्ता देशों तथा 163 प्रावधानों के कारण दुनिया की प्रमुख शस्त्र रोधी संधि है।
- यह संधि अभी पूर्ण रूप से वैश्विक स्वीकृति हासिल नहीं कर पाई है। यह संधि सभी संभावित 44 परमाणु क्षमता संपन्न देशों से उनके परमाणु कार्यक्रमों पर पूर्ण रोक लगाने की मांग करती है। इन 44 देशों में से आठ ने अभी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

सी.टी.बी.टी. और भारत

- सी.टी.बी.टी को लेकर भारत का मानना है कि इस संधि द्वारा समस्त विश्व, परमाणु शक्ति संपन्न तथा गैर परमाणु शक्ति संपन्न देशों के रूप में दो ध्रुवों में बंट जाएगा।
- भारत का मानना है कि यह संधि परमाणु हथियारों के क्षैतिज प्रसार पर रोक लगाती है। उर्ध्वाधर प्रसार पर रोक अर्थात परमाणु शक्ति संपन्न देशों द्वारा वर्तमान में अधिक उन्नत हथियारों के लिए किए जा रहे परीक्षणों पर रोक के संदर्भ में यह संधि प्रावधान नहीं करती है। भारत का मत है कि परमाणु हथियार निषेध संधि समस्त हथियारों तथा समस्त देशों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। इसके अलावा परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले ही परमाणु हथियारों के क्षेत्र में पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त कर ली है, जिससे इन देशों द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किये जाने से उनके परमाणु हथियारों पर कोई असर नहीं होगा।
- इस संधि के अंतर्गत परमाणु हथियारों को अप्रभावी करने के लिए किसी अंतिम समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। इन सबके अलावा सी.टी.बी.टी में पूर्ण परमाणु नि:शस्त्रीकरण के मुद्दे पर चुप है, जबकि भारत किसी भी ऐसी संधि के प्रति प्रतिबद्ध है जोकि पूर्ण परमाणु नि:शस्त्रीकरण का प्रावधान रखती हो।

परमाणु हथियार रोधी कार्यक्रम में भारत की भूमिका

- परमाणु हथियारों पर पाबंदी लगाने की दिशा में भारत का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट और एक समान रहा है ।
- भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1954 में परमाणु कार्यक्रम को 'जहाँ है वहीं (stand still) रोक देने' का प्रस्ताव उल्लेखनीय है। इसके अलावा नेहरू जी ने 1963 की सीमित परमाणु निषेध संधि के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा में वर्ष 1988 में परमाणु हथियारों के चरणबद्ध नि:शस्त्रीकरण के पक्ष में अपना मत रखा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा परमाणु ऊर्जा संधि (एन.पी.टी.) से संबंधित समझौतों में भी प्रत्यक्ष भूमिका निभाई लेकिन परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इन संधियों में निहित भेदभावपूर्ण व्यवहार को देखकर भारत द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने से अस्वीकार कर दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

- संयुक्त राष्ट्र महा सभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) में सुधार हेतु एक समझौता पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। अंतरसरकारी समझौता प्रक्रिया के इतिहास के अंतर्गत पहली बार सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु प्रस्तुत किए गए प्रपत्र को आधिकारिक दस्तावेज का दर्जा प्राप्त हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) में सुधार की आवश्यकता क्यों ?

- सुरक्षा परिषद का गठन विश्वयुद्ध के पश्चात निर्मित जिन परिस्तिथियों के संदर्भ में हुआ था, वह परिस्थितियां शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात परिवर्तित हो चुकी हैं। इसके अलावा पिछले 25 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी बहुत परिवर्तन हुए हैं विश्व जो अमेरिका के प्रभाव में पहले एक ध्रुवीय था, अब ब्रिक्स जैसे कई बड़े व मजबूत संगठनों की उपस्थिति से बहु ध्रुवीय विश्व की और अग्रसर हुआ है।
- पिछले 25 वर्षों के दौरान वैश्विक आर्थिक संरचना में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुरक्षा परिषद के 5 स्थाई सदस्य देशों द्वारा लिया गया निर्णय ही सबको मानना पड़ रहा है। भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र की निर्णय प्रक्रियाओं में लोकतांत्रिक भावना का अभाव है जोकि वैश्विक बहु ध्रुवीयता के विकास को हानि पहुंचा रहा है।
- स्थाई सदस्यों के मध्य आपसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वैश्विक समस्याओं के उपयुक्त समाधान हेतु निर्णय लेने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) को समस्या आती है। सीरिया और लीबिया जैसे देशों में उत्पन्न संकट की स्थिति के समाधान हेतु सुरक्षा परिषद में कोई विशेष निर्णय नहीं हो पाया। अत: भारत का मत है कि सुरक्षा परिषद में सुधार अब अवश्यंभावी हैं।

VISION IAS

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) में स्थाई सीट के लिए भारत की दावेदारी

- भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) का संस्थापक सदस्य रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तथा एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना मिशन के प्रारंभ से ही भारत ने इसमें सबसे ज्यादा सहयोग प्रदान किया है। भारत की विदेश नीति ने सदैव वैश्विक शांति के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्य किया है। इन सबके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) का सात बार अस्थाई सदस्य रहा है तथा जी-77 व जी-4 का भी भारत सदस्य है अत: सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए भारत मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करता है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए बने समूह जी-4 का हिस्सा है, जिसमें भारत के अलावा ब्राजील, जर्मनी तथा जापान शामिल हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने हाल ही में हुए जी-4 राष्ट्रों के सम्मेलन की आगवानी की, इस सम्मेलन में जी-4 राष्ट्रों द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की गई।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) में सुधार का विरोध

- जहां जी-4 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) में सुधार की मांग करते है, वहीं एक अन्य समूह भी है, जो इन सुधारों का विरोध करता है। इस समूह का नाम- "सर्वसम्मति के लिए एकीकरण (यू.एफ.सी.) है" जिसे कॉफी क्लब भी कहा जाता है, जिसका गठन 1990 में हुआ। कॉफी क्लब इटली के नेतृत्व में, जी-4 देशों द्वारा स्थाई सदस्यता की प्रप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का विरोध करता है तथा मांग करता है कि सुरक्षा परिषद में किए जाने वाले किसी भी सुधार के लिए सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाए। "सर्वसम्मति के लिए एकीकरण (यू.एफ.सी.) एक 25 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की मांग करता है, जिसके अंतर्गत कुछ स्थाई सदस्यों की जगह अधिक अस्थाई सदस्यों की भागीदारी हो।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन प्रमुख सदस्य देश यथा अमेरिका, चीन तथा रूस इसमें किसी भी प्रकार के सुधार के विरोधी हैं। हालांकि अमेरिका कुछ सामान्य सुधारों के लिए राजी है, किंतु रूस वीटो शक्ति के एकाधिकार के संदर्भ में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता है। इस क्रम में अगर सुधार से संबंधित किसी प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सहमत हो जाती है तो वीटो का प्रयोग कर स्थाई सदस्य उस प्रस्ताव को निरस्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

- वैश्विक चुनौतियों तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य से सामंजस्य स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना अत्यावश्यक है ताकि सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण तथा लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया जा सके। जी-4 राष्ट्रों को बहुआयामी कूटनीति का प्रयोग कर संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डालना चाहिए तथा सुधार के पक्ष में वैश्विक जनमत का निर्माण करना चाहिए। एक संभावना यह भी बन रही है कि यदि जल्दी ही कोई सुधार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं हुऐ, तो विकासशील देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) जैसे संगठनों को दरकिनार किया जा सकता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध

भारत-ऑस्ट्रेलिया परमाणु समझौता

- भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य सितंबर 2014 में असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, किंतु ऑस्ट्रेलियाई संसद ने इस समझौते को मंजूरी नहीं दी है। अभी भारत को वहां से यूरेनियम की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हाल ही में संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने भारत-ऑस्ट्रलिया के परमाणु समझौते को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। संसदीय समिति ने सैद्धांतिक रूप से इस परमाणु समझौते को मंजूरी प्रदान कर दी है।

संसदीय समिति की अनुशंसाएं

- ऑस्ट्रलियाई संसदीय समिति की सिफारिश है कि भारत को परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सैन्य तथा असैन्य परमाणु सुविधाओं का विभेदीकरण किया जाए। एक स्वतंत्र राष्ट्रीय नियामक की स्थापना की जाए जो यूरेनियम के स्थानांतरण की निगरानी कर सके।

समझौते के सम्मुख कुछ बड़ी चुनौतियां

- ऑस्ट्रेलियाई संरक्षण कानून की धारा 51(2) के अतर्गत यह अनिवार्य है कि सरकार ऑस्ट्रेलिया के समस्त परमाणु पदार्थों यथा यूरेनियम की अवस्थिति, मात्रा तथा प्रयोग के उद्देश्य के सन्दर्भ में उत्तरदायी होगी। जबकि इस पर भारत की राय यह है कि समस्त परमाणु पदार्थों का निरीक्षण 'अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एंजेंसी' के संरक्षण मानकों के आधार पर किया जाए। प्रत्यक्ष रूप में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसके निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य व्यापार

- दोनों देशों के मध्य अनुमानत: 15 अरब डॉलर का व्यवसाय होता है। व्यापार के विस्तार के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक 'व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता' इस वर्ष के अंत तक संपन्न किए जाने पर सहमत हुए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि भारत तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों हिंद महासागर की सीमा को साझा करते हैं तथा नौवहन तथा व्यापार की स्वतंत्रता को कायम रखने में दोनों देशों का पारस्परिक हित है।

भारत – कंबोडिया

- भारतीय उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की कंबोडिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य दो सहमति पत्र (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर हुए।
- पर्यटन – दोनों देशों के मध्य पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से इस सहमति पत्र (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर हुए।
- मीकॉंग – गंगा पहल
- इस सहमति पत्र (एम.ओ.यू.) के तहत 5 तीव्र परिणामी परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा, जिनमें से एक के अंतर्गत कंबोडिया में उद्यम विकास संस्थान की स्थापना के लिए 50,000 डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अन्य चार परियोजनाओं में से दो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, जिनमें मलेरिया के ऊपर विशेष रूप से कार्य किया जाएगा तथा बाकि एक-एक परियोजना कृषि तथा नारी सशाक्तिकरण से संबंधित हैं।

सी.एल.एम.वी. देशों में निवेश को बढ़ावा

- सी.एल.एम.वी. अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार व वियतनाम देशों से मुक्त व्यापार समझौता कर व्यापारिक लाभ प्राप्त करना।सी.एल.एम.वी. देशों में भारत, 500 करोड़ रूपये के निवेश से एक परियोजना विकास कोष, परियोजना विकास कंपनी तथा स्पेशल परपज व्हीकल (एस.पी.वी.) का गठन करना चाहता है, ताकि भारतीय व्यापारी इस क्षेत्र में व्यापार की संभावनाओं को तलाश सकें। इन देशों में भारत का व्यापार वर्ष 2013-14 में 38 प्रतिशत बढ़कर 6.4 अरब हो गया था, जबकि आयात 2.4 प्रतिशत बढ़कर 4 अरब डॉलर हो गया। 'सी.एल.एम.वी.' देशों की आसियान देशों के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 32 प्रतिशत की भागीदारी तथा कुल जी.डी.पी. में 9 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। सी.एल.एम.वी. देश इस क्षेत्र के सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।

भारत – श्रीलंका

श्रीलंका के राष्ट्रपति रॉनिल विक्रम सिंघे ने भारत का दौरा किया जिसमें अनेक समझौतों तथा सहमति पत्र (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए।

- सार्क क्षेत्र में सैटेलाइट की कक्षा तथा आवृति के उपयोग में समन्वयन को लेकर समझौता हुआ।
- भारत द्वारा श्रीलंका में लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दी जा रही सहायता राशि (जोकि स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, धर्मार्थ संस्थानों तथा शैक्षिक, व्यवसायिक संस्थानों द्वारा प्रयोग की जा रही है) के लिए सहमति पत्र (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा श्रीलंका के वावुनिया जिला में सामान्य अस्पताल के 200 बिस्तरों वाले वार्ड को चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। समझौते के अंतर्गत श्रीलंका में आपातकालीन एंबुलेंस सुविधा की व्यवस्था करने को लेकर दोनों देश सहमत हुए।

भारत-श्रीलंका : कुछ विवादित मुद्दे

- दोनों देशों के मध्य समुद्री क्षेत्र में अक्सर भारतीय तथा श्रीलंकाई तमिल मछुआरों में संघर्ष होता रहता है। इसके अलावा श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोंधन के प्रावधानों को लागू करने को लेकर विवाद है, जिसके अनुसार प्रांतों को राजकीय शक्ति का हस्तांतरण होना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा युद्धकालीन अपराधों पर प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर दोनों देशों को एक सहमति बिन्दु पर पहुंचना है। महिंद्रा राजपक्षे के कार्यकाल में श्रीलंका का चीन की ओर झुकाव भारत के लिए चिंता का विषय बन गया था। चीन की पनडुब्बी का दो मौकों पर श्रीलंका के तट पर उपस्थिति दोनों देशों के संबंधो में तनाव का कारण बनी। हालांकि वर्तमान श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्री पाल सिरिसेना ने भारत को आश्वस्त किया है की श्रीलंका के चीन की तरफ बढ़ते झुकाव को रोका जाएगा।

भारत की 'पश्चिम की ओर देखो' नीति

भारत ने वर्ष 2005 में पश्चिम की ओर देखो नीति को अपनाया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इस दिशा में कोई विशेष प्रगति इस संदर्भ में नहीं हुई थी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) की यात्रा की, जिससे भारत की पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भागीदारी बढ़ाने की असीम संभावनाओं का द्वार खोल खुला है। पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने की नींव पूर्ववर्ती सरकार ने रख दी थी। वर्ष 2006 में गंणतंत्र दिवस पर सऊदी अरब के सुल्तान को परेड के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रियाद गए थे तथा भारत-सऊदी रक्षा सहयोग समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) का साझा वक्तव्य अरब जगत के भारत के प्रति दृष्टिकोण में एक सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। इसके अंतर्गत अरब देशों के साथ भारत के एतिहासिक व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंधों तथा भाई-चारे की भावना का वर्णन किया गया है। अरब समुदाय का भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर केरल तक के भारतीय समुदायों के साथ रहे एतिहासिक संबंधों का भी इस वक्तव्य में वर्णन किया गया है। इस साझा वक्तव्य में दोनों देशों के सरकारों के बीच, दोनों देशों के व्यापारियों के बीच तथा दोनों देशों के लोगों के बीच के आपसी संबंधों में विस्तार को प्रमुखता दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) द्वारा भारत में निवेश बढ़ाने का वादा किया गया है।

खाड़ी सहयोग परिषद (जी.सी.सी) की' पूर्व की ओर देखो' नीति

VISION IAS

भारत और यू.ए.ई. के मध्य बन रहे कूटनीतिक संबंध ना सिर्फ भारत की 'पश्चिम की ओर देखो' नीति को रेखांकित करते हैं, अपितु ये खाड़ी देशों के संगठन खाड़ी सहयोग परिषद (जी.सी.सी.) के 'पूर्व की ओर देखो' नीति को भी रेखांकित करते हैं। खाड़ी देशों को कूटनीतिक रूप से यह परिवर्तन कई कारणों से करना पड़ा है।

प्रथमत: वैश्विक ऊर्जा बाजार में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, जिस कारण पश्चिमी एशियाई तेल व गैस का निर्यात अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित विकसित देशों के स्थान पर दक्षिणी व पूर्वी एशियाई देशों में बढ़ रहा है।

- अटलांटिक महासागर के पार अवस्थित देशों से एशियाई देशों की ओर तेल व गैस आपूर्ति का प्रवाह बढ़ने के साथ-साथ इन अटलांटिक देशों में चल रहे मौद्रिक संकट के कारण भी पश्चिमी एशियाई देश भारत तथा अन्य दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपना निर्यात बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए भारत और यू.ए.ई. के मध्य हुए सामरिक सहयोग संधि का कई खाड़ी देशों ने स्वागत किया है।
- 'अरब स्प्रिंग' तथा इराक व मिस्त्र जैसे देशों में चल रहे घटनाक्रमों के साये में खाड़ी देश भारत तथा चीन जैसे देशों को पश्चिमी देशों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय सहयोगी मानते हैं।
- अंतत: पश्चिम एशिया में चरमपंथी समूहों के बढ़ते दबाव के कारण पश्चिम एशियाई देश, भारत कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को महत्त्व देने कि रणनीति से प्रभावित हुए हैं।

निष्कर्ष

- पूर्व की ओर देखो नीति सफलता रहेगी क्योंकि दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश भारत से संबंध बनाने को आतुर हैं ताकि इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सके।
- पश्चिम की ओर देखो नीति के भी अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने की संभावना है क्योंकि पश्चिम एशियाई राष्ट्र स्वंय पूर्व की ओर अर्थात भारत तथा अन्य दक्षिण एशियाई राष्ट्रों से संबंधों को मजबूत बनाने की नीति अपना रहे हैं। भारत तथा पश्चिमी एशिया के संबंध केवल ऐतिहासिक ही नहीं वरन वर्तमान व भविष्य की साझी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मील का पत्थर साबित होंगे।

भारत – ईरान

- भारत तथा ईरान के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके अंतर्गत भारत, ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह को विकसित करेगा। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत की व्यापारिक पहुंच अफगानिस्तान तथा अन्य चाबहार मध्य एशियाई देशों तक हो जाएगी तथा इसके लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी आवश्यक्ता भी नहीं पड़ेगी। चाबहार बंदरगाह से कच्चा तेल तथा यूरिया का व्यापार किया जाएगा। इस बंदरगाह के प्रयोग से परिवहन लागत में भी कमी आएगी। इस बंदरगाह का निर्माण 'विशेष उद्देश्य साधन' (एस.पी.वी.) द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दोनों देशों की भागीदारी होगी। इस पूरी परियोजना का कुल व्यय अनुमानत: 8.5 करोड़ डॉलर होने की संभावना है। इसके अलावा यहां एक बहु उद्देशीय कार्गो तथा कंटेनर टर्मिनल का भी विकास किया जाएगा।

कूटनीति का महत्व

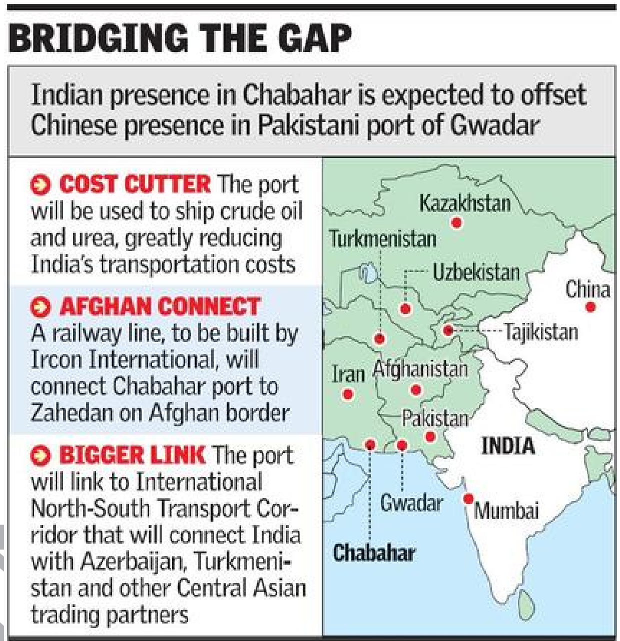

- ईरान के साथ संबंध भारत के लिए आर्थिक तथा कूटनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण हैं। ईरान के पास गैस का बड़ा भंडार है, जिसका शीघ्र ही व्यापारिक निर्यात प्रांरभ किए जाने की संभावना है। 'भारतीय तेल व गैस निगम' ने पहले ही फरजाद –बी गैस क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। ईरान से आयातित गैस द्वारा भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत तथा ईरान दोनों ही अफगानिस्तान को एक मजबूत, स्थिर तथा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, ताकि वहां फिर से तालिबान अपने कदम ना जमा सके। चाबहार बंदरगाह में भारत की मौजूदगी चीन की पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में मौजूदगी को संतुलित करेगी।

निष्कर्ष

- ईरान के साथ ऐसी परियोजनाओं की सफलता के लिए भारत को ईरान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों में निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी साथ हे यह भी आवश्यक है कि दोनों देशों के संबंध परस्पर हितों पर आधारित हों, ना कि वैश्विक दबाव से संचालित हों। अभी तक धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण चाबहार

©Vision IAS

बंदरगाह का कार्य स्थगित हो गया था। किंतु हाल ही में सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों में तीव्र सुधार करते हुए इस बंदरगाह का कार्य अपेक्षाकृत तेजी से करना प्रारंभ किया है। ईरान के साथ परमाणु ईंधन की प्राप्ति के लिए समझौता कर भारत ने कूटनीतिक संबंधों को नया आयाम प्रदान किया है। इस समझौते के माध्यम से भारत को अपेक्षाकृत सस्ता ईंधन अधिक समय व साख सीमा के लिए मिल सकेगा।

म्यांमार में चुनाव

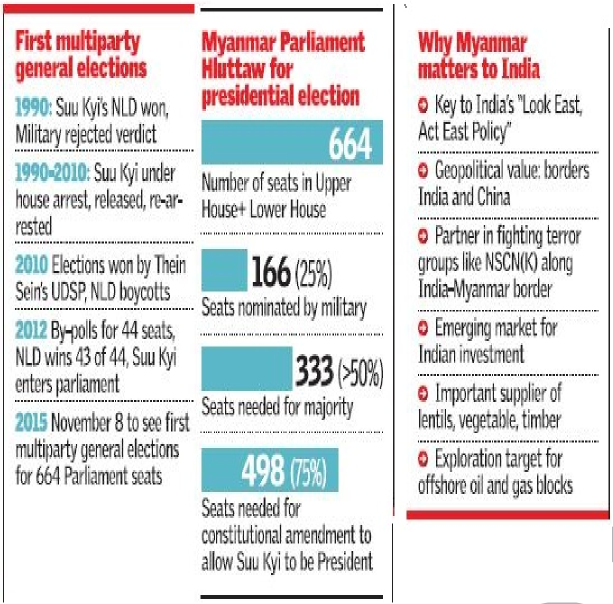

नवम्बर माह में म्यांमार में राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किए जाएंगे। विपक्षी नेता आंगसान सू की ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनावों में हिस्सा लेगी। म्यांमार में आखिरी बार 1990 में हुए निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनावों में नेशनल लीग फॉरडेमोक्रेसी (एन.एल.डी.) ने बड़ी जीत प्राप्त की थी, लेकिन सत्तारूढ़ सैन्य प्रशासन ने उस चुनाव परिणाम को मान्यता नहीं प्रदान की थी। एन.एल.डी. ने 2010 में सैन्य सरकार द्वारा आयोजित चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार किया।

- नवम्बर में होने वाले चुनावों में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एन. एल.डी.) पार्टी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी सेना द्वारा समर्थित 'राष्ट्रीय एकता व विकास पार्टी' होगी। आंग सान सू की स्वंय राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगी क्योंकि कानून के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति म्यांमार का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, जिसके बच्चे किसी विदेशी देश की नागरिकता रखते हों।

म्यांमार में राजनीतिक सुधार

- म्यांमार में 2010 से सैन्य प्रशासन की जगह पर सैन्य समर्थित सरकार प्रशासन संभाल रही है, जिसके नेतृत्व में प्रशासन सुधार प्रक्रिया जारी है। जिसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं -
- आंग सान सू की को घर में नजरबंदी से रिहा करना तथा अन्य राजनीतिक बंदियों को भी रिहा करना। पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, जिसके माध्यम से वर्ष 2002 में सू की ने संसद में प्रवेश किया। इसके अलावा म्यांमार में मीडिया पर लगे प्रतिबंधो को हटाया जाना वहां हो रहे सुधारों को दर्शाता है।
- इन सुधारों को दृष्टिगत रखते हुए अमेरिका तथा यूरोपियन यूनियन ने म्यांमार पर आरोपित अनेक प्रतिबंधों को हटा लिया है।

संसद पर सैन्य प्रभाव

- 2008 के संविधान के अनुसार म्यांमार में उच्च व निम्न सदन की 25 प्रतिशत सीटें सेना द्वारा निर्वाचित की जाएंगी। अत: नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एन.एल.डी.) को सरकार बनाने के लिए 664 सदस्यीय संसद की कम से कम 67 प्रतिशत सीटें प्राप्त करनी होंगी। जबकि 'राष्ट्रीय एकता व विकास पार्टी' को मात्र 26 प्रतिशत सीटें ही प्राप्त करनी होंगी, क्योंकि बाकी की 25 प्रतिशत सीटें उस सेना द्वारा प्रदान कर दी जाएंगी। इसके अलावा समस्त महत्वपूर्ण सुरक्षा व गृह विभाग सेना के पास ही रहते हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो।

नेपाल मे प्रथम लोकतांत्रिक संविधान

नेपाल ने अपना प्रथम लोकतांत्रिक संविधान अंगीकृत कर लिया है, इसके साथ ही 65 वर्ष से चली रही नेपाली जनता की आधुनिक राष्ट्र निर्माण की मांग पूरी हुई।

नेपाली संविधान के प्रमुख बिंदु

- संविधान में नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, हालांकि नेपाल को हिंदु राष्ट्र घोषित करने के लिए वहां विरोध प्रदर्शन हुए।
- नेपाल को एक संघीय राष्ट्र घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत सात प्रांत होंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू ही रहेगी। यह संविधान के अनुसार निर्मित, प्रांत नंबर दो के अंतर्गत आती है। दो नंबर प्रांत के अलावा प्रत्येक प्रांत के तीन भौगोलिक प्रभाग होंगे, जोकि क्रमश: पर्वतीय, पहाड़ी तथा दक्षिणी मैदान होंगे।

Nepal's draft provincial boundaries

Note: Colours show the proposed boundaries for seven federal provinces

- नेपाल का संविधान अधिकार पद्धति पर आधारित है। यह संविधान अपने नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। इन

VISION IAS

अधिकारों के अंतर्गत भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा पर्यावरणीय क्षति से संरक्षण का अधिकार तथा मानव दुर्व्यापार से भी संरक्षण का अधिकार आता है। इस संविधान में वंचित तथा हाँशिए पर पड़े समुदायों जैसे दलितों, विकलांगों, समलैंगिकों आदि के अधिकारों के बारे में भी प्रावधान किए गए हैं। सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को मूलभूत अधिकारों की संज्ञा दी गई है। मृत्यु दंड का निषेध किया गया है। अगले दो वर्ष चार माह के दौरान संविधान संशोधन अपेक्षाकृत अधिक सरलता से किए जा सकेंगे क्योंकि संविधान सभा ही इस दौरान अपनी अवधि समाप्त होने के पश्चात भी एक विधायी संस्था के रूप में काम करती रहेगी।

नए संविधान का विरोध

- नेपाल के तराई क्षेत्र के मधेशी समुदाय ने इस नये संविधान का तीव्र विरोध किया तथा इसे मधेशियों के प्रति अन्यायपूर्ण बताया। नेपाल को सात प्रभागों में बांटने का विरोध मधेशियों ने किया, उनके अनुसार इस प्रकार प्रांतो के विभाजन के द्वारा मधेशियों को 6 भागों में बांटकर उनकी शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया है। इन सात प्रभागों में मात्र एक प्रभाग में ही मैदानी लोगों का बहुमत है। तराई क्षेत्र के लोगों के विरोध का एक मुद्दा यह भी है कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर नहीं किया गया है। इससे मधेशी क्षेत्र के लोगों में असंतोष उत्पन्न हो गया। इसके अलावा नागरिकता से संबंधित एक मुद्दे पर भी विरोध था, जिसके अनुसार किसी नेपाली मां व विदेशी पिता के बच्चे को नेपाली नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी।

नेपाल संविधान को लेकर भारत सरकार की प्रतिक्रिया

भारत सरकार के अनुसार संविधान में तीन मुख्य कमियां हैं जो कि भारत को नेपाली संविधान का स्वागत करने से रोकती हैं ।

- प्रथमत: संघीय तथा प्रांतीय सीमांकन को तराई क्षेत्र के लोगों के प्रतिकूल बनाया गया है।
- दूसरा बिंदु भी यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन मधेशी लोगों के हितों के विरुद्ध है जो कि नेपाल की आबादी का 50 प्रतिशत हैं। वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र सीमांकन के अंतर्गत 100 सीटें पहाड़ी समुदाय को मिली है, जबकि मधेशी व आदिवासियों को मात्र 65 सीट मिली हैं।
- अंतत: सामानुपातिक समावेशीकरण के प्रावधान के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र की अनेक अगड़ी जातियों को भी आरक्षण का लाभ प्राप्त हो गया है। यह सकारात्मक विभेद के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। भारतीय सरकार को इस बात से भी निराशा हुई है कि वर्ष 2007 के अंतरिम संविधान लागू करने के वक्त जो वादे नेपाल ने भारत से किए थे, उनको इस नए लोकतांत्रिक संविधान में नजर अंदाज कर दिया गया है।

श्रीलंका में युद्ध अपराध

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में वर्ष 2002 से 2011 के बीच चले गृहयुद्ध के समय बहुत अमानवीय युद्ध अपराधों को अंजाम दिया गया। इन अपराधों को सरकार तथा लिट्टे दोनों पक्षों द्वारा अंजाम दिया गया।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) रिपोर्ट ने सेना तथा लिट्टे दोनों को इन अमानवीय युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। श्रीलंकाई सेना ने जहां तमिल राजनेताओ, सहायता कर्मियों, पत्रकारों को निशाना बनाया वहीं लिट्टे ने मुसलमानों व सिंहलियों के विरूद्ध अभियान चलाया। सेना ने लोगों को मनमाने तरीके से बंदी बनाया, लोगों को गैरकानूनी तरीके से गायब कर दिया तथा लोगों की गैरकानूनी रूप से हत्याएं भी करवाई। इस गृह युद्ध की विभीषिका को सबसे ज्यादा महिलाओं को झेलना पड़ा है। महिलाओं के साथ बलात्कार तथा अन्य यौन अपराधों को उत्पीड़न का औजार बनाया गया। रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि लिट्टे के लड़ाकुओं ने सामान्य नागरिकों को भी निशाना बनाया। लिट्टे ने अपनी सेना में भर्ती के लिए बच्चों व युवाओं को जबरदस्ती भर्ती किया।

रिपोर्ट में दिए गए सुझाव

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सभी पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त अदालत का गठन का सुझाव दिया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायधीशों, अभियोक्ताओं, वकीलों तथा जांच अधिकारियों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है।

- श्रीलंकाई सरकार ने युद्ध अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से घरेलू न्यायिक तंत्र का गठन करने का निर्णय लिया है।

युद्ध अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का प्रस्ताव

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने तमिल राज्य की प्राप्ति के लिए चले युद्ध के दौरान हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव एक श्रीलंकाई न्यायिक तंत्र के गठन की अनुशंसा करता है, जिसका कार्य वहां पर हुए मानवाधिकार के उल्लंघनों की जांच करना होगा। प्रस्तवित न्यायिक तंत्र में राष्ट्रमंडल देशों तथा अन्य विदेशी न्यायधीश, वकील, अभियोक्ताओं तथा जांच अधिकारियों को शमिल किया जाएगा। श्रीलंका ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। 'राष्ट्रीय तमिल गठबंधन' ने राष्ट्रमंडल तथा अन्य विदेशी विधिवेत्ताओं को शामिल किए जाने पर संतोष जताते हुए इस प्रस्ताव को न्याय की राह में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है ।

VISION IAS

आसियान व्यापार गलियारा

- आसियान देशों के साथ पूर्ण व्यापारिक एकीकरण के उद्देश्य से नैनिंग-सिंगापुर आर्थिक गलियारे को गति प्रदान की गई है। नैनिंग-सिंगापुर आर्थिक गलियारे को सामुद्रिक सिल्क मार्ग के ढांचे के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया है, गौरतलब है कि नैनिंग शहर चीन के गुआंगझाउ प्रांत की राजधानी है। यह गलियारा लगभग 5000 किमी लंबा होगा। चीन में इसकी लंबाई 198 किमी होगी।

नैनिंग-सिंगापुर आर्थिक गलियारा

- चीन के द्वारा नैनिंग-सिंगापुर आर्थिक गलियारा या दूसरे शब्दों में चीन तथा हिंद-चीन प्रायद्वीप अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के निर्माण के लिए नैनिंग आमसहमति के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य आठ बड़े नगरों के मध्य आर्थिक एकीकरण की स्थापना करना है। इन आठ बड़े नगरों के अंतर्गत सिंगापुर, कुआलालंपुर, बैंकॉक, नामपेन्ह हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम, हनोई तथा नैनिग सम्मिलित हैं। नैनिंग – सिगांपुर आर्थिक गलियारा एक बहुराष्ट्रीय भूमार्ग होगा, जो कि हिंद-चीन प्रायद्वीप के अनेक देशों को समाहित करेगा। यह 21वीं शताब्दी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग साबित होगा। यह गलियारा दो मार्गों में विभाजित है। एक मार्ग जहां वियतनाम को जाएगा वहीं दूसरा मार्ग लाओस, वियतनाम, कंबोडिया जैसे कम विकसित राष्ट्रों को जोड़ेगा।

विश्लेषण

- प्रस्तावित आर्थिक गलियारे के एक बार कार्यान्वयन की दशा में पहुंचने के बाद श्रम तथा संसाधन गहन इकाइयां लाओस, कंबोडिया तथा म्यांमार जैसे देशों का रूख करेंगी।आसियान देशों के साथ आर्थिक एकीकरण के बाद दक्षिणी चीन सागर में तनाव में कमी आएगी। इस गलियारे के निर्माण से चीन अपनी अति उत्पादन क्षमता को आसियान के अल्प विकसित क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित करने में सक्षम हो जाएगा। आर्थिक एकीकरण की इस प्रक्रिया को अमेरिका के प्रभाव को भी संतुलित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दृष्टव्य है की अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति पार प्रशांत साझेदारी(टी.पी.पी.) के माध्यम से दर्ज करवा रहा है।

यूरोप में शरणार्थी समस्या

- अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संस्थान(आई.ओ.एम.) के अनुसार लगभग 3.50 लाख प्रवासी और शरणार्थियों ने भूमध्यसागर को पार कर यूरोप में शरण लेने का प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार करीब 2500 लोगों की मृत्यु समुद्र को पार करने की कोशिशों के दौरान हो गई। यूरोप में शरण पाने को आतुर इन लोगों में अधिकाशत: युद्ध की विभीषिका से जूझ रहे पश्चिमी एशियाई देशों जैसे सीरिया, इराक व लीबिया से संबंध रखते हैं। अफ्रीका के अशांत क्षेत्रों से भी प्रवास हो रहा है।इनके अलावा अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से भी बड़ी संख्या में प्रवासी यूरोप में शरण लेना चाहते हैं।
- पश्चिमी एशियाई देशों की अस्थिरता में यूरो-अटलांटिक शक्तियों का हाथ
- पश्चिमी एशियाई देशों में चल रही अस्थिरता अपने मूल में एतिहासिक नहीं है। छद्म लोकतंत्र होने के बावजूद इन देशों में राजनीतिक स्थिरता विद्यमान थी तथा आर्थिक गतिविधिया सरलता से संचालित हो रही थी। अपने उर्जा संसाधनों के चलते पश्चिम एशियाई देश सदा से अमेरिका के लिए भू-आर्थिक रूप से अतिमहत्वपूर्ण थे।
- अपने क्षुद्र राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पश्चिमी शक्तियां, पश्चिमी एशियाई देशों में घुसी और इस क्षेत्र को अस्थिर तथा अशांत बना डाला।जैसे-
- इराक – इराक के पास सामूहिक विनाश के कोई हथियार नहीं मिलने के बावजूद आज इराक बर्बाद हो चुका है।
- लीबिया – नाटो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव,1973 का सहारा लेकर वर्ष 2011 में लीबिया पर बम बरसाए,वर्तमान में लीबिया राजनीतिक प्रभुत्व की प्रप्ति के लिए विभिन्न जातीय समूहों के बीच युद्ध का मैदान बना हुआ है।
- सीरिया –अनेक प्रमाणों के साथ यह साबित किया जा सकता है

VISION IAS

कि सीरिया में पश्चिमी शक्तियों ने लोकतंत्रोन्मुख शक्तियों का साथ देने के स्थान पर अंतत: चरमपंथी गुटों को सहायता पहुचाई । चरमपंथी गुट यह मदद पाकर सीरिया को एक बर्बर इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तित करने के अभियान में लग गए।

- यमन – पश्चिमी शक्तियां, सऊदी अरब समर्थित संयुक्त सेनाओं का समर्थन कर रही हैं, जो कि यमन में बमबारी कर उसे बर्बाद कर रही हैं।
- अफगानिस्तान –अफगानिस्तान शीत युद्ध से प्रभावित क्षेत्र रहा है, सोवियत यूनियन के पतन के पश्चात पश्चिमी ताकतों ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया था, लेकिन 11 सिंतबर की घटना के बाद यूरो-अटलांटिक शक्तियों ने अल-कायदा के नेटवर्क को ध्वस्त करने के क्रम में अफगानिस्तान को तहस-नहस कर डाला। ओसामा–बिन-लादेन की मृत्यु के बाद भी अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है।
- जहां एक ओर अफगानिस्तान में लगातार गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, वहीं उसके पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का लगातार पतन हो रहा है।

पलायन क्यों ?

- निरंतर चलने वाले युद्धों ने पश्चिमी एशियाई देशों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक ढांचे को तबाह कर दिया है। वहां के लोगों के समक्ष जीवनयापन का घोर संकट उतपन्न हो गया है। इसके चलते इस क्षेत्र के लोग दुनिया भर में रोजगार,शांति व स्थिरता की प्राप्ति के लिए पलायन को मजबूर हुए हैं।शांतिपूर्ण आश्रय की तलाश ,इस पलायन का सबसे बड़ा कारण है।

प्रवास के लिए यूरोप का चयन क्यों?

- यूरोप, एशिया व अफ्रीका से निकटस्थ स्थित सुरक्षित, सुलभ तथा धनी क्षेत्र है। इसके अलावा यूरोप के कुछ राष्ट्रों ने शरणार्थियों का स्वागत किया हैं, साथ ही उनको घर आदि की सुविधा उपलब्ध करवा कर उन्हें नई जिंदगी प्रारंभ करने में मदद की है। यूरोप आर्थिक रूप से संपन्न,सामाजिक रूप से सुरक्षित है तथा इसके अप्रवासन नियम भी बेहतर हैं।इसी कारण यूरोप को अपने इतिहास की सबसे बड़ी अप्रवासी शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

शरणार्थियों पर यूरोप का रुख

- शरणार्थियों की बाढ़ को देखते हुए यूरोप इन शरणार्थियों को शरण देने में झिझक रहा है। शरणार्थियों को लेकर यूरोप के राष्ट्रों में भी मतैक्य नही है। जहां सीमांत राष्ट्र जैसे इटली तथा यूनान इन शरणार्थियों को यूरोप के अंदर के राष्ट्रों में भेजना चाहते हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन के कानून के अनुसार शरणार्थी शरण लेने के क्रम में जिस राष्ट्र में पहले अपने कदम रखते हैं, उनको वहीं बसा देना चाहिए। ऐसी स्थितियों में कानूनों के उचित अनुपालन की समस्या उतपन्न हो गयी है ।

विश्लेषण

- क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के कारण पश्चिमी एशिया को तबाही के कगार पर पहुंचाकर अब यूरोपीय राष्ट्र शरणार्थियों की समस्या से नजर नहीं चुरा सकते हैं। संकट की इस घड़ी में यूरोपीय यूनियन को, संयुक्त राज्य अमेरिका को भी अपने साथ मिलाकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। पश्चिमी एशिया के शांत और सुरक्षित राष्ट्रों को भी अपने पड़ोसी देशों के इन नागरिकों की सहायता करनी चाहिए। पलायन को रोकने के लिए सीरिया, इराक व अन्य स्थानों पर युद्धबंदी कर शांतिमय माहौल का निर्माण करना पड़ेगा।

<u>बांग्लादेश में ब्लॉग लेखकों पर हमले</u>

बांग्लादेश में हाल ही में अनेक ब्लॉग लेखकों पर जानलेवा हमले हुए, ये हमले कट्टरपंथी इस्लामिक रूढ़िवादियों द्वारा किये जा रहे हैं। हमला करने वाले विभिन्न चरमपंथी गुटों से संबद्ध हैं।

ब्लॉग लेखक क्यों बने निशाना?

- चरमपंथी गुटों द्वारा इन ब्लॉग लेखकों को उनके धर्मनिरपेक्ष तथा नास्तिक विचारों के कारण निशाना बनाया जा रहा है।ये ब्लॉगर 1971 की ऐतिहासिक आजादी के आदर्श का समर्थन करते हैं, जिसके अनुसार बांग्लादेश का शासन धर्मनिरपेक्षता के सिंद्धांतों के आधार पर चलाया जाए। यह विचार कट्टर इस्लामिक चरमपंथियों को मान्य नहीं है।चरमपंथियों के इस कट्टरपंथी दृष्टिकोण के विरुद्ध ये ब्लॉगर, साइबर स्पेस में जनमत के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इन ब्लागर के द्वारा चरमपंथी गुटों की कड़ी आलोचना की जा रही है ।

युद्ध अपराधियों पर मुकदमे

- शेख हसीना के नेतृत्व में 2010 में आवामी लीग की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में लंबे समय से विचाराधीन जमात-ए-इस्लामी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अभियोग चलाए जाने के बाद कट्टरपंथियों की असहिष्णुता चरम पर पहुंच गई। इन अपराधियों के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान भयानक युद्ध अपराध करने के मुकदमें दर्ज हैं। ऐसे हालातों में जमात-ए-इस्लामी का साथ देने के लिए प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भी सरकार के विरुद्ध धरना व विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेकर इन कट्टरपथियों के हौंसले बढ़ा दिए। इस दौरान जब जमात—इस्लामी के एक नेता अब्दुल कादिर मुल्ला को अपराधी घोषित किया गया, तो ढाका की सड़कों पर युद्ध अपराधियों को फांसी देने के लिए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन घटनाक्रमों से ब्लॉग लेखकों पर हमलों की पृष्ठभूमि तैयार हुई।

विश्लेषण

- ब्लॉग लेखकों पर लगातार हो रहे ऐसे हमले, बांग्लादेश सरकार की, संगठित अपराधियों से अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करते हैं। ब्लॉग लेखकों की हत्याओं द्वारा कट्टर चरमपंथी, सरकार और आमजन को यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी आलोचना करने वालों का ऐसा ही हश्र होगा। सरकार को जल्द से जल्द अपने नागरिकों विशेष रूप से ऐसे लेखकों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रयास करने होंगे। अन्यथा हमलावर के द्वारा ऐसे मामलों में सरकार को उदासीन मान लिया जाने लगेगा तथा इससे उनके और ज्यादा निरंकुश होने की संभावना बढ़ जाएगी।

ब्रिटेन की लेबर पार्टी

- जेरोमी कॉर्बिन ने लेबर पार्टी के नेतृत्व में, ब्रिटेन में हुए चुनावों में जीत दर्ज की, उनकी इस जीत को लेबर पार्टी तथा ब्रिटेन की राजनीति में ऐतिहासिक पल माना जा रहा है।

जेरोमी कॉर्बिन की नीतियाँ

- कॉर्बिन मितव्ययता की योजनाओं का तीव्र विरोध करते हैं। रेलवे तथा ऊर्जा क्षेत्रों का पुन:राष्ट्रीयकरण करना। उनके राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल है । कॉर्बिन प्रबल युद्धविरोधी व अमनपसंद व्यक्ति हैं। वह युद्ध गठबंधनों विघटन तथा परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए बनी संस्थाओं से संबद्ध हैं। कॉर्बिन का मानना है कि ब्रिटेन को नाटो से बाहर हो जाना चाहिए तथा सीरिया में ब्रिटेन की सेनाओं को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वह ट्रॉइडेंट परमाणु मिसाइल योजना को भी बंद करने के पक्ष में हैं। कॉर्बिन महिलाओं की सुरक्षा तथा उन पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह आमजन के लिए एक ऐसी योजना का प्रस्ताव ऱखते हैं, जिसके अंतर्गत बैंक ऑफ इंग्लैंड अधिकाधिक नोट छाप कर उनका निवेश वृहद स्तरीय आवास निर्माण परियोजनाओं, ऊर्जा तथा परिवहन के क्षेत्र में करे।

कॉर्बिन की आलोचना

- ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कार्बिन तथा उनकी नीतियों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। आलोचकों के अनुसार वह अपनी नीतियों से अपनी पार्टी के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे कि पार्टी दशकों तक सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। उनकी अपनी पार्टी में भी उनकी लोकप्रियता घटी है, हालांकि वह 60 प्रतिशत मत प्राप्त कर चुने गये हैं। लेकिन उनके अतिवादी विचारों के चलते अनेक छाया मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है।

कॉर्बिन की जीत के निहितार्थ

- कॉर्बिन की जीत को व्यापक संदर्भों में देखे जाने की आवश्यकता है, इस परिणाम से स्पष्ट होता है कि इससे ना सिर्फ यूरोप बल्कि समस्त विश्व में जनता का वामपंथी विचारधारा की ओर रुझान बढ़ रहा है। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के शानदार प्रदर्शन, यूनान में सीरिजा,स्पेन में पॉडेमोस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में बर्नाँड सैंडर्स की बढ़ती लोकप्रियता इस व्यापक प्रभाव की पुष्टि करती है। यूरोप में जनता के इस ओर बढ़ते रुझान का तात्कालिक कारण वर्ष 2008 के बाद आई आर्थिक मंदी के बाद चलाए गए अतिकठोर कार्यक्रम हैं। इसके अलावा संकट की घड़ी में वर्तमान राजनीति द्वारा कोई विशेष विकल्प उपलब्ध ना कराए जाने से, लोगों में निराशा बढ़ी तथा उनका रुझान वामपंथ की ओर होने लगा।

यूनान में चुनाव

- यूनान में समयपूर्व हुए चुनावों में वामपंथी पार्टी सीरिजा ने चुनाव जीता तथा इसके नेता एलेक्सिस सिप्रास को सरकार बनाने का जनादेश मिला।
- वामपंथी सीरिजा पार्टी ने अतिकठोर व अतिमितव्ययता के कार्यक्रमों के विरोध में जनादेश प्राप्त किया। सिप्रास ने इस वर्ष जनवरी में सरकार बनाने के बाद इन अतिकठोर मापदंडों वाले कार्यक्रमों को समाप्त करने की घोषणा की थी।

सशर्त सहायता

- यूरो जोन के अनेक निवेशकर्ताओं ने यूनान को उसके आर्थिक संकट से उबरने के लिए सशर्त सहायता की पेशकश की, लेकिन इसके लिए यूनान को अनेक प्रावधानों को अपनाना पड़ेगा, जैसे- कठोर मितव्ययी मापदंडों को अपनाना, आर्थिक सुधारों को करना आदि। हालांकि इन शर्तों को यूनानी वोटरों ने चुनावों में नकार दिया था, लेकिन इन सहायता शर्तों को मानने के कारण सीरीजा पार्टी में विभाजन हो गया था, स्पिर्स ने इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था और जल्दी चुनाव करवाने की घोषणा की थी।

आर्थिक सुधार

- सहायता प्राप्त करने के क्रम में सिप्रास सरकार को अतिकठोर कार्यक्रमों को अपनाना पड़ेगा तथा आर्थिक सुधारों की श्रृखला को विस्तार देना होगा।

कोरियाई प्रायद्वीप में विवाद

कोरियाई प्रायद्वीप में उत्पन्न वर्तमान विवाद का कारण दोनो देशों के मध्य स्थित, गैर सैन्यीकृत क्षेत्र पर हुआ एक बारूदी धमाका था, जिसमें दो दक्षिणी कोरियाई सैनिक घायल हो गए थे। दक्षिणी कोरिया ने इस पर प्रतिक्रिया करते हुए अपने उत्तर कोरियाई विरोध को पुन:प्रारंभ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उत्तरी कोरिया की ओर से गोलीबारी तथा दक्षिणी कोरिया की ओर से जवाबी कार्रवाई में तोप द्वारा गोले बरसाए गये।उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया को गैर सैन्यीकृत क्षेत्र में उसके

विरूद्ध किए जा रहे दुष्प्रचार के प्रसारण को रोकने अथवा युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी, जो कि दोनों देशों के मध्य विगत कई वर्षों के दौरान तनाव का उच्चतम बिंदु था।

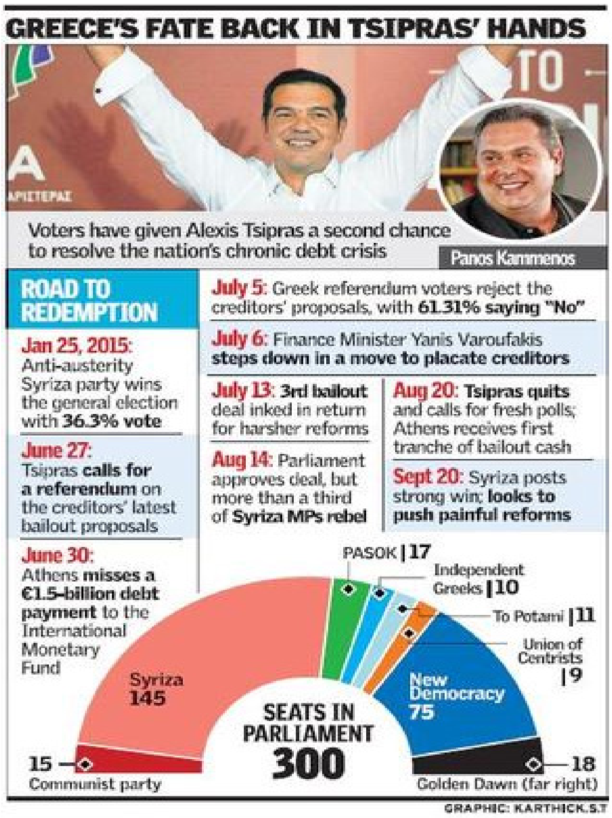

कूटनीतिक समाधान

- दोनों देश के मध्य हुई उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ताओं के बाद इस वर्तमान विवाद पर विराम लग गया। उत्तरी कोरिया ने दोनों दक्षिणी कोरियाई सैनिकों के घायल होने पर खेद व्यक्त किया तथा दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया के विरुद्ध अपने प्रचार को रोकने पर सहमत हुआ।

उत्तरी कोरिया में आंतरिक संकट

- उत्तरी कोरिया वर्तमान में अनेक आंतरिक संकटों से जूझ रहा है। वर्ष 2011 में किम जोंग युन के सत्ता संभालने के बाद उपराष्ट्रपति सहित करीब 70 उच्च अधिकारियों को फांसी दे दी गई है।यह दर्शाता है कि सत्ता अपने विरोध में उठने वाले हर प्रतिरोध को पूरी बर्बरता से कुचल कर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है। उत्तरी कोरिया की मीडिया के अनुसार देश सदी के सबसे भयानक दुर्भिक्ष का सामना कर रहा है।फलस्वरूप देश एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है।हालांकि यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि दक्षिणी कोरिया से यह विवाद आंतरिक व आर्थिक संकट से जनता का ध्यान हटाने के लिए उत्तर कोरिया द्वारा जान-बूझकर पैदा किया गया था।

दक्षिणी व उत्तरी कोरिया के मध्य विवाद के ऐतिहासिक मुद्दे

- दोनों कोरियाई देश तकनीकी रूप से अभी भी युद्धरत हैं क्योंकि दोनों देशों के मध्य जो समझौता हुआ है वह कोई स्थायी युद्ध विराम ना होकर एक प्रकार का सैन्य समझौता मात्र है। इसी कारण बीच -बीच में सीमा विवाद की घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि वर्ष 1953 के पश्चात दोनों देशों के मध्य बड़े स्तर पर कोई युद्ध नहीं हुआ है, फिर भी कोरियाई प्रायद्वीप में हमेशा तनाव का स्थिति बनी रहती है। वर्ष 2006 में उत्तरी कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद तनाव और बढ़ा है। दोनों देशों के मध्य दुनिया की सबसे बड़ी सैन्यीकृत सीमा है। दोनों देशों के मध्य कभी कोई औपचारिक शांति समझौता नहीं हुआ। अत: यह क्षेत्र सदैव अर्द्ध युद्ध की स्थिति में रहता है।

सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)

संयुक्त राष्ट्र संघ ने गरीबी, असमानता तथा पर्यावरण परिवर्तनका मुकाबला करने के लिए आधिकारिक तौर से नए वैश्विक लक्ष्यों को अपनाया है, इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आगामी 15 वर्षों में पूर्ण उत्कृष्टता के साथ पूरे विश्व में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।

सतत विकास लक्ष्य : क्या है खास बात?

- संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सतत विकास लक्ष्य(एस.डी.जी.), अपने लक्ष्यों के आधार पर अपने पूर्ववर्ती कार्यक्रम से उन्नत है क्योंकि यह गरीबी के प्रमुख कारण को खोजने तथा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
- सतत विकास लक्ष्य(एस.डी.जी.) पर्यावरण संरक्षण के अपने लक्ष्य के प्रति भी प्रतिबद्ध है।जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमतापूर्ण उपयोग करना व इसका सतत

विकास सुनिश्चित करना सतत विकास लक्ष्य(एस.डी.जी.)का प्रमुख आधार है ।

- सतत विकास लक्ष्य(एस.डी.जी.) का पालन मात्र विकासशील देशों में ही नहीं अपितु सार्वभौमिक रूप से पूरे विश्व में होना सुनिश्चित किया जाएगा।
- विकास के लिए सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि वित्तीय सततता बनी रह सके।

सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) की सूची

1. निर्धनता के समस्त प्रकारों की दुनिया से समाप्ति।
2. कृषि में सतत विकास की प्राप्ति के साथ विश्व से भुखमरी की समाप्ति। इसके साथ ही पोषण स्तर में सुधार।
3. समस्त आयु समूहों की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करना।
4. समावेशी व गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना तथा उम्र के हर पड़ाव पर शिक्षा प्राप्त करने के मौके उपलब्ध करवाना।
5. समस्त महिलाओं व लड़कियों का उत्थान तथा लैंगिक समानता की प्राप्ति।
6. जल तथा स्वच्छता का सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना तथा इनकी उपलब्धता सबके लिए सुनिश्चित करना।
7. सतत, आधुनिक व भरोसेमंद ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
8. सतत, समावेशी व धारणीय आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर पूर्णत: उत्पादक गतिविधियों में रोजगार मुहैया करवाना तथा सबके लिए सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था करवाना।
9. मजबूत आधारभूत ढ़ांचे का निर्माण कर समावेशी व सतत औद्योगिक अवस्था को प्राप्त करना तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना।
10. देशों के मध्य असमानता को कम करना।
11. शहरों तथा मानव बसाव क्षेत्रों को सुरक्षित,समावेशी तथा प्रतिरोधक क्षमताओं से परिपूर्ण बनाना।
12. सतत उपभोग तथा उत्पादन के स्वरूप को सुनिश्चित करना।
13. पर्यावरण परिवर्तन तथा इसके प्रभाव से निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठाना ।
14. सामुद्रिक संसाधनों का सतत तथा समावेशी उपभोग ताकि सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
15. स्थलीय पारिस्थितिकी के संरक्षण, नवीकरण तथा प्रोत्साहन को बढ़ावा देना। वनों का सतत प्रबंधन, मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकना तथा भूमिक्षरण व जैव विविधता के ह्रास को रोकना।
16. सतत विकास के लिए शांतिमय तथा समावेशी समाज के निर्माण को प्रोत्साहन देना। न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक स्तर पर प्रभावशाली, समावेशी व उत्तरदायी संस्थानों की स्थापना करना।
17. सतत विकास के लक्ष्य के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना तथा क्रियान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना।

भारत तथा एस.डी.जी.

भारत पूर्ववर्ती सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से अनेक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। अप्राप्त लक्ष्यों में प्राथमिक पाठशालाओं में नामांकन , सवैतनिक रोजगार तथा राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से नारी सशक्तिकरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सार्वभौमिक बाल व शिशु मृत्यु दर को कम करना, खुले में शौच की समाप्ति के लिए स्वच्छता को बढ़ावा देने जैसे लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाए हैं। इन विभिन्न सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति भारत द्वारा नहीं किए जाने के कारण विशेषज्ञों को भारत द्वारा सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) प्राप्ति के बारे में शंकाएं हैं। इस प्रकार कुछ विशिष्ट कारणों की वजह से भारत के सतत विकास (एस. ड़ी.जी.) के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

सुर्खियों में ...

धार्मिक रूप से उत्पीड़ित लोगों के लिए नागरिकता

केंद्रीय गृह मंत्रालय, धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश से भाग कर भारत आने वाले गैर-दस्तावेजी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने हेतु नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने जा रहा है। इन प्रवासियों में हिंदू समुदाय के अतिरिक्त बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख और जैन भी हैं।

- यह विधेयक विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम 1950 के कुछ प्रावधानों में बदलाव करेगा।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक उत्पीड़न के शिकार पीड़ितों के लिए नागरिकता हेतु आवेदन कर सकने की प्रस्तावित अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2014 है। पंजीकरण (सात वर्ष का न्यूनतम ठहराव) और नैचुरलाइजेशन (देशीकरण) (न्यूनतम 12 वर्ष) नागरिकता दिए जाने के दो तरीके होंगे।

निहितार्थ

- विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को आगाह किया है कि इस कदम से भारत के पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंधों को चोट पहुंच

VISION IAS

सकती है।

- बांग्लादेश के साथ संबंधों पर इसके प्रभाव को लेकर चिताएं इसलिए व्यक्त की जा रही हैं कि मित्रवत सरकारों के सत्तासीन होने के पश्चात भी आपसी सद्भाव में कमी आ रही है।
- असम और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश में न केवल हिंदुओं बल्कि मुस्लिमों के कई संप्रदायों (अहमदिया) को भी धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन्हें नागरिकता न प्रदान करने को भारत सरकार के मुस्लिम विरोधी रूख के रूप में देखा जाएगा।

विश्लेषण

- हालांकि वास्तविक कठिनाई रोजगार के अवसर और बेहतर जीवन की तलाश में भारत आने वाले अवैध प्रवासियों और पाकिस्तान या बांग्लादेश से उत्पीड़न से डरकर भागे लोगों के बीच अंतर करने में आएगी।
- भारत के दरवाजे शरण की मांग करने वाले सभी लोगों के लिए खुले रहने चाहिए, न कि सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न से प्रताड़ित लोगों के लिए।
- भारत, 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इसके अंर्तगत जीवन या स्वतंत्रता के प्रति खतरे का डर होने पर शरणार्थियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी क्षेत्र में वापस न भेजे जाने के प्रावधान को बाध्यकारी बनाया गया है।
- फिर भी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत, भारत अपने भू क्षेत्र में सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने की अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता है। अनुच्छेद 14 (1) स्पष्ट कहता है कि "सभी व्यक्तियों को उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण मांगने और वहां की सुविधाओं के उपभोग का अधिकार है।"

सेफ हार्बर

सेफ हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच नवंबर 2000 में संपन्न एक नीतिगत समझौते का नाम है। जिस प्रकार से अमेरिकी कंपनियां यूरोपीय नागरिकों के व्यक्तिगत आंकड़ो को स्थानांतरित करती हैं तथा उसका उपयोग करती हैं (जैसे नाम और पता), यह उन तरीको का विनियमन और नियंत्रण करेगा।

यूनेस्को पुरस्कार

भारत ने केरल के श्री वड़ाक्कुनाथन के भव्य मंदिर के उल्लेखनीय संरक्षण प्रयासों के लिए वर्ष 2015 का यूनेस्को का शीर्ष पुरस्कार 'उत्कृष्टता पुरस्कार(award of excellence)' जीता है।

जी-20

विश्व की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं के नेतृत्वकर्ताओं का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर अपेक्षा से काफी कम है। उन्होंने लड़खड़ाते वैश्विक विकास को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का वचन दिया है। सम्मलेन में चीन के विवादस्पद मुद्रा अवमूल्यन के बाद अस्थिरता उत्पन्न करने वाली मौद्रिक गतिविधियों से बचने का संकल्प लिया गया है। इसमें चीन की अपेक्षा की गयी है कि -

- वह अपनी कार्रवाइयों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और स्पष्ट रूप से संवाद करने औरअन्य अर्थव्यवस्थओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम से कम करने, अनिश्चितता का शमन करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा।
- वह "प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन से बचने और संरक्षणवाद के सभी रूपों का विरोध करेगा।"

वुमेन्स-20

- विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने एक नए समूह (W20) का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना है।
- इस समूह (W20) का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा मे काम करना है।

व्हाइट हाउस पदक

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने "अजनबीपन और अपनेपन जैसी अनुभूतियों की अत्यंत सुन्दर व्याख्या के लिए"प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मानविकी पदक (नैशनल ह्युमैनिटीज मेडल), पुलित्जर पुरस्कार विजेता झुंपा लाहिड़ी को प्रदान किया है।" इन आख्यानों में भारतीय-अमेरिकी अनुभव पर प्रकाश डाला गया है।

द्वितीय विश्वयुद्ध में विजय के उपलक्ष्य में परेड

- चीन ने विशाल थ्यानमेन चौक पर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के विरुद्ध मिली जीत की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बड़े सैन्य परेड का आयोजन किया।
- चीन की पहली सैन्य परेड का उद्देश्य, द्वितीय विश्वयुद्ध में चीनियों के प्रति जापानी सैनिकों द्वारा की गई ज्यादतियों पर प्रकाश डालना था।
- भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री ने किया। भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य योगदान देने के साथ ही असम-बर्मा स्टिलवेल सड़क के माध्यम से चीनी प्रतिरोध के लिए आपूर्ति रेखाएं खुली रखकर, जापानी सैन्य वाद की पराजय में गंभीर भूमिका निभाई थी।
- तिब्बत स्वायत्त गणराज्य (टी.ए.आर.)
- चीन ने तिब्बत स्वायत्त गणराज्य (टी.ए.आर) के गठन की 50वीं वर्षगांठ मनाई। इस आयोजन का उद्देश्य धार्मिक और समाजवादी

मूल्यों के समामिलन का समर्थन करने के साथ-साथ एकता का शक्तिशाली संदेश देना था।

- चीन बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशीयसवाद और ताओ धर्म के पुनरुद्धार के आधार पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर ध्यान केंद्रित करता रहा है।
- चीनी राष्ट्रपति ने जातीयता, धर्म और संस्कृति पर लोगों के विचारों को आकार देने के लिए मार्क्सवादी मूल्यों को बढ़ावा देने की वकालत की है।
- चीन का कहना है कि तिब्बत वर्ष 1950 में "शांतिपूर्ण मुक्ति" द्वारा इस देश का हिस्सा बना। तब चीनी सैनिकों ने हिमालय के पठार पर बीजिंग का नियंत्रण स्थापित करने के लिए आक्रमण किया था।
- क्षेत्रीय पीपुल्स कांग्रेस यानी स्थानीय विधायिका की स्थापना के बाद, 1 सितम्बर, 1965 को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की स्थापना की गई थी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS